BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS. ....APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGES	C-FEE
1.	Reply on Behalf of the Respondent no. 8	1-18	
	Annexure- R8- A Copy of Sale Deed dt 29-01-2024	19-39	
2.	Annexure R8-B Copy of Complaint given to S.P. Hapur by respondent no. 10.	41-44	
3.	Annexure R8-C Copy of Complaint given to	45-56	

	D.M. Hapur by respondent no. 10.		
4.	Annexure R8-D Copy of news paper	57-59	
5.	Annexure R8-E Copy of information letter to the D.M.	60-62	
6.	Annexure R8-F Copy of petition filed before S.D.M. Dhaulana Hapur by R10.	63-73	
7.	Annexure R8-G Copy of complaint to the SHO Kotwali Pilakhuwa.	74-77	
8.	Annexure R8-H Copy of CCTV Footage in the property of the Respondent no 10 by the petitioner no.1 and his wife.	78-91	
9.	Annexure R8-I Copy of cases (Colly) by the petitioners against the respondent no. 8 and 10.	92-129	

10.	Annexure R8-J Copy of cases filed by the applicant/petitioner no.3	130-163	
11.	Annexure R8-K Copy of report in respect of oldness of the trees.	164-167	
12.	Vakalatnama	168	
13.	Proof of service	169	

DELHI **THROUGH ADVOCATE**

DATE 20.08.2024

AKHILESH KUMAR SINGH

CH. NO. 605, ROHINI COURTS DELHI

MOB. 7248517989

E-MAIL: Akhileshsinghadvocate@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS. ...APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ...RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 8 TO THE ORIGINAL APPLICATION

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

PRELIMENARY OBJECTIONS:

1. That the applicants/petitioners did not come with clean hands before this Hon'ble Tribunal and concealed the real and actual facts of the case. Hence the present O.A. is not maintainable in eye of law. Hence the present O.A. is liable to be dismissed prima facie.

2

2. That the present answering respondent no. 8 has no concern with Khasra No. **1083, 1089, 1091** and Khasra No. **2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127,** and **2128** and any Bagh/Garden/Park situated in the given khasra no. at Mandawar, Chandak Road Bijnor (UP) as the answering respondent no. 8 was owner of the of Khasra no. **1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094** and now the Khasra No. **1083, 1089, 1091** have been sold by the respondent no.8 to Mohd. Hashim S/o Mohd. Farookh on 28-01-2024 through sale deed dt. 28-01-2024 and the Khasra no. **2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127,** and **2128**. were owned by respondent no. 10 The present answering respondent is not owner of the **1083, 1089, 1091.** Hence the present O.A is liable to be dismissed prima facie.

3. That the answering respondent has not cut any tree in his Khasra nos at the time of selling the Khasra No. **1083, 1089, and 1091.** But at the time of selling many trees were dried and no green leaves were upon them and these no were above 43 including Khasra No. **1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094** owned by him even all the trees are standing in Khasra no. **2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127** and **2128** the

respondent no 9 is the cousin brother (son of Mausi) of the respondent no 8 and 10. And the respondent no 8 and 10 come to the house of the respondent no. 9 sometimes. The petitoners/applicants have filed a lot of cases against the respondent no. 8 and 10. Respondent no. 8 resides in Saharanpur and respondent no. 10 resides at Pilakhuwa, Hapur (UP) and due to long distance they stay at the house of the respondent no. 9 sometimes if they come to Bijnor. The applicants are in complex why the respondent no. 9 allows the respondent no. 8 and 10 to stay at his house and the applicants felt enmity with the respondent no. 8, 9 and 10. Hence the present O.A is liable to be dismissed prima facie.

4. That the present answering respondent no. 8 is never involved in cutting of trees situated in above said Khasra Nos and the applicants impleaded the present respondent no. 8 with ill motive to harass mentally/physically and financially .While the applicants are will aware that the Khasra No. **1083** having area 0.338 hactare out of 0.797, Khasra No. **1089** complete area 0.341 hectare and in Khasra No. **1091** having area 0.455 hectare are sold and at the time of selling the trees were standing either in dried condition in Khasra No. **1083** about 23 trees were dried

in Khasra No. **1089** and 27 trees were dried in Khasra No. **1091** 4 trees. 15 trees were non productive being about 80 yrs. old in position of felling having few branches only and remaining in Khasra No. **1089** were having 14 trees in better condition than others but they were dangerous to the nearby passers and non -productive. The applicants did not implead the purchaser Mohd. Hasim S/o Mohd. Farookh R/o Mohalla Bazar, Mangal Kasba, Mandawar, Distt: Bijnor as the party while the allegations of cutting the trees may be explained better by Mohd. Hasim as at the time of selling the properties all the trees were present. Hence the present O.A is liable to be dismissed prima facie.

5. That the present answering respondent no. 8 is a senior citizen The respondent no. 10 has given a huge amount to the applicant no. 1 to start a business in Bijnor but the applicant no.1 closed the Bakery started from the money of the respondent no. 10 and after instigation from his in laws, the applicant no. 1, his wife namely Ankita and his mother Smt. Manju Sharma started misbehave with respondent no. 10 answering respondent to compel him to transfer all his properties in the name of applicants no 1 & 2. The applicant

5

no.1 and his wife and his mother have tried to implicate the respondent no 10 in false cases of sexual abuse of wife of applicant no 1 and in its failure in sexual abuse of the domestic and in this regard a conspiracy was made by them. The respondent no. 10 has given complaint to the police and other authorities. The copy of sale deed dt. 2 -01-2024 is annexed herewith as Annexure R8-A. The copy of complaint given by the respondent no. 10 to S.P Hapur and D.M Hapur R8-B and R8-C.

6. That the respondent no.10 has disowned the applicant no. 1 and 2 from his all movable and immovable properties as the behavior and conduct of the applicant no. 1 and 2 are too panic and painful to the respondent no. 10. The copy of newspaper and information to the D.M are annexed here with marked as annexure R8-D and R8-E. The answering respondent has filed the case before SDM, Dhaulana, Hapur as case no. T202411730602787/2024 against the applicant no. 1 due to his misbehavior, misconduct, attempt to grab the property of the respondent no. 10. which copies annexed as Annexure R8-F. Hence the present O.A is liable to be dismissed prima facie.

7. That the applicants have filed many litigations against the respondent no. 8 and 10 to harass to create the terror in the minds of the respondent no. 8 and 10 such that the answering respondent will hand over his all movable and immovable properties to the applicant. The respondent no 10 has given a complaint to the SHO Kotwali Pilakhuwa against the applicant no. 1 which copies is annexed herewith marked as annexure R8-G. The CCTV footage in respect of illegal activities of wife and mother of the applicant no.1 in the property of the respondent no. 10 situated at Pilakhuwa, Hapur are annexed herewith marked as annexure R8-H.
8. That the applicant no. 1 has filed a case no 25/2024 before Sr. Civil Judge, Bijnor against the respondent no. 8 to 10 unnecessarily titled as Deepank Kumar Sharma V/s Dr. Devesh Kumar Sharma & Ors. Rivision no. 22/2024 is filed by the applicant no.1 titled as Deepank Kumar Sharma & Anr. V/s Dr. Devesh Kumar Sharma & Ors and all its purpose its only to harass the respondent no 8 to 10. The copy of the cases are annexed here with annexure R8-I (Colly). The applicant no. 1 and 2 filed a complaint no. 645/2024 before ACJM-2 Bijnor U/s 420, 467, 468, 469, 471, etc. at P.S. Mandawar against the

7

respondent no. 8 to 10 titled as Deepank Kumar Sharma V/s Dr. Devesh Kumar Sharma & Ors. Except this before SDM (J) Bijnor a case no. T202413160103057 is filed titled as Deepank Kumar Sharma V/s Dr. Devesh Kumar Sharma etc. u/s 161/144 UP State Code.

9. That the applicant no.3 had filed also the cases against the respondent no. 8 and 10 with ill-motive to grab the property of the respondent no. 8 and 10. The applicant no.3 is associating with applicant no. 1 and 2 purposely with bad intentions. The applicant no. 3 filed the cases against the respondent no. 8 and 9. Having case no. 211/2009, 212/2009 and 2013/2009 titled as Raj Kumar Sharma V/s Dr. Devesh Kumar Sharma & Ors. In which Civil Appeal No. 80/2019, 81/2019 and 82/2019 titled as Devesh Kumar Sharma V/s Raj Kumar Sharma were filed which were allowed in favor of the respondent no. 8 and 10. Thereafter a Second Appeal No. 416/2023 was filed before Hon'ble High Court titled as Raj Kumar Sharma V/s Devesh Kumar Sharma. The applicant no. 3 filed a Civil Case No. 181/2023 titled as Raj Kumar Sharma V/s Devesh Kumar Sharma before Civil Judge Junior Division Bijnor U.P by manipulating forced and fabricated documents.Also applicant

no.3 filed a Civil Case No. 109/2023 titled as Raj Kumar Sharma V/s Devesh Kumar Sharma & Ors. A Criminal Case having FIR No. 08/2022 U/s 420/467/468/469/471 IPC PS-Sherkot was registered against the applicant no. 3 and his brother Pradeep Kumar Sharma in respect of manipulation of documents upon the complaint of the respondent no. 8. In which anticipatory bail No. 174/2022 was filed before District And Session Judge which was dismissed and thereafter a Crl.m. Anticipatory Bail Application No. 1329/2022 was filed by the applicant no.3 in the Hon'ble High Court Allahabad. In enmity the applicant no.3 associated with applicant no. 1 and 2 purposely to grab the property of the respondent no. 8 & 10 and to extort money from the respondent no 8,9 and 10. Hence the present O.A. is liable to be dismissed prima facie. The copy of cases filed by the applicant no.3 are annexed herewith marked as annexure R8-J (Colly). Hence the present O.A. is liable to be dismissed prima facie.

10. That the present O.A is not maintainable as the present O.A is filed before this Hon'ble Tribunal misleading and manipulating as the matter may be treated U/s 14 of U.P. Trees Protection Act 1976. Which bars the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

11. That the matter was compounded by the forest officers authorized U/s 15 U.P. Trees Protection Act 1976 by the State Government of by imposing Rs. 5000/- per tree but as per amendment which may be extended up amount. The Rs. 3 lacks 95 thousand has been deposited by the forest department and recovered from the purchasers i.e. Mohd. Hasim. Hence the present O.A is liable to be dismissed prima facie.

12. That the Khasra No. **1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094** are private land and Sankramdiya Bhumi and the owners may use there property according to there wish as per law. Hence the present O.A is liable to be dismissed prima facie.

13. That the section 68 OF THE FOREST ACT empowers a forest officer to accept a some of money by way of compensation from a person accused any offence under the act and offence may be compounded. In this respect the Hon'ble Madras High Court has views that U/s 68 OF THE FOREST ACT 1927, when a offence is compounded, the person accused should be discharged vide judgement dt. 26-02-2023. Hence the present O.A. is liable to be dismissed prima facie.

14. That some trees were dry and someone were not productive and in position having very few branches and some where fallen in the storm. The report of patwari clearly says that the trees were old more than 75 yrs. The copy of said report is annexed here with marked as annexure R8-K Hence the present O.A. is liable to be dismissed prima facie.

15. That the applicant did not implead the purchaser of Khasra no. **1083, 1089, and 1091** due to which on this sole ground the present O.A may be dismissed as non-joinder and miss-joinder. The applicants impleaded respondent no 9 and 10 as they have no reason to be impleaded. Hence the present O.A. is liable to be dismissed prima facie.

PARAWISE REPLY:

I & II. Needs no reply.

III. That in response to the present para it is submitted that the respondent no. 8 did not cut any tree as the Khasra No. **1083, 1089 and 1091** were sold already prior to cutting the tree to Mohd. Hasim and all trees were standing at the time of selling

//

and it is found that Mohd. Hasim has paid Rs. 3 Lacks 95 Thousand as per law.

IV. That in response to the present para it is submitted that the applicants filed the present para O.A. only to harass the respondents in enmity as many litigations are pending among the respondent no. 8 and 10 and applicants.

V. That in response to the present para it is submitted that the applicants filed the present para O.A. only to harass the respondents in enmity as many litigations are pending among the respondent no. 8 and 10 and applicants.

VI. That in response to the present para it is submitted that the applicants filed the present para O.A. only to harass the respondents in anmity as many litigations are pending among the respondent no. 8 and 10 and applicants.

VII. That in response to the present para it is submitted that the applicants filed the present para O.A. only to harass the respondents in enmity as many litigations are pending among the respondent no. 8 and 10 and applicants.

VIII. That in response to the present para it is submitted that the present answering respondent has no concern with the

respondent no. 1 to 7. The applicants put the name of present respondent only to harass mentally/physically and financially to the respondent no. 8.

IX. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has no concern with the cutting of trees in above said Khasra Nos.

X. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has no concern with the cutting of trees in above said Khasra Nos.

XI. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has no concern with the cutting of trees in above said Khasra Nos.

REPLY TO FACTS IN BRIEF:

1. That it is denied that the respondent no. 8 to 10 had already cut down approximately 30 trees and trying to cutting other trees also. It is submitted that any complaint is false and fabricated against the respondent no. 8.
2. That in response to the present para it is submitted that the respondent no. 8 is neither owner nor contractor nor labor and hence never cut any tree situated in Khasra Nos. **1083, 1089,**

1091 and all trees in other Khasra Nos not cut in owned by respondent no. 10. It is made clear that the respondent no 10 has sold the Khasra No. **2120, 2121, 2122, 2125, 2126, 2127.** To Mohd. Islam Rasheed.

3. That in response to the present para it is submitted that the respondent no. 8 is neither owner nor contractor nor labor and hence never cut any tree situated in above said Khasra Nos. **1083, 1089, 1091.**
4. That in response to the present para it is submitted that the respondent no. 8 is neither owner nor contractor nor labor and hence never cut any tree situated in above said Khasra Nos. **1083, 1089, 1091**
5. That in response to the present para it is submitted that the applicants are greedy people and never respect the relations and petitioner no. 1 and 2 are involved in the criminal activity against his father and Uncle. The respondent no. 10 is Father of the petitioner no. 1 and 2 but in greed of property they filed the several cases against his father and uncle purposely with ill motive to get the property in their hands very soon prior to death of their parents. The petitioners/applicants have filed many litigations to grab the property while the father of the

14

applicant/petitioner no. 1 and 2 are disowned by his father i.e respondent no. 10 them from his property because of their misbehavior and misconduct to him.

6. It is denied that the applicants are having good relations with respondent no. 8 to 10. Further it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in his part to the destroy the Mangoes Bagh.
7. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.
8. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has no concern with the garden situated in above said Khasra Nos.
9. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.
10. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.

15

11. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.

12. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.

13. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.

14. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.

15. That in response to the present para it is submitted that the answering respondent has not cut any tree in above said Khasra Nos.

16. That the grounds taken by the applicants/petitioners are false, fabricated, manipulated, wrong hence strongly denied.

Limitation para is strongly denied as the present petition is filed after 6 months of the claimed date of cut of trees hence the present O.A. is liable to be dismissed.

Prayer part is highly objectionable hence strongly denied.

16

PRAYER

It is, therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to dismiss the present O.A. with high cost upon the applicants/petitioners, in the interest of justice.

Delhi

Date -20.2.24

Respondent No 8

Through Advocate

Akhilesh Kumar Singh, Adv
Ch No 605 Rohini Court
Delhi
Mob: 7248517989
Email: akhileshsinghadvocate@gmail.com

17

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

{Under Section 18(1) read with Sections 14 & 15 of the National Green Tribunal Act, 2010}

ORIGINAL APPLICATION NO. OF 2024

IN THE MATTER OF:-
DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS ....APPLICANT
VERSUS
UNION OF INDIA & ORS. .....RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, DR. DEVESH KUMAR SHARMA S/O LATE SHRI DEV SHARMA MISHRA AGED ABOUT 68 YEARS R/O MANJULIKE GARDEN, BAJORIA ROAD, SAHARANPUR, DISTRICT SAHARANPUR (UP) 247001. presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the respondent No. 8 in the above noted case and am well conversant with the facts of the case and is competent to swear this affidavit.
2. That the contents of the accompanying reply have been drafted by my counsel under my instructions and the contents of the same are true and correct and the same may kindly be read as part and parcel of this affidavit.

The Seal of the Oath Commissioner
Sl. No. [illegible]2023
Mr. UMAKANT MISHRA
App. By Delhi High Court
1/07/2023 to 30/06/2025
Delhi High Court New Delhi

18

3. That the contents of para no. 1 to a based on facts and circumstances and contents of para no. to para no. are base on legal advise.

DEPONENT

The Seal of the Oath Commissioner
Sl. No. [illegible]
Mr. UMAKANT [illegible]
App. By Delhi High Court
1/07/2023 to 30/06/2025
Delhi High Court New Delhi

VERIFICATION:

Verified at Delhi on this 21 AUG 2024 day of August 2024, that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I identify the deponent who has signed/put thumb impression in my presence.

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt./Km.
S/o W/o.D/o.Sh.
R/o
identified by Sh.
Has solemnly
on 21 AUG 2024
that the contents which have been read & explained to him are true and correct to his knowledge
Oath Commissioner Delhi High Court

DEPONENT

508 Annexure R-8A (19)

sale deed

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP46717816486675W

Certificate No.	:	IN-UP46717816486675W 1352
Certificate Issued Date	:	28-Jan-2024 06:45 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14152104/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1415210489496632427383W
Purchased by	:	MOHD HASHIM SO MOHD FAROOKH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PROPERTY SITUATED AT MANDAWAR (B.N.P) PARGANA TEHSIL AND DISTRICT BIJNOR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DEVESH KUMAR SHARMA SO DR DEV SHARMA
Second Party	:	MOHD HASHIM SO MOHD FAROOKH
Stamp Duty Paid By	:	MOHD HASHIM SO MOHD FAROOKH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	4,00,500 (Four Lakh Five Hundred only)

सत्यापितकर्ता
उपनिबंधक कार्यालय
बिजनौर (सदर)

लाककर्ता
उपनिबंधक कार्यालय
बिजनौर (सदर)

Please write or type below this line

– विक्रय पत्र ज़मीन सूचि –

0025802156

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(20)

(2)

विक्रय पत्र कृषि भूमि

1.	विक्रय मूल्य	–80,10,000/–
2	मालियत	–80,10,000/–
3.	ई–स्टाम्प	–4,00,500/–
4.	परगना	–मंडावर
5.	मौजा/ग्राम	–मंडावर ब0न0प0
6.	क्षेत्र	–ग्रामीण
7.	रकबा	–0.79275 है0
8.	सर्किल रेट	–46,00,000/–प्रति है0 व 57,00,000/–प्रति है0 + 60%

प्रारूप–04 पृष्ठ–90 क्रम संख्या 99 कालम 10

9. विक्रीत रकबा किसी राष्ट्रीय प्रान्तीय लिंक मार्ग पर स्थित नही है बल्कि जनपदीय मार्ग पर स्थित है।

10. विक्रीत आराजी की 200 मीटर त्रिज्या में कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां सभव है

11. जाति–विक्रेता अनुसूचित जाति से नही हैं।

12. बोरवेल/कुआ, भवन–नही हैं।

13. विक्रीत आराजी को धारा 80/143 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006/ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित नही किया गया है। उक्त आराजी का पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत/प्रभावी नही है। यूनिक कोड–1121691083000012

21

(3)

चौहद्दी—

पूरब मे —बाग़ आम काजी फ़ासीउर्रहमान

पश्चिम में —मंडावर बिजनौर रोड

उत्तर में —कृषि भूमि विक्रेता

दक्षिण में —कृषि भूमि विक्रेता

प्रथम पक्ष की संख्या (एक)

विक्रेता का विवरण

देवेश कुमार शर्मा

पुत्र श्री डा0 देव शर्मा

निवासी मौह0 बाँजार कला कस्बा मंडावर परगना मंडावर तहसील व जिला बिजनौर हाल निवासी हॉउस नं0—01 डॉक्टर्स लेन बाजोरिया रोड, नजदीक तारावती हॉस्पिटल, मुंजलीके गार्डन, सहारनपुर — 247001

आई0डी—आधार कार्ड

संख्या—**XXXX XXXX 5080**

पैन नम्बर—**ABZPS0670C**

मो0नं0—**9412231199**

द्वितीय पक्ष की संख्या (एक)

क्रेता का विवरण

मौ0 हाशिम

पुत्र श्री मौ0 फारूख

निवासी मौ0 बाजार मंगल कस्बा मंडावर परगना मंडावर तहसील व जिला बिजनौर

आई0डी0—आधार कार्ड

संख्या—**XXXX XXXX 5670**

पैन नं0 —**ACZPH6173N**

मो0नं0 —**9997285060**

मो0 हाशिम

22

(4)

जो कि आराजी भूमिधरी सन फसली 1426–1431 के अनुसार

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा		विक्रीत रकबा
00331	1083	0.797 है0	में से	0.338 है0
	1089	0.341 है0		सम्पूर्ण

कुल खेत– 02 कुल रकबा 1.138 है0

कुल 01 खाता कुल 02 खेत कुल रकबा 1.138है0 के खसरा नम्बर 1083 रकबई 0.797है0 में से 0.338है0 तथा खसरा नम्बर 1089 रकबई 0.341है0 सम्पूर्ण इस प्रकार उपरोक्त दोनों खसरा नम्बर की 0.679है0 आराजी विक्रय की है (अब खसरा नंबर 1089 में विक्रेता का का कोई अंश शेष नहीं रहा है), व

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
00330	1091	0.455 है0

कुल खेत– 01 कुल रकबा 0.455 है0

कुल 01 खाता कुल 01 खेत कुल रकबा 0.455है0 आराजी का अपना बकदर 1/4 भाग सम्पूर्ण यानि 0.11375है0 आराजी विक्रय की है (अब खसरा नंबर 1091 में विक्रेता का का कोई अंश शेष नहीं रहा है), इस प्रकार विक्रेता ने उपरोक्त दोनों खातों से कुल 0.79275है0 आराजी विक्रय की है, स्थित ग्राम मंडावर परगना मंडावर तहसील व जिला बिजनौर का विकेता प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधर है

23

(5)

जिसका विक्रेता/प्रथम पक्ष बजरिये न्यायलय– सिविल जज सी0 डी0 सहारनपुर वाद संख्या 61 सन 2006, डा0 देवेश शर्मा बनाम दिनेश आदि तारीख फैसला 05.12.2008 को आपसी बटवारे में प्राप्त है से पूर्ण स्वामी व अधिकारी और काबिज है मुझ विक्रेता को कृषि भूमि उक्त बेचने एवं परिवर्तन करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। कीमत भी खरीदार से मुनासिब मिल रही है लिहाजा अब बहालत स्वस्थ चित शरीर स्थिर बुद्धि व खुशी खातिर अपनी बिना बहकाएं व सिखाये किसी दीगर सख्श के अपनी खुशी व रजामन्दी से भली प्रकार सोच व विचार कर विकेता/प्रथम पक्ष ने अपनी कृषि भूमि **0.79275है0** है0 को बिला रखे उसमें से किसी भी अंश व अधिकार के बिलएवज मुबलिग 80,10,000/–अस्सी लाख दस हजार रूपये आधे जिसके 40,05,000/– चालीस लाख पांच हजार रूपये होते है द्वितीय पक्ष/केता को विक्रय कर दी और बेच डाली और कुल कीमत मे से अंकन 17,00,000/– रूपये दिनांक 16.10.2023 को व अंकन 3,00,000/– रूपये दिनांक 18.10.2023 को व अंकन 8,30,000/– रूपये दिनांक 08.12.2023 को व अंकन 14,00,000/– रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंडावर व अंकन 20,00,000/–रूपये व अंकन 17,80,000/– रूपये दोनों चेक आई0डी0बी0आई0 शाखा बिजनौर दिनांक 29.02.2024 प्राप्त कर कब्जा व दखल मौके पर बखूबी मालिकाना अपने समान क्रेता का करा दिया। अब क्रेता कागजात सरकारी में अपना नाम मेरे नाम के बजाये दर्ज करा लें इसमें विकेता अथवा वारिसान विक्रेता को कोई मौका आपत्ति करने का न होगा। खरीदार जिस प्रकार चाहें कृषि भूमि उक्त को अपने काम में लावें। आज से मुझ विकेता व मेरे वारिसान का कृषि भूमि उक्त से कोई मतलब व वास्ता नहीं रहा न आईन्दा होगा. कानूनन इस बैनामें की

(24)

(6)

कुल जिम्मेंदारी व जवाब देही व देनदारी मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता की होगी। विक्रेता के किसी कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न हो जाने के कारण संपत्ति कुल या उसका कोई अंश कब्जा खरीदार से निकल जाये या ऐसा कोई भार जिसका विक्रेता ने स्पष्ट उल्लेख ना किया हो क्रेता को चुकता करना पड़े ऐसी समस्त दशाओं में क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जा स्वयं अदालत द्वारा ले ले और अपना हर्जा खर्चा हानि भार व्यय आदि विक्रेता अथवा वारिसान विक्रेता की जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले विक्रेता अथवा वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति ना होगी। पक्षकारों की पहचान व फोटो गवाहों की शिनाख्त के आधार पर प्रमाणित की गयी है। विक्रीत आराजी वक्फ, शत्रु, चर्च, नजूल, पट्टे आदि की नही है। इस लेखपत्र में ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियां सत्यता एवं निष्ठा पूर्वक अंकित किये गये है जो इस विक्रय पत्र की मालियत एवं स्टाम्प देयता को प्रभावित करते है। खसरा नंबर 1091 के प्रथम पक्ष बजरिये बैनामा मालिक काबिज व दाखिल है। विक्रेता देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री डा0 देव शर्मा को देवेश कुमार पुत्र श्री देव शर्मा के नाम से भी जाने जाते है। विक्रीत कृषि भूमि विनियमित क्षेत्र बिजनौर के अन्तर्गत नही है विक्रीत कृषि भूमि का भू उपयोग कृषि है पार्क, खुला क्षेत्र, हरित पट्टिका/क्रीडा स्थल में अंकित नही है व उपरोक्त उल्लेखित भू–उपयोग के विरूद्ध निर्माण किये जाने की दशा मे ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही के लिये क्रेता जिम्मेदार होगा। विक्रीत खसरा नंबर 1083 में 32 पेड़ आम में से 25 पेड़ 20–40 सेमी व्यास कीमतन 75000/– रूपये व 7 पेड़ आम 40–60 सेमी व्यास कीमतन 56000/– रूपये 32 पेड़ो की कुल कीमत अंकन 131000/– रूपये का 1/2 भाग यानि 65500/– रूपये तथा खसरा नंबर 1089 में 10 पेड़ आम 20–40 सेमी व्यास कीमतन 30000/– रूपये तथा खसरा नंबर 1091 में 10 पेड़ आम 20–40 सेमी व्यास कीमतन 30000 /– रूपये का 1/4 भाग यानि 7500/– रूपये इस प्रकार विक्रीत आराजी में खड़े कुल पेड़ो की कीमत अंकन 103000/– रूपये कुल मालियत में शामिल है। खसरा नंबर 1083 के विक्रीत रकबा 0.338है0 में से 0.50है0 यानि 500 वर्ग मीटर पर अंकन 3850/– रूपये की दर से अंकन 1925000/– रूपये तथा शेष 0.288है0 पर 57,00,000/– रूपये + 60% की दर से 2627,0000/– रूपये तथा शेष 0.45475है0 आराजी पर 46,00,000/– + 60% की दर से अंकन 3347,000/– रूपये कुल मालियत में शामिल है।

मो० फारूख

25

(7)

फोटो विक्रीत कृषि भूमि

स्थित ग्राम मंडावर परगना मंडावर तहसील व जिला बिजनौर

मौ॰ घोसान

26

(8)

200 मीटर त्रिज्या का नक्शा

स्थित ग्राम मंडावर परगना मंडावर तहसील व जिला बिजनौर

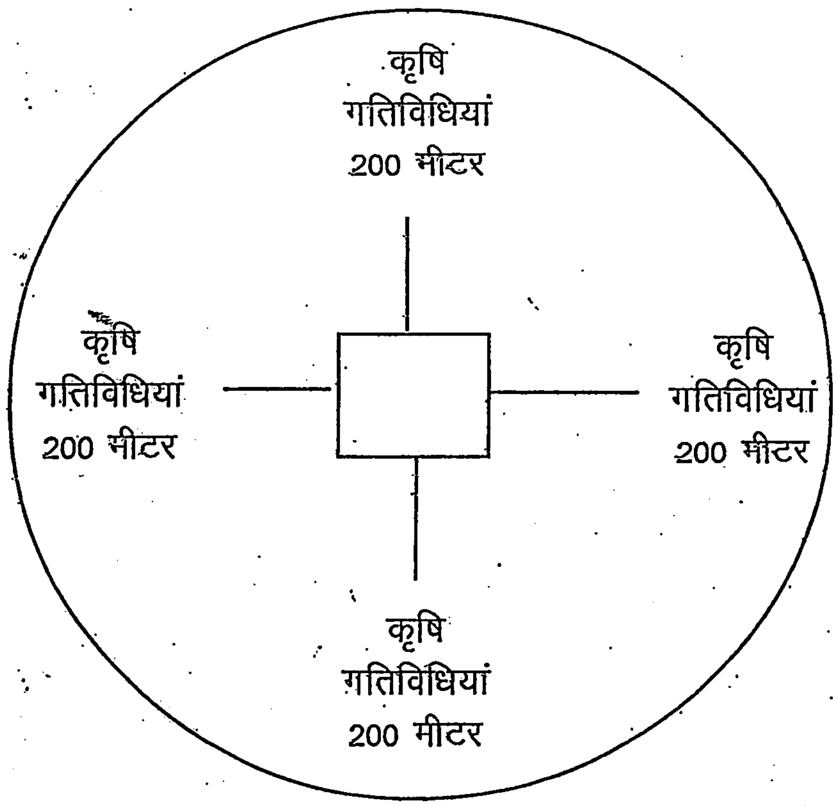

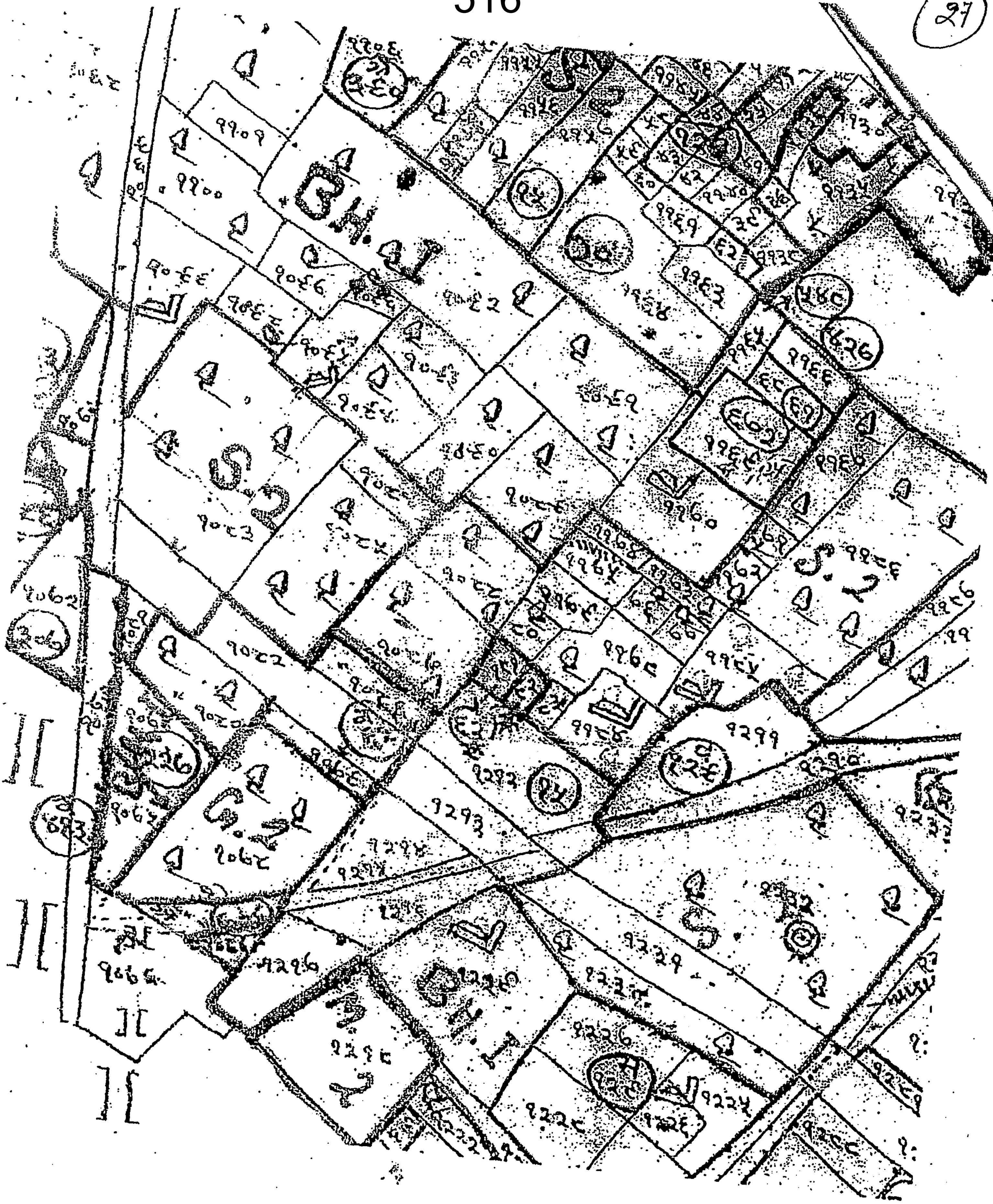

28

(10)

अतः यह बैनामा लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवें। इति।

नोट- विक्रीत खसरा नम्बर 1083 में सड़क किनारे बने व्यावसायिक भवन/दुकान को क्रेता द्वारा क्रय नहीं किया गया है। मो० शाकिर

मो० शोएब

गवाह–मौहम्मद इस्लाम रशीद पुत्र श्री अब्दुल रशीद निवासी मौहल्ला सराय मीर, नगीना, परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर।
आधार –XXXX XXXX 6298 मो०नं० –9319676573

गवाह–दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा निवासी मौ० बाजार मंगल कस्बा मंडावर परगना मंडावर तहसील व जिला बिजनौर हाल निवासी मकान न० 1859/1, सुशीला क्लीनिक, मंडी रेलवे रोड, पिलखुआ हापुड़– 245304
आधार–XXXX XXXX 1864 मो०नं०–6363240399

आज दिनांक 29.01.2024 को मौ० उमर एड० रजि० संख्या 5607/88 कचहरी बिजनौर के बोलने पर टाईप किया गया।

29/01/2024

Md. Umar Advocate
Reg. No. UP5607/88
COP No. 035753, Ch. No. B-18
Collectorate, Bijnor (U.P.)
Mob. 9411634680

29

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh IN UP46717816486875

e-Stamp

RABIYA PAR

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

30

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount (Rs.)

IN-UP48717816486675W 1352

28-Jan-2024 06:45 PM

NEWIMPACC (SV)/up14152104/BIJNOR SADAR/UP-BJN

SUBIN-UPUP1415210489496632427383W

MOHD HASHIM SO MOHD FAROOKH Article 23 Conveyance

: PROPERTY SITUATED AT MANDAWAR (BNP) PARGANA TEHS DISTRICT BIJNOR

DEVESH KUMAR SHARMA SO DR DEV SHARMA

: MOHD HASHIM SO MOHD FAROOKH MOHD HASHIM SO MOHD FAROOKH

: 4,00,500 (Four Lakh Five Hundred only)

verified tightening

- 31

dhik office

Neer (Sadar)

loveliness

Upnik Car Bijnor (Sad)

Sale Letter Agriculture Sahi-

0025802156

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Photo Mohd. U Collectorute, BijfMER

Phol Mobi

(2)

sale deed agricultural land

selling price

-80,10,000/-

wealth

2

32

-80,10,000/-

3. E-Stamp

4

5

-4,00,500/-

-Mandawar

Bhauja/Gram

- Mandawar 20N.P.

Area

- Rural

acreage

-0.79275 हे०

8.

circle rate

Pholo Altastea Mohd. Uvacatu Collectorate, BIJNOR

-46,00,000/- per hectare and 57,00,000/- per hectare + 60%

Format-04 Page-10 Serial No. 99 Column 10

9. The sold area is not situated on any national provincial link road but on the district road.

10. Apart from agriculture, activities other than agriculture are possible within 200 meter radius of the sold site.

11. Caste-Vendors do not belong to the Scheduled Caste.

12. Borewell/well is not a building.

13. Vishit Araji has not been declared a non-farmer under Fodder 80/143 Uttar Pradesh Revenue Code 2006/JV Adhi. No previous agreement of the said tenant has been registered/effective. Unique Code-1121691083000012

Asha

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: (3)

Chowdhadi-

34

In the East - Bagh Aam Qazi Fasiur Rahman

In the West - Mandawar Bijnor Road

In the north - agricultural land seller

In the south - agricultural land seller

Number of first party (one)

Seller Details

Devesh Kumar Sharma

Son Shri Dr. Dev Sharma

Resident Mohd. Baujar Kala Town Mandawar Pargana Mandawar Tehsil and District Bijnor Hall Resident House No. 01 Doctors Lane Bajoria Road, Near Taravati Hospital, Munjalike Garden, Saharanpur - 247001

ID-Aadhaar Card

Number-XXXX XXXX 5080

PAN Number-ABZPS0670C

35

मो०नं०-9412231199

Second party number (one)

Buyer's Details

Mr. Hashim

Son Shri Md Farooq

Resident Mau Bazar Mangal Kasba Mand

Pargana Mandawar Tehsil and District Bij

ID-Aadhaar Card

Number -XXXX XXXX 5670

PAN No. – ACZPH6173N

मो०नं० -9997285060

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: (4)

Which is according to Araji Bhumidhari year Fasli 1426-1431

36

account number

00331

measles number

1083

1089

acreage

0.797 out of 0

0.341 80

Area in sale

0.338 है०

the whole

Total fields- 02, total area 1.138 hectares.

TXC

37

Total 01 account Total 02 fields Total area of 1.138 hectares Khasra number 1083 runs 0.797 hectares out of which 0.338 hectares and Khasra number 1089 area is 0.341 hectares Total Thus, 0.679 hectares of area of both the above Khasra numbers has been sold (In Khasra number 1089 the seller's land is no fraction is left), and

account number

00330

measles number

1091

Total fields- 01

acreage

0.455 हैं०

Total area is 0.455

Total 01 account Total 01 field Total area 0.455 ha Araji has sold his own share of 1/part of the whole i.e. 0.1137580 Araji (Now Khasra No. 1091 no part of the seller is left), thus the seller has sold a total of Rs 0.79275 from the above two accounts. Haaraji is for sale, the seller is the first party transferable landholder of village Mandawar, Pargana Mandawar tehsil and district Bijnor.

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: (5)

Whose Seller/First Party Bajriya Court Civil Judge C.D. Saharanpur

Case No. 61 of 2008, Dr. Devesh Sharma vs. Dinesh etc. Date: Judgment received in mutual partition on 05.12.2008. I, the seller, am the full owner, officer and occupier of the said agricultural land and have full rights to settle and change the said agricultural land. The price is also reasonable from the buyer, hence now for the sake of restoration, healthy mind, body, stable intellect and happiness, without being misled or taught by any other person, with his own happiness and consent, the seller/first person has given his agricultural land for 0.792750 hectares. 80,10,000/- eighty lakh ten thousand rupees were received in lieu of any share or rights in it, out of which Rs. 40,05,000/- forty lakh five thousand rupees were sold to the second party/buyer and the total price Out of Rs. 17,00,000/- dated 18.10.2023 and Rs. 3,00,000/- dated 18.10.2023 and Rs. 8,30,000/- dated 08.12.2023 and Rs. 14,00,000/- 'Punjab National Bank branch Mandawar and marked Rs. 20,00,000/- and marked Rs. 17,80,000/- both checks IDBI branch Bijnor dated 2902.2024 and after taking possession and encroachment on the spot, effectively handed over the ownership to the equal buyer. Now the buyer should register his name instead of my name in the government documents, in this the seller or the heir of the seller will not have any chance to object. The buyer can use the agricultural land as per his wish. Today, I, the seller and my heirs will no longer have any interest or connection with the said agricultural land, as per the law, this contract will be concluded.

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: (6) The total responsibility and accountability and liability will be of me, the seller and the heir of the seller. In all such cases, if the buyer loses possession of the property or any part of it due to any reason of the seller or due to the emergence of any partner, or if the buyer has to pay any encumbrance which has not been clearly mentioned by the seller, the buyer will have the right to He should take the possession himself through the court and recover his damages, expenses, loss, burden etc. from the property of the seller or the heir as per his wish; the seller or the heir will not have any objection to the seller. The identity of the parties has been certified on the basis of photo identification by the witnesses. The property sold does not belong to Waqf, enemy, church, Nazul, lease etc. All such facts and circumstances have been recorded truthfully and honestly in this deed of sale which affect the value and stamp liability of this deed of sale. The first party deed of Khasra No. 1091 is in owner possession and registered. Vendor Devesh Kumar Sharma S/O Shri Dr. Dev Sharma is also known as Devesh Kumar S/O Shri Dev Sharma. The sold agricultural land is not under the regulated area of Bijnor and the land use of the sold agricultural land is agriculture and park. The open area is not marked in the green plate/play ground and in case the construction is done against the land use mentioned above, the buyer will be responsible for all legal action including demolition. In Khasra No. 1083, out of 32 mango trees, 25 trees were 20-40 cm diameter, priced at Rs 75000/- and 7 mango trees were 40-60 cm diameter, priced at Rs 56000/-. Total price marking of 32 trees was Rs 131000/- 1/2 of Part i.e. Rs 65500/- and in Khasra No. 1089, 10 trees of mango 20-40 cm in diameter were priced at Rs 30000/- and in Khasra No. 1091, 10 trees of mango 20-40 cm in diameter were priced at Rs 30000/-, 1/4 part i.e. 7500/- - Rs. 103000/- is included in the total value of the total trees standing in the sold Araji. Out of the sold area of Khasra No. 1083, 0.50 hectares i.e. 500 square meters is marked at the rate of Rs 3850/- and the remaining 0.288 hectares is marked at the rate of Rs 57,00,000/- + 60% at the rate of Rs

Txl

2627,0000/-. - Rs. and the remaining 0.45475 hectares of land is marked at the rate of Rs. 4600000/- + 60%, which is included in the total value of Rs. 33,47,000/-.

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: (7)

Photo: Village Mandawar located on sold agricultural land, Pargana Mandawar Tehsil and District Bijnor.

Bijnor Janar District

Jahar Pradash

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: (a)

Map of 200 meter radius village Bhandawar, Pargana Mandawar tehsil and district Bijnor.

activities 200 meters

activities 200 meters

activities 200 meters

agricultural activities 200 meters

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: (10)

Therefore, this deed was written so that it would be registered and would be useful on time. Note: Commercial units built on the roadside in Bharpra No. 1083. The store is not sorted by buyer. Hashim in

40

Witness- Mohammad Islam Rashid, son of Shri Abdul Rashid, resident of Mohalla Sarai Nagina, Pargana and Tehsil Nagina, District Bijnor. Aadhar - XXXX XXXX 6298 Mob. No.-9319676573

Muhammad Aslam 2

Witness - Dinesh Kumar Sharma, son of Shri Dev Sharma, resident of Mau Bazar Mangal Town, Manda Pargana Mandawar Tehsil and District Bijnor Hall, resident of House No. 1859/1, Sushi Clinic, Mandi Railway Road, Pilkhua Hapur- 245304 Aadhaar- XXXX XXXX 1864 Mob. No. 6363240399

Today on 29.01.2024, Hon. Umar Ed. Reg.

It was typed on the request of Kachari Bijnor.

Ma. Umar Avda

mar Advoc

Reg. No. UP58078

COP NO. 035753. Ch Na

Collectorate, Elinor U

Sick. 841163469

[19:24, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Pain No: 202400713001540

Book number. Pages 265 to 284 of volume number 13211

TxL

Annexure R-18 530

अति आवश्यक/स्पीड पोस्ट द्वारा

संलग्नक-(2) 41

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,

जनपद - हापुड़, (उ०प्र०)

विषय:- दिनांक 27 मई, 2022 को मोबाईल सं. +91 9883711590 से मेरे मो. सं. +91 6363240399 पर दो बार मुझे भद्दी-2 गाली दी गई तथा दोनों बार मुझे गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी जाने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय।

अत्यन्त विनम्र एवं ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत आई. पी. कमीशन जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, 34 वर्षों तक अत्यन्त ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद से जून, 2018 को सेवानिवृत्त 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं तथा पिलखुवा में अपने आवास में रह रहा हैं।

महोदय, दिनांक 27 मई, 2022 को दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तथा 1 बजकर 53 मिनट पर किसी अनजान पुरुष से अथवा उस व्यक्ति ने सर्वप्रथम मेरा नाम पूछा कि, "तू दिनेश कुमार शर्मा बोल रहा है" मैंने बोला हाँ मैं दिनेश कुमार शर्मा ही बोल रहा हूं उसने तुरन्त बहुत भद्दी-भद्दी व गन्दी-2 गालियाँ देनी प्रारम्भ कर दी तथा मुझे गोली से जान से मारने की धमकी दी, उसके उपरान्त पुनः फोन काल को मैंने पुनः मो. उठाया उस व्यक्ति ने पुनः गन्दी-2 गालियां दी तथा मुझे अपनी पिस्तौल से गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी। मुझे दी जाने वाली गालियों का उल्लेख अक्षरशः मैं इस पत्र में नहीं लिख सकता क्योंकि वह अशोभनीय होने के कारण लिखने योग्य नहीं है।

प्रश्नगत मो. नं. +91 9883711590 से एक पुरुष की आवाज थी परन्तु मेरे मोबाईल में ट्रूकॉलर (Truecaller) एप होने के कारण मोबाईल के स्वामी का नाम भी प्रदर्शित हो जाता है। काल के समय कोई "MADHU KUMARI" नामक महिला का नाम प्रदर्शित हो रहा था।

महोदय, मैं विगत 15 वर्षों से उच्च रक्त चाप (Hypertension) व मधुमेह टाईप-2 से पीड़ित हूं अतः गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया परिणामतः औषधियों के साथ मुझे 2 दिनों तक बिस्तर पर पूर्ण विश्राम करना पड़ा।

अतः आपसे विनम्र करबद्ध प्रार्थना है कि उक्त घटना की उचित दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी को सजा दिलाने का कष्ट करें। आपकी इस अनुकम्पा के लिए प्रार्थी जीवन-पर्यन्त आपका आभारी रहेगा।

ससम्मान।

प्रार्थी

(दिनेश कुमार शर्मा)

दिनांक - 01 जून, 2022

मो० नं. +91 6363240399

संलग्नक- मो.सं. +91 9883711590 की (स्क्रीनशॉट) काल हिस्ट्री की छायाप्रति

पुत्र स्व.श्री. (दिनेश कुमार शर्मा) श्री रामकिशन

पता- 1810, पूर्ववर्ती सुशीला क्लीनिक, रेलवे रोड, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलेज, थाना व कोतवाली - पिलखुवा - 245304

Jl

42

सेवा में

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़

संदर्भ,-प्रार्थी द्वारा प्रेषित पूर्व शिकायत पत्र दिनांक 3/7/2023 तथा 3/1/2023 के संदर्भ में

मान्यवर

प्रार्थी भारत सरकार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय से वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है मान्यवर सविनय सादर करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी ने श्रीमान जी को दिनांक 1/8/2023 को। श्री सुशील शर्मा श्री अंकुर शर्मा श्री नरेश शर्मा दीपक कुमार श्रीमती अंकित रानी व श्रीमती मंजू शर्मा आदि के विरुद्ध विधि कार्यवाही करने हेतु एक शिकायत पत्र दिया था क्योंकि उपरोक्त व्यक्तिगत एक सूची समझी साजिश के तहत मेरी कस्बा मंडावर जिला बिजनौर तथा 1859/2 रेलवे रोड पिलखुवा जिला हापुड़ में स्थित पारिवारिक समझौते वसीयत के आधार पर माननीय सिविल जज सीडी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अंतिम निर्मित वसीयत के पश्चात मेरे स्वयं के नाम ए अचल संपत्तियों को मुझे जबरन मुझे गाली गलौज जान से मारने की धमकी देकर डरा धमका कर मुझसे छीन कर उसे पर अनाधिकृत असंवैधानिक तरीके से कब्जा करने के लिए विमान कई वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं जिस कारण मुझे लगातार मानसिक आघात पहुंचाने चले आ रहे हैं मेरा एक किताब आवासीय प्लाट गीता नगरी बिजनौर में था तथा श्री सुशील शर्मा व श्री अंकुर शर्मा जो कि मेरी छोटी पुत्रवधू श्रीमती अंकित शर्मा के क्रमशः चाचा वह भाई हैं का भी मकान मोहल्ला गीता नगरी बिजनौर के प्लांट के पास ही है उन पर भी कब्ज़ा करने की योजना बना रखी थी मुझे जब ज्ञात हुआ तो मैंने उसे भेज दिया था उक्त प्लाट के बचने के बाद से ही श्री सुशील शर्मा श्री अंकुर शर्मा तथाश्रीमती अंकित शर्मा व श्रीमती मंजू शर्मा लगातार मुझे उक्त प्लाट की बिक्री से प्राप्त पैसों को मांगते चले आ रहे हैं तथा वह भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर वह रकम हम लोगों को नहीं दी तो तुझे जान से मार देंगे इन्ही कारणों से उक्त सभी व्यक्तियों ने दिनांक 1 10 6 2023 को हम हमारे साथ मेरी पुत्रवधू श्रीमती अंकित शर्मा पत्नी दीपक कुमार से मुझ पर झूठे तथ्यहीन वह बिना किसी स्वास्थ्य के एक शिकायत मारवाड़ पुलिस चौकी पिलखुवा पर तत्कालीन श्री मनीष बालियान जी श्री श्री नितिन शर्मा सी को अपने पास से करके दी तथा श्री जितेन शर्मा सी ने मोबाइल संख्या 992739 1098 से मुझे फोन कर पुलिस चौकी पर बुलवाया पुलिस चौकी पर जब मैं पहुंचा तो मुझे शिकायती पत्र के विषय में बात कर बोला कि तुम्हें जेल भेज देंगे मैं श्री मनीष बालियान जी को शिकायत करने के मूल कारण को बताना चाह तथा कहा कि मैं किसी को भी कोई गाली गलौज तथा शब्द नहीं कहे हैं तो उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी वहीं पर

43

बैठे श्री सुशील शर्मा श्री अंकुर शर्मा श्री नरेश शर्मा जो कि श्री सुशील शर्मा के रिश्ते में भाई लगते हैं उन्होंने मेरे टुकड़े-टुकड़े करने वह जान से मारने की धमकी दी मैंउच्च रक्तचाप वह मधुमेह रूप से विगत 15 वर्षों से पीड़ित हूं तथा यह तथ्य उन सभी व्यक्तियों को भलीभांति ज्ञात है इसलिए भी यह सभी लोग जानबूझकर सूची समझी साजिश के तहत यह सोच प्रपंच कर रहे हैं कि उपरोक्त सभी मेरे साथ किए गए कृत्यो का सविस्तार व सिलसिले वार दे रखा है तथा पूर्व में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायती पत्रों की फोटो कापी भी मैंने अपने दिनांक 3/7/2023 वह 1/8/2023 के पत्रों के साथ प्रेषित की है।

दिनांक 18/2/2023 को श्रीमान जी को दिए गए दस्ती शिकायत पत्र का श्रीमान जी द्वारा संभवत संज्ञान लिया गया था तथा मुझे मौखिक रूप से श्रीमान जी ने निरीक्षक थाना पिलखुवा वह प्रभारी श्री पिंटू कुमार मारवाड़ पुलिस चौकी पिलखुआ से मिलने को भी आदेशित किया था जिसके अनुपालन में मैं दिनांक 10/8/2023 को श्री नीरज कुमार श्री निरीक्षक कोतवाली पिलखुवा से व्यक्तिगत रूप से मिला था तथा दिनांक 10/8/2023 11/8/2023 तथा 12/8/2023 को श्री पिंटू कुमार जी से मिला तथा उपरोक्त समस्त अधिकारी गणों से विपक्षी व्यक्तियों के विरुद्ध श्रीमान जी के आदेश के अनुसार अनुपालन में विधिक कार्यवाही करने की गुहार भी लगाई परंतु आज दिनांक तक विपक्षी गणों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया विपक्षी गणों पर से ग्राहक शीघ्र विधि कार्यवाही करने के आदेश प्रदान कर कृतार्थ करें

सर धन्यवाद आदर सहित प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर देव शर्मा मिश्रा 1859/1 सुशीला क्लिनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखुवा जिला हापुर उत्तर प्रदेश मोबाइल संख्या 636 3240399

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: सेवा में,

(14)

the SP

Hapur

Subject :Complaint regarding the abuse and Threate to short the applicant on 27th may 2022 through mobile number 9883 711 590 2 mobile number 916363 240 399

Respectfully submitted that the applicant is a retired person from Health and Family Welfare Ministry Government of India under IP commission which is an international level Institute after 34 years doing the job honestly and with full from the post of scientific officer on June 2016 as he is 65 year old senior citizen.

Sir on 27th May 2022@1pm and 52 minutes and 1:00 p.m. 53 minutes some unknown person called me on my phone and asked my name stating to Dinesh Kumar Sharma bol raha hai I stated yes I am Dinesh Kumar Sharma speaking to abuse in filthy languages and to kill me .He repeatedly called I lifted my mobile that person again begin to abuse me and to shoot me with his pistol. I cannot mention the abusive language of that person has they are not parliamentary and not mentionable.

The mobile number in question 9198 837 115 90 the voice was offer man but it was found through Truecaller that it is registered in the name of Madhu Kumari a woman.

I am suffering from high blood pressure and type 2 diabetes for 15 years and due to the abusive language and returning my blood pressure has become increased consequently I have to got the medicine for 2 days resting on bed.

It is there food requested that kindly got registered the above complaint to punish the culprits I shall be highly obliged for whole life. complainant

Dinesh Kumar Sharma son of late Shri Dev Sharma Mishra

1810 purv varti Sushila Clinic railway route near Sarvoday Inter College

Date 01June 2022 mobile number 6363240 399

in

En

Annexure R-8

(45) [redacted]

(4 500/- में)

EU794109326IN
12/07/2022, DM,
Hapur.

EU794109326IN RR:8057591073...
...
Counter No:2, 12/07/2022, 10:11
To:I.. ...
PIN:245101, Hapur HO
From:DINESH K. ...
Wt:50gms
Amt:...(Cash)Tax:6.30

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जनपद – हापुड़

महोदय !

अतीव विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा एक सेवानिवृत्त राजकीय ... बालिका ... माध्यमिक है जो कि स्वा० एवं प० कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की लगभग 34½ वर्षों तक सेवा देकर, कर्तव्यपरायणता एवं ईमानदारी से, सेवा करके जून 2018 को सेवानिवृत्त हुआ है।

मेरे 3 सन्तान हैं। दो पुत्र व एक पुत्री। पुत्री अपने पति के साथ अमेरिका में है। दोनों पुत्र भी विवाहित हैं। बड़ा पुत्र दुर्गेश कुमार राष्ट्रीय राजमार्ग-09 (पूर्व में NH-24) पर स्थित अन्सल टाउनशिप के मकान में अपने परिवार के साथ रहता है।

छोटे पुत्र दीपांक कुमार को मैंने उसकी इच्छानुसार अपने जन्म स्थान कस्बा - मन्डावर, जनपद - बिजनौर (उ०प्र०) पर स्थित मेरी सम्पत्ति जो कि मुझे मेरे पिताजी द्वारा उनके स्वर्गवास होने के पश्चात् वसीयतनामे द्वारा प्राप्त हुई है, पर उसको कोठी की बिल्डिंग व दुकानें मकान में रहने को दिया था। कोठी में समस्त आधुनिक उपकरण जैसे ... ओवन, फ्रिज, ... आदि लगवा कर दिए थे। परन्तु छोटे पुत्र की अकर्मण्यता के कारण तथा पत्नी के दबाव के कारण ... विवाह के पश्चात उसने कोठी जाना ही बन्द कर दिया तथा वह पिलखुवा स्थित मेरे मकान पर जबरन-2 आने जाने लगा तथा गुस्सा कर-2 दोनों पति-पत्नी यह दबाव बनाने लगे कि हमें मन्डावर में नहीं रहना तथा हमें पिलखुवा, या गाजियाबाद या बिजनौर (सिटी-शहर में) मकान बनवाकर दो तथा कोठी बेचकर दुकान लेकर दो।

मैंने अपनी ईमानदारी से नौकरी की है मेरे पास इतना पैसा नहीं था अतः मैंने कहा मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। बस तभी से दीपांक कुमार व उनकी पत्नी श्रीमती अंकिता ने मुझसे झगड़ा व ... व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया, एक दिन तो गाली से

क्रमशः पृष्ठ – 2 पर

TKL

46

16:25 100%

+919883711590

Add note

27 May

18:36
Blocked call

14:07
Outgoing call, 0 mins 33 secs

13:53
Incoming call, 0 mins 10 secs

13:52
Incoming call, 0 mins 21 secs

Add Share Unblock More

मार्च, 2020 में मेरे छोटे पुत्र दीपांक कुमार, मेरी पुत्रवधू दीपांक की पत्नी श्रीमती अंकिता तथा मेरी पत्नी मंजु शर्मा ने मेरी [illegible] को मेरे मकान से [illegible] और [illegible] का मकान दीपांक के तथा उसकी पत्नी श्रीमती अंकिता के नाम कर। जब मैंने मना किया तो मंजु शर्मा ने मुझसे पलंग से [illegible] आदि मारना शुरू कर दिया तथा दीपांक बोला कि बुड्ढे का क्या [illegible] कर ले चाहे [illegible]। जिसकी शिकायत मैंने तत्कालीन कोतवाल श्री राठौर साहब से की।

उन्होंने घर का मामला समझते हुए मंजु शर्मा को फोन कर फटकारा। परन्तु दिनांक 28-08-2021 को मंजु शर्मा और दीपांक कुमार ने मुझे अपनी पुत्रवधू के रेप करने की रिपोर्ट थाने में देने की धमकी दी। इससे पूर्व में भी मंजु शर्मा पूर्व में काम करने वाली नौकरानी से भी मेरे विरुद्ध रेप करने की शिकायत दर्ज कराने की धमकी दे चुकी थी परन्तु सत्य न होने के कारण उस नौकरानी के लिखित बयान मेरे पास हैं फोटो प्रति संलग्न कर रहा हूँ साथ ही दिनांक 02-07-2021 को मेरे द्वारा कोतवाली [illegible] प्रार्थना रिपोर्ट की फोटो प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ जिसमें पूर्व में की गई घटनाओं का उल्लेख है। कृपया कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक 01-07-2022 की शाम दीपांक कुमार व मंजु शर्मा ने मुझे फिर यह धमकी दी कि हम तुझे इस बार थाने में नहीं कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे कि तूने श्रीमती अंकिता से रेप किया है। मंजु शर्मा ने कहा कि मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ मेरे [illegible] ऐसी रिपोर्ट बनाएंगी कि तुझे उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिलेगी और तू सारी जिन्दगी जेल में [illegible]

कृपया पृष्ठ 3 पर

आदरणीय जिलाधिकारी महोदया मुझे अपने छोटे पुत्र दीपांक कुमार उसकी पत्नी श्रीमती आंचल व मंजू शर्मा से अपनी जान-माल व प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न हो गया दीपांक कुमार मेरे आवास स्थित मकान में ताला लगाकर अब पिलखुवा में कहीं किराये में मकान लेकर रह रहा है तथा मुझे यह कहकर धमका रहे हैं कि मैं मेरे मकान में कहीं नहीं रहना जो करना है कर लो मुझे दहेज के केस में फंसाकर जेल भिजवाऊंगा।

मेरे पिलखुवा स्थित आवास पर दीपांक कई बार मुझसे मारपीट भी, अभद्र व्यवहार कर चुका है अतः मैंने अपने पुत्र दीपांक कुमार व उसकी पत्नी श्रीमती आंचल को अपनी सम्पत्ति से बेदखल का समाचार पत्र "[illegible]" [illegible] जो कि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र है, दिनांक 15 दिसम्बर 2021 को प्रकाशित भी करा दिया गया है पुलिस सहायता हेतु इस पत्र के साथ छायाप्रति संलग्न की जा रही है। चूंकि दीपांक कुमार व उसकी पत्नी श्रीमती आंचल से मेरा अब कोई सम्बन्ध नहीं है अतः इन दोनों को कृपया मेरे भवन से होकर आने-जाने व मेरे भवन के मुख्य द्वार पर दीपांक अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है, और इस कार्य से रोकने का कष्ट करें। ताकि मैं अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक कर सकूं। पिलखुवा स्थित भवन का आगे का भाग मेरे नाम पर है जिसका आने जाने का मार्ग मुख्य सड़क रेलवे रोड से है तथा भवन के पिछले भाग मेरी बेटी मंजू शर्मा के नाम पर है जिसका उत्तर पूर्व दिशा में स्थित 20' चौड़ा मार्ग जो कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज है उधर से है, उक्त रास्ता रेलवे रोड से शिवाजी नगर मौहल्ले पर खुलता था अज्ञात लोगों ने उक्त सरकारी रास्ते को बन्द किया हुआ है कृपया मंजू शर्मा के उक्त रास्ते को चालू करवाकर दीपांक कुमार व उसकी पत्नी को उधर से आने जाने के कृपया आदेश पारित करने का कष्ट करें।

कृपया पृष्ठ 4 पर --

 49

— 4 —

जहाँ पर यह श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दीपक कुमार व उनकी पत्नी मेरे भवन के अन्दर जाने वाली गैलरी को लोगों रास्ता बताते हैं जबकि मेरे भवन के बाहर बने सरकारी मार्ग से भवन की ओर सरकारी भूमि को छोड़कर समस्त भूमि का आवासीय प्लॉट रेट से रजिस्ट्री अदा करके मेरे द्वारा क्रय किया गया है। अतः यह गैलरी रास्ते में न दिखाकर उक्त भूमि मेरे भवन का ही भाग है। जब तक मंजु शर्मा विधिक रूप से मेरी पत्नी है उनके उक्त गैलरी से आने जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है जबतक कि यह उक्त गैलरी में कोई व्यवधान उनके द्वारा नहीं किया जाता है।

मंजु शर्मा ने लगभग 3½ वर्ष पूर्व मुझसे मेरे अपने हिस्से आवासीय भवन के अगले भाग में जाने के लिए बार-2 दबाव डाला क्योंकि मैं शांति से रहना चाहता था तो मैं 3½ वर्षों से अपनी पत्नी से कोई वास्ता न रखकर अलग से हिस्से की मरम्मत करवाकर अपना अलग बिजली कनैक्शन लेकर रहता चला आ रहा हूँ। जिसका संदर्भ हेतु बिजली बिल की फोटोप्रति संलग्न कर रहा हूँ।

मैं विगत 15 वर्षों से उच्च रक्तचाप व मधुमेह से पीड़ित हूँ जबकि मैं सदैव सात्विक भोजन व सदैव सादा जीवन जीता हूँ परन्तु मेरे चिकित्सक ने मुझे बताया कि यह रोग लम्बे समय तक मानसिक तनाव के कारण भी हो जाता है। चूँकि मंजु शर्मा विगत 22 वर्षों से अलग रहती है इन एक छत के नीचे जाकर रहने पर झगड़े होते रहते अलग-2 थे इसी कारण मुझे मानसिक तनाव रहा है।

अतः परम आदरणीया जिलाधिकारी महोदया आपसे अत्यन्त विनम्र भाव से करबद्ध प्रार्थना है कि मुझ असहाय व रोगग्रस्त वरिष्ठ नागरिक की जान माल से सुरक्षा प्रदान करते हुए छोटे पुत्र दीपक कुमार, उसकी पत्नी श्रीमती [illegible] व मंजु शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही कर मुझे इन कष्टों से निजात दिलाने का कष्ट करें।

आपकी इस अति कृपा के लिए प्रार्थी जीवन पर्यन्त आपका आभारी रहेगा।

सादर धन्यवाद।

दिनांक — 12-07-2022

संलग्नक — (1) लिखित शिकायत की छायाप्रति

(2) थाने में प्रार्थना पत्र दि. 02.07.2021 की छायाप्रति

(3) समाधान पत्र 15-12-2021 की छायाप्रति

(4) बिजली बिल की छायाप्रति

(5) आधार-कार्ड की छायाप्रति

(6) पूर्व की नोटरी श्रीमती [illegible] द्वारा लिखित बयान

प्रार्थी

दिनेश कुमार शर्मा (हस्ताक्षर)

(दिनेश कुमार शर्मा)

पुत्र स्व. डा० डी० एस० मिश्रा

1810, सुशीला क्लीनिक के पीछे (पूर्वी), रेलवे रोड, निकट सर्वोदय इण्टर कालेज, पिलखुवा, जि० - हापुड़, 245304 (उ०प्र०)

मो० नं० 6363240377

(हस्ताक्षर)

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद हापुड़

ससम्मान

अति अति विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा एक जो कि स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की लगभग साढे 34 वर्षों तक सत्य निष्ठा कर्तव्य परायणता एवं ईमानदारी से सेवा करके जून 2018 को सेवानिवृत्ति हआ है वरिष्ठ नागरिक है।
मेरे तीन संतान है दो पुत्र एक पुत्री पुत्री अपने पति के साथ अमेरिका में है दोनों पुत्र भी विवाहित हैं बड़ा पुत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 095 पूर्व में न 24 पर निर्मित आंसर तनुश्री के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता है।

दूसरा पुत्र दीपक कुमार को मैंने उसकी इच्छा अनुसार अपने जन्म स्थान कस्बा मंडावर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश पर स्थित मेरी संपत्तियां जो कि मुझे मेरे पिताजी द्वारा उनके स्वर्गवास होने के बाद रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा प्राप्त हुई है पर उसको बेकरी की फैक्ट्री व दूसरे मकान में रहने को दिया था। बकरी से समस्त आधुनिक उपकरण जैसे ऑटोमेटिक ओवन मिक्सर ऑटोमेटिक आदि लगा कर दिए थे परंतु छोटे पुत्र की आक्रमान्यता के कारण तथा उसकी पत्नी के दबाव के कारण विशेषता विवाह के पश्चात उसने फैक्ट्री जाना ही बंद कर दिया तथा वापी लकवा स्थित मेरे मकान पर जल्दी आने जाने लगा तथा मुझ पर बार-बार दोनों पति-पत्नी यह दबाव बनने की हमें मंडावर में नहीं रहना तथा हमें पिलखुवा या गाजियाबाद या बिजनौर किसी शहर में मकान बनवाकर दो तथा फैक्ट्री अथवा दुकान लेकर दो।

मैं सदैव ईमानदारी से नौकरी की है मेरे पास इतना पैसा नहीं था तथा मैं वहां ऐसा करने में असमर्थ हूं। बस तभी से दीपक कुमार वह उसकी पत्नी श्रीमती अंकित ने मुझे गंडवा अभद्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया एक दिन तो सभी ने मार्च 2020 में मेरे छोटे पुत्र दीपन कुमार मेरी पुत्रवधू दीपक कुमार की पत्नी अंकित तथा मेरी पत्नी मधु शर्मा ने मेरी बहुत बेज्जती की तीनों बोले मंदार की सारी संपत्ति और पिलखुआ का मकान दीपक के तथा उसकी पत्नी अंकित के नाम पर कर दो जब मैं मना किया तो मधु शर्मा ने मुझे पलंग से तकिया उठाकर मारना शुरू कर दिया तथा दीपक बोला कि बुड्ढे का सारा सामान घर से बाहर उठाकर फेंक दो जिसकी शिकायत मैंने तत्कालीन कोतवाल श्री राठौर साहब से की उन्होंने घर का मामला बस समझते हुए मंजू शर्मा को फोन पर फटकार परंतु दिनांक 28 2021 को मंजू शर्मा व दीपन कुमार ने मुझे अपनी पुत्रवधू से रेप करने की रिपोर्ट खाने में देने की धमकी दी इसके पूर्व में भी मंजू शर्मा पूर्व में काम करने वाली नौकरानी से भी मेरे विरुद्ध रेप करने की शिकायत दर्ज करने की धमकी दे चुकी थी परंतु सत्य ना होने के कारण उक्त नौकरानी के लिखित बयान मेरे पास हैं फोटो प्रति संलग्न कर रहा हूं साथ ही दिनांक दोनों 2021 को मेरे द्वारा कोतवाली पिलखुआ में प्राप्त रिपोर्ट की फोटो प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं जिसमें पूर्व में की गई घटनाओं का उल्लेख है कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें दिनांक 17 2022 की शाम दिव्यांग कुमार व मंदिर शर्मा ने मुझे फिर यह धमकी डिकी हम तुझे इस बार थाने में नहीं कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे कि तूने श्रीमती हम पिता से रेप किया है मंजू शर्मा ने कहा कि मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूं तेरे खिलाफ ऐसी रिपोर्ट

(54)

कि तुझे उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिलेगी और तुम सारी जिंदगी जेल में चढ़ेगा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय मुझे अपने छोटे पुत्र दीपांक कुमार उसकी पत्नी श्रीमती अंकिता वह पत्नी मंजू शर्मा से अपनी जान माल वह प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न हो गया दीपक कुमार मेरे मंडावर स्थित मकान में ताला लगाकर यहां पिलखुवा में काफी तादाद में सामान लेकर आ गया है तथा मुझे यह धमकी बार-बार दे रहा है कि मैं तेरे मकान खाली नहीं करूंगा जो करना है कर ले तुझे रेप के केस में फंसाकर कर जेल भिजवाऊंगा ।

मेरे पिलखुआ स्थित आवास पर दीपांक कई बार बदतमीजी अभद्र व्यवहार

[1:50 am, 20/8/2024] saritasingh33363: कर चुका है अतः मैं अपने पुत्र दीपांक कुमार उसकी पत्नी अंकित को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल कर समाचार पत्र मनस्वी वाणी जो की एक राष्ट्रीय समाचार पत्र है दिनांक 15 दिसंबर 2021 को प्रकाशित भी कर दिया गया है सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ छाया प्रति संलग्न की जा रही है क्योंकि दीपांक कुमार वह उसकी पत्नी श्रीमती अंकिता से अब मेरा कोई संबंध नहीं है अतः इन दोनों को कृपया मेरे भवन से होकर आने-जाने वह मेरे भवन के मुख्य द्वार पर दीपक अपनी गाड़ी खड़ी रखता है उसे इस कार्य से रोकने का कष्ट करें। ताकि मैं अपनी अंतिम जीवन शांतिपूर्वक कट सकूं। पिलखुवा स्थित भवन का आगे का भाग मेरे नाम पर है जिसका आने जाने का मुख्य सड़क रेलवे रोड से है तथा भवन के पिछले भाग का बैनामा मंजू शर्मा के नाम पर है जिसका रास्ता पूर्व दिशा में स्थित 20 खड़ंजा मार्ग जो की एक रास्ता अभिलेखों में दर्ज है उधर से है, उक्त रास्ता रेलवे रोड से शिवाजी नगर मोहल्ले पर खुलता है अज्ञात लोगों ने उक्त सरकारी रास्ते को बंद किया हुआ है कृपया मंजू शर्मा को उक्त रास्ते से दरवाजा बनाकर दीपक कुमार व उसकी पत्नी को उधर से आने जाने का कृपया आदेश पारित करने का कष्ट करें।

यहां पर यह विकसित करना ना चाहूंगा कि दीपांक कुमार व उसकी पत्नी मेरे भवन के अंदर जाने वाली गैलरी को हमेशा रास्ता बताते हैं जबकि मेरे भवन के बाहर बने सरकारी नल से भवन की ओर सरकारी भूमि को छोड़कर समस्त भूमि का कमर्शियल सर्किल रेट से स्टांप ड्यूटी अदा करके मेरे द्वारा बैनामा कराया गया है। आता है यह गैलरी रास्ते में ना लिखवा कर उक्त भूमि मेरे भवन का ही भाग है जब तक मंजू शर्मा विधिक रूप से मेरी पत्नी हैं उनके उक्त गैलरी से आने जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि वह उसे गैलरी में कोई प्रावधान उनके द्वारा नहीं किया जाता है।

मंजू शर्मा ने लगभग 3:30 वर्ष पूर्व मुझे मेरे अपने हिस्से यानी कि भवन के अगले भाग में जाने के लिए बार-बार दबाव डाला क्योंकि मैं शांति से रहने चाहता हूं तो मैं 3:30 वर्षों से अपनी भवन रसोई बनाकर वह अगले हिस्से की मरम्मत कर कर अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेकर रहता चला आ रहा हूं। सुलभ संदर्भ हेतु बिजली बिल की फोटो प्रति संलग्न कर रहा हूं।

मैं विगत 15 वर्षों से उच्च रक्तचाप व मधुमेह से पीड़ित हूं जबकि मैं सदैव सात्विक भोजन हुआ सादा जीवन जीता हूं परंतु मेरे चिकित्सक ने मुझे बताया कि यह रोग लंबे समय तक मानसिक तनाव के कारण भी हो जाता है क्योंकि मंजू शर्मा विगत 22 वर्षों से अलग रहती हैं हम एक छत के नीचे जरूर रहते थे परंतु हमारे कमरे अलग-अलग थे इसी कारण मुझे मानसिक तनाव रहा है।

अतः: परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय आपसे अत्यंत विनम्र भाव से करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे असहाय व रोग ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक की जान माल से सुरक्षा प्रदान करते हुए छोटे पुत्र दीपांक में कुमार उसकी पत्नी श्रीमती अंकित वह मंजू शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही कर मुझे इससे निजात दिलाने का कष्ट करें।

आपकी इस असीम कृपा के लिए प्रार्थी जीवन पर्यंत आपका आभारी रहेगा।

55

कर सा धन्यवाद। प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा सन ऑफ डॉक्टर डीएस मिश्रा 18 10 सुशीला क्लिनिक रेलवे रोड निकट सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखुआ जिला हापुर 245304

मोबाइल नंबर 636 3240 399

दिनांक 12 फरवरी 2022

संलग्नक

थाने में दी गई शिकायत दिनांक २/९/२०२१

की छाया प्रति

पत्र

बिजली बिल की छाया प्रति

आधार कार्ड की छाया प्रति

पूर्व की नौकरानी द्वारा लिखित कथन

T+L

closures mobile number 91988 3711 590 screenshot Call Histry photo States

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Tu

the District Magistrate Hapur

Sir

Respectfully submitted that the applicant Dinesh Kumar Sharma is a senior citizen retired from Health and Family Welfare Ministry Government of India after giving service for 34 and half years with full heart and faith retired on June 2016.

I have three misuse tuitions and one daughter the daughter is in USA with her husband both sons are married the eldest son dravit Kumar is resident of national highway 09@ NH 24 constructed in Ansal Tanushree and he decides their with his family the second son Kumar watch God constructed a bakery as an employment in Bijnor at my father's property got through wheels and in second house he was residing I arranged the modern machinery and instruments in the bakery as automatic oven mixer but due to inactiveness of my son and his wife he close the factory and came to pilkhuva on my house and both husband and wife big and to pressurize me not to live in mandavar and they have to live at Ghaziabad and demanded house and factory or shop here.

I have done my job with honesty I have no such money and I am unable to do such do to this reason deepank Kumar and his wife begin to miss behave with me one day on March 2022 my younger son deepank Kumar my daughter in law wife of deepank and shrimati Ankita and my wife Manju Sharma insulted me and pressurized me to sell the whole property of mandavar and transfer the property in the name of deepank Kumar and his wife Ankita when I forbade Smt Manju Sharma began to beat me with pillow and deepank stated to through all the articles of mind about that complaint I gave to Kotwal Shri Rathore Sahab on 28/8/2021 Manju Sharma and deepank Kumar patent me to report about the rape case with Ankita but due to untruth they were failed but again they tried to implicate me in rape case of my domestic. My domestic refused to do any such complaint and give me in written her statement which is in my custody. It's copy is an next hear with. I also annexed complaint dated 29/021 given in Kotwali pilkhuwa with this letter in which all the incidents are in detail. Please see it. On 01072022 in the evening deepank Kumar and Manju Sharma again 310 to me stating that this time they will not give complaint in the police station and they will file the case in the court of rape of shrimati Ankita Manju Sharma stated I am retired from government hospital and you will not get bail and you will remain in the jail whole life madam I have got risk for my honor and property from my elderson dipan Kumar and his wife Ankita and mother Madhu Sharma I have come to pilkhuwa after closing my house in Bijnor deepank repeatedly to implicate me in rape case if I will not vaccate the house.. my Sandeep ank Kumar Sharma has insulted me and miss behaveed with me at pilkhua situated residence due to which I have disowned Deepank Kumar Sharma and his wife from my all movable and immovable property regarding with publication is made in the newspaper. Please stop the frequent coming and going of deepank and his wife from my portion and also prevent him to stand his vehicle in front of my gate. Such that I can pass my last life in peace. The House situated at pilkhuwa front portion is in my name and its great open site the main road and the

55

back portion is in the name of Manju Sharma which gate open scene East towards khadanja Marg which is registered as road in the record and that road open in Shivaji Nagar some unknown person have closed government road. Kindly prevent the motion of Manju Sharma and deepank Kumar and his wife from my person.

Deepank Kumar and his wife tells the road inside my house gallery. While I have got bayanama after paying the stamp duty leaving the government land as a commercial Circle rate hands this galleries not a road but by writing it a road which is portion of my house I h...

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Manasvi Bani 15th December 2021

In respect of closing the relation

My son deepank Kumar and his wife Ankita is not having good not relation to me. become worse relation of these persons deepank and his wife is dissolved by me from my all movable and immovable properties closing all relationship with in future we would have no relationship I Shall not be responsible for any their acts. Dinesh Kumar Sharma Sana let Dev Sharma Mishra, 1810 Sushila clinic building Railway road Mandi near Sarvoday Inter College pilkhuwa Kotwali pilkhuwa Tahsil Dhaulana district Hapur

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: To ,

District magistrate Hapur

Subject: ine respect off end of relationship with my son deepank and daughter in law Ankita

Sir,

Respectfully to submitted that the marriage of my son deepank was held with Ankita, After marriage my son is under the impression of his wife and himiss behave with me and miss conducting with me in which Ankita supports him. Because of this I have closed my all relationship with Ankita and I disowned her from my all movable and removal property. In future I would have no relationship with them and I hall not be responsible for any act of them and it is requested to take cognizance on my application for information.

Dated 16th December 2021

Applicant

Dinesh Kumar Sharma son of late doctor Dev Sharma Mishra resident off Railway road near sarvoday Inter College pilkhua Tahsil dhaulana district Hapur

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: GCourt Mr. Deputy Collector, Ghaulana.

Dispute No.-T202411730602787 Year- 2024

EU677038825IN
Dt. 03.07.2023
Sh. Yogi ji

EU677038825IN IVR:6985677038...
SP PILKHUWA SO (245304)
Counter No:1,03/07/2023,09:...
To:SHRI ADITIYA YOGI NATH,,
PIN:226001, Lucknow GPO
From:DINESH KUMAR SHARMA,,
Wt:135gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

EU677038834IN
Dt. 03.07.2023
Sh. Vijay Kumar ji, DG P U.P.

EU677038834IN IVR:69856770...
SP PILKHUWA SO (245304)
Counter No:1,03/07/2023,09...
To:VIJAY KUMAR JI,,
PIN:226001, Lucknow GPO
From:DINESH KUMAR SHARMA,,
Wt:135gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

EU677038848IN
Dt. 03.07.2023
Sh. Prathmesh Kr. ji
Spl. Secy. Lok Shikayat

EU677038848IN IVR:69856770...
SP PILKHUWA SO (245304)
Counter No:1,03/07/2023,09:...
To:PRATHAMESH KUMAR JI,,
PIN:226001, Lucknow GPO
From:DINESH KUMAR SHARMA,,
Wt:135gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

EU677038851IN
Dt. 03.07.2023
Sh. Prashant Kr. ji
Spl. D.G. Police, IPS, UP.

EU677038851IN IVR:69856770...
SP PILKHUWA SO (245304)
Counter No:1,03/07/2023,09:...
To:PRASHANT KUMAR JI,,
PIN:226001, Lucknow GPO
From:DINESH KUMAR SHARMA,,
Wt:135gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

EU677038936IN
Dt. 03.07.2023
S.P., Hapur
Cr. Ctzn. Cell

EU677038936IN IVR:6985677038936
SP PILKHUWA SO (245304)
Counter No:1,03/07/2023,09:...
To:POLICE ADHIKSHAK HAPUR,,
PIN:245101, Hapur HO
From:DINESH KUMAR SHARMA,,
Wt:135gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>

India Post

EU677038922IN IVR:69856770...
SP PILKHUWA SO (245304)
Counter No:1,03/07/2023,09:...
To:JUSTICE BAL [illegible] NARAYAN,,
PIN:226010, Gomti Nagar SO
From:DINESH KUMAR SHARMA,,
Wt:135gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

EU677038922IN
Dt. 03.07.2023
Justice Balkrishna Narayana, HRC, UP
Lucknow

1+2

...या। उसके बाद भाजपा सरकार का ... किया।
... चौधरी ने बताया की मोदी सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार कर लेती तो बेकसूर किसान भाइयों को शहीद ना होना पड़ता, लेकिन सत्ता के नशे में चूर तानाशाह सरकार ... मदद देने का आश्वासन भी दिया है। तीन कृषि कानून के विरोध में देश भर के सभी किसानो ने तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। देश के अलग अलग कोने से किसान गाजीपुर बार्डर पर एकत्रित हुए थे।

... के उद्देश्य से निशुल्क पंजीकरण कराए जा रहे हैं।

सहायक श्रमायुक्त सर्वेश कुमारी ने बताया कि ऐसे सभी असंगठित कर्मकार जिनकी आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष है, तथा ईएसआईसी, ईपीएफओ के सक्रिय ... आशा, आंगनबाडी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य एवं दुकानों में कार्यरत कर्मचारी वह दुकानदार आदि असंगठित क्षेत्र के कर्मकार पंजीकरण के के लिए आवर्त होगे।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सामाजिक कक्षा बोर्ड की वेबसाइट ... आर्थिक सहायता मिलेगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। उन्होंने सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मकरों से पंजीकरण कराने की अपील की।

उड़ान योजना के अंतर्गत महापौर तथा नगर आयुक्त ने मलिन बस्तियों में लगे

कैंप के माध्यम से जनता को किया जागरूक

मनस्वी वाणी संवाददाता

गाजियाबाद। पांच दिवसीय उड़ान योजना कार्यक्रम का महापौर आशा शर्मा तथा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर द्वारा मलिन बस्तियों में शुभारंभ कराया गया, जिस के क्रम में कृष्णानगर सुभाष नगर तथा दीनदयाल पुरी में कैंप का उद्घाटन किया गया।

एसबीएम के नोडल प्रभारी डॉ मिथिलेश कुमार द्वारा टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 15 कैंप मलिन बस्तियों में लगाने की योजना तैयार की जा चुकी है जिस के क्रम में आज भी कैंप लगाए गए तथा दिनांक 15 दिसंबर 2021 को 3 कैंप चित्रकूट कॉलोनी, नंदग्राम तथा न्यू हिंडन विहार में लगाए जाएंगे। उनके द्वारा बताया गया कि कैंप के माध्यम से श्रम विभाग शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग आंगनवाड़ी विभाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी अपनी सुविधाओं तथा योजनाओं के बारे में मलिन बस्ती में निवास करने वाले निवासियों को बताया जा रहा है ताकि योजनाओं से उन लोगों को लाभान्वित किया जा सके, जिसका शुभारंभ महापौर तथा नगर आयुक्त के कर कमलों द्वारा कराई गई।

रैग पिकर्स को मुख्यधारा में जोड़े जाने की योजना: नगर आयुक्त

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि उड़ान योजना के अंतर्गत सभी सरकारी योजनाओं से मलिन बस्तियों के निवासियों को अवगत कराया तथा उनको योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में मुख्य रूप से रैग पिकर्स को संबोधित करते हुए स्वच्छ साथी बताया गया' साथ ही रैग पिकर्स को मुख्यधारा से जोड़ने की योजना बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया तथा उनको ड्रेस जूते पी पी किट मास्क इत्यादि उपलब्ध कराए गए जिन को पाकर गाजियाबाद नगर निगम का धन्यवाद दिया गया।

गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करा महापौर ने शुभकामनाएं

महापौर आशा शर्मा द्वारा कार्यक्रम में योजनाओं की जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत गोद भराई कार्यक्रम संपन्न कराया जिसमें गर्भवती महिलाओं को फल सब्जियों से भरी हुई टोकरी मिठाइयों से भरी हुई टोकरी भेंट की गई तथा उनकी गोद भराई रसम को मनाया गया साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी गई' महापौर द्वारा मलिन बस्ती में निवास करने वाले निवासियों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया उनको योजनाओं के लिए जागरूक किया गया।

... दीपक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि उत्तम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस बारे में मृतक के चाचा संजय ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर, हादसे के बाद मृतक के घर पर कोहराम मचा हुआ है।

पुलिस के सहयोग से मिले लाखों रू

हापुड़। कोतवाली नगर क्षेत्र के एक युवक से बैंक के माध्यम से ठगे गए लाखों रू में 3 लाख से अधिक रुपए पुलिस ने बैंक से वापिस कराए है। पुलिस के कार्य के लिए पीड़ित ने धन्यवाद दिया है।

पुलिस ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी निवासी साबिर अली से साइबर ठगों ने बैंक के माध्यम से 5 लाख 40 हजार ठग लिए। इस बारे में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कराते हुए पीड़ित को 3 लाख 3498 रू वापिस कराएं है।

कारण नष्ट होने की कगार पर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से रजवाहे को पक्का करने की मांग की गई है लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। किसानों फसल के नष्ट होने पर मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस संबंध में एसडीएम अरविंद द्विवेदी ने बताया कि किसानों की सूचना पर मौके पर जेसीबी मशीन को भेज कर समस्या का निस्तारण कराया गया है। संबंधित विभाग से रजवाहे में सीमित पानी छोड़े जाने के आदेश दिए हैं।

मनस्वी वाणी
15-12-2021

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री छिद्दा गिरि निवासी 228 हंस गली कोठी गेट हापुड़ है। मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों में भी मेरा नाम अशोक कुमार है। लेकिन भूलवंश कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक गोस्वामी दर्ज हो गया है। क्योंकि मुझे अशोक गोस्वामी के नाम से भी लोग जानते है। अतः अब भविष्य में मेरा नाम अशोक कुमार पुत्र स्व. छिद्दा गिरि ही पढ़ा जाए और जाना जाए। अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री छिद्दा गिरि निवासी 228 हंस गली कोठी गेट हापुड़, जिला हापुड़।

सम्बन्ध विच्छेद

मेरे पुत्र दीपांक व पुत्रवधू अंकिता का मेरे प्रति आचरण-व्यवहार ठीक नहीं है। इन दोनों के गलत आचरण-अभद्रता के कारण मैं दीपांक, उसकी पत्नी अंकिता को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद करता हूं। भविष्य में मेरा इन दोनों से कोई वास्ता नहीं होगा। भविष्य में दोनों के किसी कृत्य के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूंगा। दिनेश कुमार शर्मा, पुत्र स्व. डॉ. देव शर्मा मिश्रा, 1810 सुशीला क्लीनिक बिल्डिंग, रेलवे रोड मंडी, निकट सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखुवा, कोतवाली पिलखुवा, तहसील धौलाना जिला हापुड़।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

क्र सं.	कार्य का नाम तथा स्थान	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है	निविदा प्रपत्र शुल्क (₹)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र जमा करने तथा निविदा खुलने का दिनांक तथा समय	वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
1	डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज (Tadiran Make) डीआरएम कार्यालय, बड़ौदा हाउस और रेलवे बोर्ड का तीन साल के लिए एएमसी	₹ 3643581.96 मात्र	वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता -सी तृतीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055	₹ Nil मात्र	₹ 0/- मात्र	निविदा प्रपत्र जमा अपलोड करने का समय दिनांक 05.01.2022 15:00 बजे तक	उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें या देखे नोटिस बोर्ड, तृतीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055

निविदा संख्या : 56-सिगनल/16/टैली/ए.एम.सी./577/2021–22
दिनांक : 14.12.2021
2929/2021

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

546

Amenu R-8D (57)

TFL

58

मनस्वी वाणी

15/12/2021

संबंध विच्छेद

मेरे पुत्र दीपांक वह पुत्रवधू अंकिता का मेरे प्रति आचरण व्यवहार ठीक नहीं है इन दोनों के गलत आचरण अभद्रता के कारण मैं दीपांक उसकी पत्नी अंकिता को अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद करताहूं। भविष्य में इन दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। भविष्य में दोनों के किसी कृति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर देव शर्मा मिश्रा 1810 सुशीला क्लिनिक बिल्डिंग रेलवे रोड मंडी निकट सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखुआ कोतवाली पिलखुवा तहसील थाना जिला

TtL

Manasvi Wadi

15th December 2021

The conduct off my SON and his wife Ankita is not good to me because of their misconduct and bad behaviour I close my all relationship with Deepank and his wife also I disowned them from my all movable and immovable property in future I shall have no relation with both of them. In future I shall have no relationship with both of them.

Dinesh Kumar Sharma

son of late Shri Dev Sharma Mishra
,1810 Sushila Clinic Building Railway road
Mandi near Sarvoday Inter College
Pilkhuwa Kotwali Pilkhuwa
Tahsil Dhaulana District Hapur.

60

To,

The District Magistrate District Hapur

Subject Complaint in respect of disoning my son deepank Kumar and his wife Ankita for all relations

Sir,

Respectfully submitted that the applicant's son is under impression of his wife and instigation of her. He misbehaved with the applicant in which his wife Ankita support him The conduct of my son and his wife is not good to me. Due to which because of misconduct of my son and his wife I disown them from my all movable and immovable properties.

In future I have no relationship with of them and I shall not be responsible for any their apps.

Therefore I request you for information to take cognizant.

Dated 16th December 2021

Applicant

Dinesh Kumar Sharma

S/o late Dr Dev Sharma Mishra

resident of Railway road

near Sarvoday Inter College Pilkhuwa

Tahsil Dhaulana District Hapur

Anno 110- Attachment-3)

To,

Mr. District Magistrate

District – Hapur

Subject:-Investment by the applicant with his son Deepank and daughter-in-law Ankita. In relation to severing family ties and evicting one from one's property: -

Sir. Yes.

It is submitted that the applicant's son Deepank was married to Ankita. Since marriage, the applicant's son is under the influence of his wife and at her request, he behaves rudely and misbehaves with the applicant, in which Dipank's wife Ankita fully cooperates. The conduct of my son and son-in-law towards me is not right. Due to the unruly conduct of Dipank and Ankita, I break all relations with them and evict them from my movable and immovable property. In future I will not have any connection with these two and I will not be responsible for any of their actions.

Therefore, it is a request to Sir that the applicant is submitting this application in the name of Shri Bhan Ji.

Date :-16-12-2021

Applicant

Mamiya Sak Dinesh Kumar Sharma S/o Late Dr. Dev Sharma Mishra Counter Norl.18/12/2021.17122 Resident Railway Road, Near Sarvodaya Inter College Pilkhuwa, Tehsil Dhaulana, District Hapur

E13631623714 IVR:6985136

SP SYEN LOR HOPE 50 (245

211245191, Gwan

Ansz17.10 (Cash) Tav2.18 <Tracic on www.india-ost.tov.in) <tel 18902666868) (Wear Masks, Stay Ga te

16-12-2021

DM-OPEN

Annexure R 8E

(63)

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जनपद -- हापुड़

<u>विषयः--प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र दीपांक व पुत्रवधु अंकिता से समस्त पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी सम्पत्ति से बेदखल करने के सम्बन्ध में :--</u>

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी का पुत्र दीपांक की शादी अंकिता से हुई थी। शादी के बाद से ही प्रार्थी का पुत्र अपनी पत्नी के असर में है तथा उसके कहने में आकर प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार करते है तथा बदतमीजी करते है जिसमें दिपांक की पत्नी अंकिता पूर्ण सहयोग करती है। मेरे प्रति पुत्र एवं पुत्रवधु का आचरण ठीक नहीं है। जिस कारण मैं दिपांक व अंकिता के गलत आचरण के कारण उनसे अपने समस्त प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। भविष्य में मेरा इन दोनो से कोई वास्ता नहीं होगा और इन दोनो के किसी कृत्य के लिये मैं जिम्मेदार नहीं हुंगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र सूचनार्थ श्रीमान जी की सेवा प्रस्तुत कर रहा है।

दिनांक :--16--12--2021

प्रार्थी

(दिनेश कुमार शर्मा)

दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 डॉ0 देव शर्मा मिश्रा
निवासी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इन्टर कालिज
पिलखुवा, तहसील धौलाना, जिला हापुड़

भारतीय डाक
EU138316237IN IVR:6985138...
SP GYAN LOK HAPUR SO <245...
Counter No:1,16/12/2021,12:22 India Post
To:D M HAPUR,HAPUR
PIN:245101, Gyan Lok Hapur SO
From:DINESH KUMA,RLY ROAD PILKHUW
Wt:20gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Sa...

EU138316237IN
16-12-2021
DM-HAPUR

T+2

552 (63) Annexure R-8F

63

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, धौलाना।

वाद सं0– T202411730602787 सन– 2024

दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 डाक्टर देव शर्मा मिश्रा निवासी 1859/1 सुशीला क्लैनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़।

——— प्रार्थी/ वादी

बनाम

1– श्रीमति अंकिता शर्मा पत्नी श्री दीपांक कुमार हाल निवासी 1810 सुशीला क्लीनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड।

~~2– दीपांक कुमार पुत्र डा0 दिनेश कुमार शर्मा हाल निवासी 1810 सुशीला क्लीनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड।~~

3– श्रीमति मन्जू शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा हाल निवासी 1810 सुशीला क्लीनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड।

4– अंकित शर्मा पुत्र स्व0 सुनील शर्मा निवासी गीता नगरी ई–12 सिविल लाईन्स बिजनौर।

5– सुशील शर्मा पुत्र स्व0 रामकुमार शर्मा निवासी गीता नगरी ई–12 सिविल लाईन्स बिजनौर।

6– नरेश शर्मा पुत्र श्री नामालूम निवासी नामालूम।

7– डा0 मुकेश कुमार पुत्र आर0एन0 वैश्य निवासी ~~———~~ –3 शिव सरोवर कालोनी गढ रोड मेरठ।

——— विपक्षीगण

अं0 धारा– 22(2) एवं ~~23~~ 24 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

थाना– पिलखुवा

श्रीमानजी,

प्रार्थी/ वादी निम्न निवेदन करता है कि :–

1:– यह कि प्रार्थी/ वादी स्थित मौहल्ला मकान नम्बर– 1859/1 सुशीला क्लीनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय ~~इन्टर~~ कालिज कस्बा पिलखुवा, परगना डासना, तहसील

-2-

धौलाना, जिला हापुड का रहने वाला 65 वर्षीय वृद्व एवं वरिष्ठ नागरिक है। प्रार्थी/वादी के छोटे पुत्र दीपांक (प्रतिवादी सं0–2) की शादी प्रार्थी/वादी के छोटे पुत्र यानि प्रतिवादी सं0–1 श्रीमति अंकिता शर्मा के साथ हुई थी। शादी के तुरन्त बाद से ही प्रार्थी/वादी की पत्नी डा0 मन्जू शर्मा से प्रतिवादी सं0–3 से साज करके उल्टे सीधे अनर्गल आरोप लगाकर तंग व परेशान करती है। जिसका भरपूर सहयोग प्रतिवादी सं0–3 एवं प्रतिवादी सं0–1 करके प्रार्थी/ वादी का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीडन करते है एवं प्रतिवादी सं0–5 सुशील जो कि अपने आपको उच्च्य स्तर का नेता बताता है एवं प्रतिवादी सं0–6 नरेश अपने आपको सी0बी0आई0 का बडा अधिकारी बताता है एवं मुकेश कुमार जो कि प्रतिवादी सं0–7 है एवं प्रतिवादी सं0–3 का सगा भाई है, भी समय–समय पर प्रार्थी/ वादी को आकर धमकाते है तथा जबरन वसूली करने के लिए दबाव बनाकर प्रताडित करते रहते है।

2:– यह कि प्रार्थी/ वादी को उक्त सम्पत्ति बजरिये वसीयत अपनी माता से प्राप्त हुई थी। जिसके पीछे प्रार्थी/ वादी की पत्नी प्रतिवादी सं0–3 के द्वारा एक प्लाट सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा, तहसील धौलाना, जिला हापुड के बराबर में कय करके मकान बनाया हुआ था जिसका रास्ता मौहल्ला सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा, जिला हापुड की तरफ से था जो कि रेलवे रोड पिलखुवा से मौ0 शिवाजीनगर पिलखुवा पर जाता था और एक आम रास्ता था। परन्तु प्रतिवादी सं0–1 ता 7 द्वारा सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा की तरफ से रास्ता ना बनाकर जबरन प्रार्थी/वादी के प्लाट/मकान में से जबरदस्ती अन्दर आना जाना बिना अधिकार प्रार्थी/वादी के मकान पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के उददेश्य से आना जाना शुरू कर दिया जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी/वादी को और ज्यादा प्रताडित एवं परेशान करने के लिए प्रतिवादी सं0– 2 द्वारा अपनी गाडी हुण्डई औरा रजि0 नम्बर– UP-20A-9459 प्रार्थी/वादी के मकान/मैन गेट के सामने खडी करते है जबकि प्रार्थी/वादी के मकान के मुख्य गेट की चौडाई मात्र 13 फुट है जिससे वादी को अपनी गाडी निकालने व आने–जाने में परेशानी होती है। यदि वादी उनका विरोध करता है तो विपक्षीगण गन्दी गन्दी गाली गलोच करते है।

3:– यह कि वादी के दो मकान जिला बिजनौर के कस्बा मण्डावर में है जो कि प्रार्थी/वादी को रजिस्टर्ड वसीयत अपने पिता से प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थी/वादी द्वारा ब्रेकरी की फैक्ट्री व अन्य मकान प्रतिवादी सं0– 1 व 2 को रहने हेतु दिया था परन्तु दीपांक के द्वारा विवाह उपरान्त ब्रेकरी की फैक्ट्री में जाना ही बन्द कर दिया और जल्दी जल्दी पिलखुवा स्थित मकान पर आना–जाना शुरू कर दिया।

T T [signature]

(65)

प्रार्थी/वादी द्वारा कहने पर कि अपने काम की तरफ ध्यान क्यो नही दे रही हो। दीपांक व उसकी पत्नी ने कहा कि हमे मण्डावर में नही रहना है। हमे तुम बिजनौर से अन्य किसी शहर जैसे गाजियाबाद व पिलखुवा में फैक्ट्री व मकान बनाकर दो जबकि प्रार्थी/वादी स्वास्थय एवं कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार से जून 2018 से सेवानिवृत है जिसने अपनी नौकरी पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से की है। वादी ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जतायी। जिसके बाद प्रतिवादी सं0– 1 व 2 आग बबूला हो गये और गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दिन रात्रि में मार्च 2020 को दीपांक व उसकी पत्नी व श्रीमति मंजू शर्मा द्वारा प्रार्थी/वादी की काफी बेईज्जती की एवं मारपीट करते हुए कहा कि मण्डावर व पिलखुवा की सारी सम्पत्ति दीपांक के नाम कर दो। प्रार्थी/वादी के मना करने पर प्रतिवादी सं0–3 द्वारा पलंग से तकिया उठाकर मारना शुरू कर दिया एवं प्रतिवादी सं0–2 के द्वारा वादी का सामाना उठाकर बाहर फैकने लगा और कहा कि इस बुढढे को धक्के मारकर बाहर निकाल दो जिसकी शिकायत प्रार्थी/ वादी द्वारा तत्कालीन थाना इन्चार्ज से से की गयी। परन्तु वादी की उक्त शिकायत करने के पश्चात रेप करने की झूठी शिकायत प्रतिवादी सं0–1 के द्वारा थाने पर देकर प्रार्थी/वादी को सोची समझी साजिश के तहत प्रताडित कराया।

4:– यह कि प्रार्थी/वादी लगभग 15 वर्ष से उच्च रक्तचाप एवं शुगर के पीडित है। प्रतिवादी सं0– 1 ता 5 जो कि आपस में सगे सम्बन्धी है। प्रार्थी/वादी पर अनाधिकृत रूप से जबरन वसूली करने का दबाव बनाते है एवं रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त प्रार्थी/वादी के मकान सं0– 1859 ~~1849~~/1 निकट रेलवे रोड सर्वोदय इण्टर कॉलिज के बराबर में पिलखुवा, जिला हापुड पर प्रतिवादी सं0– 1 ता 3 जबरन कब्जा किए हुए है जो प्रार्थी/ वादी की कभी सेवा नही करते है बल्कि प्रार्थी/ वादी के साथ गन्दी–गन्दी गालियां देकर जान से मारने एवं टुकडे–टुकडे करने की धमकी प्रतिवादी सं0– 4 ता 7 के साथ मिलकर देते है। जिसकी शिकायत प्रार्थी/ वादी द्वारा विभिन्न दिनांको को उच्च अधिकारियो के समक्ष रजि0 डाक द्वारा भी समय–समय पर की गयी है। परन्तु किसी के भी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी है बल्कि उल्टा प्रार्थी/ वादी को ही प्रतिवादी सं0–1 ता 7 के कहने पर प्रताडित किया गया है।

5:– यह कि प्रार्थी/ वादी 65 वर्षीय वृद्व एवं वरिष्ठ नागरिक है। जो स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से वैज्ञानिक अधिकारी के पद से रिटायर्ड है। प्रार्थी/ वादी राजपत्रित प्रथम श्रेणी अधिकारी की श्रेणी के अन्तर्गत आता था जो काफी सम्मानित पद है। प्रार्थी/ वादी का बेटा दीपांक जो काफी लालची एवं

66

बदतमीज अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। दीपांक व उसकी पत्नी श्रीमति अंकिता दोनो का व्यवहार एक ही जैसा है जो आये दिन प्रार्थी/वादी के कीमती सामान को उठाकर ले जाते है या फिर तोड देते है तथा प्रार्थी/ वादी को तरह तरह के हथकण्डे अपनाकर उत्पीडन करते है जिनकी मंशा हमेशा प्रार्थी/ वादी की प्रोपर्टी को अनाधिकृत रूप से हथियाने की रहती है एवं अनाधिकृत रूप से प्रार्थी/ वादी से वसूली करना चाहते है। अपने इसी उददेश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी सं0-2 के द्वारा सिविल न्यायालय बिजनौर में वाद सं0- 25 सन- 2024 प्रार्थी/ वादी की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने एवं प्रार्थी/ वादी को प्रताडित कर प्रार्थी/ वादी की सम्पत्ति पर अपना हक जताने/ बनाने के दुरउददेश्य से दायर किया गया है। जब भी प्रार्थी/ वादी प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 के कुकृत्यो का विरोध करता है तो उनका साथ प्रतिवादी सं0-4 ता 7 देकर अनाधिकृत दबाव पुलिस पर बनाकर प्रार्थी/वादी के ऊपर असहनीय आरोप लगाकर प्रताडित कराते है जबकि प्रार्थी/ वादी के मकान में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे होने के कारण जांच में उनके द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद व निराधार पाये गये। प्रार्थी/वादी प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 के द्वारा किये जा रहे कृत्यो से काफी प्रताडित है। प्रार्थी/ वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 के द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रार्थी/ वादी के पंजीकृत वसीयत से प्राप्त मकान पर अनाधिकृत रूप से हटाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 उल्टे प्रार्थी/ वादी पर अनर्गल आरोप लगाते हुए प्रार्थी/ वादी को जान से मारने की धमकी देकर धक्के मारकर प्रार्थी/वादी के मकान से ही प्रार्थी/वादी को बाहर निकालने की धमकी देते है।

6:- यह कि इस वाद का कारण जब-जब प्रार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 द्वारा किये गये प्रार्थी/वादी के मकान को खाली करने हेतु कहने एवं प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 के द्वारा प्रतिवादी सं0- 4 ता 7 से मकान खाली करने से मना करने एवं अन्तिम बार दिनांक 16-02-2024 प्रार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 से अपने स्वामित्व वाले मकान को खाली करने हेतु कहने एवं प्रतिवादी सं0- 1 ता 3 द्वारा गन्दी गन्दी गाली गलोच करके प्रतिवादी सं0- 4 ता 7 के सहयोग से टुकडे-टुकडे कर जान से मारने की धमकी देकर इन्कार करने से मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार ग्राम/कस्बा पिलखुवा, परगना डासना, थाना पिलखुवा, तहसील धौलाना, जिला हापुड में उत्पन्न हुआ तथा माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनने, ग्रहण करने व निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

7:- यह कि वाद का मूल्यांकन वास्ते निर्णयाधिकार्थ व शुल्कार्थ वाद का मूल्यांकन अंकन 12-- रूपये अदा किया जाता है।

8:– यह कि प्रार्थी/वादी निम्न अनुतोष के लिए प्रार्थी है :–

अ– यह कि ~~वाद की~~ मान्य न्यायालय की घोषणात्मक डिकी द्वारा प्रतिवादी सं0– 1 ता 7 को निर्देशित किया जावे कि वह वाद ग्रस्त मकान स्थित मौहल्ला मकान नम्बर– 1859/1 सुशीला क्लीनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज कस्बा पिलखुवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड को खाली करके प्रार्थी/वादी की सुपुर्दगी में दिया जाकर मौके पर प्रार्थी/वादी को काबिज कराया जाकर सुरक्षा प्रदान करायी जावे।

ब– यह कि वाद व्यय प्रार्थी/वादी को प्रतिवादी सं0– 1 ता 7 से दिलाया जावे।

स– यह कि अन्य अनुतोष जो राय अदालत उचित हो प्रार्थी/वादी को प्रतिवादी सं0– 1 ता 7 से दिलाया जावे।

प्रमाणिकरण :–

प्रार्थी/वादी

मै प्रार्थी/वादी प्रमाणित करता हूं कि वादपत्र की धारा 1 ता 5 का कथन मेरे निजि ज्ञान में व धारा 6 ता 8 का कथन कानूनी सलाह के आधार पर विश्वास में सब सही है।

प्रमाणित स्थान– धौलाना

दिनांक :–

द्वारा– अधिवक्ता

AMARPAL SINGH SHISHODIA
Advocate
Reg No- UP 800 07
Tehsil Compound Dhaulana, Distt.
Mobile-921980

557 68

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, धौलाना।

वाद सं0— सन— 2024

दिनेश कुमार शर्मा बनाम श्रीमति अंकिता शर्मा आदि

अं0 धारा-- 22(2) एवं 23 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

थाना— पिलखुवा

शपथपत्र ओर से दिनेश कुमार शर्मा :—

1:— यह कि मै शपथपूर्वक कथन करता हूं कि मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 डाक्टर देव शर्मा मिश्रा निवासी 1859/1 सुशीला क्लैनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज पिलखुवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड का हूं तथा बावजह होने शपथकर्ता/ प्रार्थी/वादी शपथपत्र में दिये गये समस्त तथ्यो से पूर्ण परिचित हूं।

2:— यह कि मै शपथपूर्वक कथन करता हूं कि उपरोक्त वादपत्र मुझ शपथकर्ता के अधिवक्ता महोदय ने मेरे कथना व निर्देशानुसार व सौपे गये कागजात के आधार पर तैयार किया है जिसको मुझ शपथकर्ता ने पढकर सुनकर समझ लिया है। वादपत्र उपरोक्त का समस्त कथन मेरे निजि ज्ञान व विश्वास में सब सही है।

3:— यह कि मै शपथपूर्वक कथन करता हूं कि शपथपत्र की धारा 1 व 2 का कथन मेरे निजि ज्ञान व विश्वास में सब सही है।

प्रमाणित स्थान— धौलाना शपथकर्ता

दिनांक :—

07 CNA

दिनेश कुमार शर्मा पुत्र डा0 देव शर्मा मिश्रा नि0 1859/1 सुशीला क्लीनिक बिल्डिंग रेलवे रोड निकट सर्वोदय इण्टर कालिज

3208 23/02/24

AMARPAL SINGH SHISHODIA
Advocate
Reg No- UP 800 07
Mobile-6210

TFL

69

Dinesh Kumar Shama 51 Rava Doctor Roll Sharma Mishra resident 1859/1 Sushila Clinic Wilding Railway Ped Near Sarvodaya Inter College Pilkhuwa Pargana Dasna, Tehsil Dhaulana, District Hapur.

applicant/plaintiff

versus

- Shribhat Oketa Sharma, wife of Shri Dipank Kumar, resident of 310 Sushila Clinic Building, Railway Road, near Sarvodaya Inter College Pilkhuwa, Pargana Dasna, Tehsil Dhaulana, District Hapur.

2- Dipank Kumar, son of Dr. Dinesh Kumar Sharma, Hall Niwati, 1010 Sushila Clonik Building, Railway Road, Near Sarvodaya Inter College Pilkhuwa, Pargana Dharana, Tehsil Baulana, District Hapur.

3- Mrs. Manju Sharma, wife of Mr. Dinesh Dupar Sharma Hall, resident of 1810 Sushila Clinic Building, Railway Rose, near Sarvodaya Inter College Pilkhuwa, Pargana Dasna, Tehsil Bhaulanan, District Hapur.

* Ankit Sharma, son of late Sunil Sharma, resident of Geeta Nagri E-12 Civil Lines, Bijnor.

Sushil Sharma, son of late Ramkumar Sharma, resident of Geeta Nagari E-12 Civil Lines, Bijnor.

3- Naresh Sharma, son of Shri Namalum, resident of Namalum.

7- Dr. Mukesh Kumar, son of AS Vaish, resident of Shiv Sarovar Colony, Garh Road, Meerat.

the opposition

24 No. Bara-22(2) and 25 Parents and Senior Citizens Maintenance, Nutrition and Welfare Act 2007 Thana-Pilkhuya

Mister,

The applicant/plaintiff submits that

1- That the applicant/plaintiff is located in Mohalla Makal No.- 1859/1 Sushila Clinic Building, Near Sarvodayashru Kara Pilkhuwa Pargana Dasna, Tehsi

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: -2-

Dhaulana is a 65 year old and senior citizen resident of district Hapur. Deepank (defendant no. 2), the younger son of the applicant/plaintiff, was married to Mrs. Ankita Sharma, the younger son of the applicant/plaintiff i.e. defendant no. 1. Immediately after the marriage, the wife of the applicant/plaintiff, Dr. Manju Sharma, harasses and harasses defendant No. 3 by directly making absurd allegations against her. With whose full support, respondent no. 3 and respondent no. 1 harass the applicant/body mentally and physically and respondent no. 5 Sushil, who calls himself a high level leader and respondent no. 6 Naresh calls himself a senior officer of CBI. The officer says that Mukesh Kumar, who is defendant no. 7 and the real brother of defendant no. 3, also comes from time to time to threaten the applicant/plaintiff and keeps harassing him by putting pressure on him for extortion. 2:- That the applicant/plaintiff had received the said property from his mother as a bequest. Behind which a house was built by the applicant/plaintiff's wife, defendant no. 3, by purchasing a plot adjacent to Sarvodaya Inter College Pilkhuwa, Tehsil Dhaulana, District Hapur, the road to which was from Mohalla Sarvodaya Inter College Pilkhuwa, District Hapur, which was The railway road went from Pilkhuwa to Mau Shivajinagar Pilkhuwa and was a common route. But the defendant No. 1 and 7 forcibly entered into the plot/house of the applicant/plaintiff by not making the way from the side of Sarvodaya Inter College Pilkhuwa and without any authority for the purpose of taking unauthorized possession of the house of the applicant/plaintiff. Started for which they have no legal rights. In order to further harass and harass the applicant/plaintiff, defendant no. 2 parked his vehicle Hyundai Aura with registration number UP-20A-9459 in front of the main gate of the applicant/plaintiff while in front of the applicant/plaintiff's house. The width of the main gate is only 13 feet due to which the plaintiff faces difficulty in taking out his vehicle and commuting. If the plaintiff opposes them then the opponents use abusive language.

TAL

71

3- That Badi's 'given house' is in Mandawar town of district Bijnor, which the applicant/plaintiff had received a registered will from his father in which the applicant/plaintiff had given a factory and other houses to defendant no. 1 and 2 for living. But after marriage, Dipank stopped going to the brick factory and started visiting the house in Pilkhuwa frequently.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: When the applicant/plaintiff asked why they were not paying attention to their work, Dipank and his wife said that they do not want to live in Mandawar. We, you, have built factories and houses in some other city like Ghaziabad and Pilkhuwa from Bijnor, whereas the applicant/plaintiff is retired from the Ministry of Health and Welfare, Government of India since June 2018, who has done his job with full devotion and honesty. The plaintiff expressed his inability to do so. After which defendants No. 1 and 2 became enraged and started abusing and misbehaving. One night in March 2020, Dipank, his wife and Mrs. Manju Sharma insulted and beat the applicant/plaintiff and said that all the property of Mandawar and Pilkhuwa should be transferred to the name of Dipank. When the applicant/plaintiff refused, the defendant no. 3 picked up the pillow from the bed and started hitting him and the defendant no. 2 picked up the plaintiff's belongings and started throwing them out and said to push this idiot out, against which the applicant/plaintiff complained. This was done by the then police station in-charge. But after the plaintiff made the above complaint, defendant no. 1 gave a false complaint of rape at the police station and tortured the applicant/plaintiff as part of a well-planned conspiracy.

4:- That the applicant/plaintiff has been suffering from high blood pressure and diabetes for about 15 years. Defendant No. 1 and 5 who are related to each other. They put pressure on the applicant/plaintiff to make unauthorized extortion and the defendant no. 1 and 3 forcibly took over the house no. 1849/1 near Railway Road Sarvodaya Inter College, Pilkhuwa, District Hapur, obtained from the registered will. They are in occupation who never serve the applicant/plaintiff but instead abuse the applicant/plaintiff and threaten to kill and cut him into pieces along with defendant no. 4 and 7. Complaint against which has been made by the applicant/plaintiff to higher authorities from time to time through registered post on various dates. But no action has been taken by anyone, on the contrary, the applicant/plaintiff has been called the defendant no.-1. It has been proposed at the behest of.

6- That the applicant/plaintiff is 77 years old and a senior citizen. Who is retired from the post of Scientific Officer from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The applicant/plaintiff belonged to the category of Gazetted First Class Officer which is a very respectable post. Dipank, son of the applicant/plaintiff who

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Rude is a person who behaves rudely. The behavior of both Deepank and his wife Mrs. Ankita is the same, who take away or break the valuables of the applicant/plaintiff every day and harass the applicant/plaintiff by adopting various tactics whose intention is always to harm the applicant/plaintiff. They want to grab the plaintiff's property

unauthorized and want to recover it from the applicant/plaintiff in an unauthorized manner. To fulfill the same objective, defendant no. 2 has filed case no. 25 of 2024 in Civil Court, Bijnor, for illegally occupying the property of the applicant/plaintiff and by torturing the applicant/plaintiff and asserting its right over the property of the applicant/plaintiff. has been filed with the ulterior motive of. Whenever the applicant/remembered defendant opposes the misdeeds of defendant no. 1 and 3, then defendant no. 4 and 7 support them and put unauthorized pressure on the police and harass the applicant/plaintiff by making unbearable allegations while in the applicant's/plaintiff's house. Due to the presence of CCTV cameras, the allegations made by him during investigation were found to be baseless and baseless. The applicant/plaintiff is greatly harassed by the actions being taken by defendant no. 1 and 3. The applicant/plaintiff had several times asked the defendant no. 1 and 3 to eviction of the house which had been acquired from the registered will of the applicant/plaintiff, but the defendant no. 1 and 3, on the contrary, made unreasonable allegations against the applicant/plaintiff. / They threaten to kill the plaintiff and push him/her and threaten to throw the applicant/plaintiff out of the plaintiff's house.

6- That the cause of this suit arose whenever the applicant/plaintiff asked the defendant no. 1 and 3 to vacate the applicant's/plaintiff's house and the defendant no. 1 and 3 asked the defendant no. 4 and 7 to Refusing to vacate the house and last dated 16-02-2024, the applicant/plaintiff asked the defendant no. 1 and 3 to vacate the house owned by him and the defendant no. 1 and 3 abused the defendant no. With the help of 4 and 7, the case arose out of the jurisdiction of the Hon'ble Court in Village/Town Pilkhuwa, Pargana Dasna, Thana Pilkhuwa, Tehsil Gholana, District Hapur due to his refusal to kill by threatening to cut him into pieces and kill him. Has full jurisdiction to hear, accept and take decisions.

7- That for the subsequent evaluation, Rs 12 is paid to the adjudicating officer and the fee for marking the case.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: -5-

8:- That the applicant/plaintiff is seeking the following relief:-

Acceptable practice

A- That by the declaratory note of Naad, the defendant No. 1 and 7 should be directed to move to the sued house situated at Mohalla House No. 1859/1, Sushila Clinic Building, Railway Road, Near Sarvodaya Inter College, Town Pilkhuwa, Pargana Dasna, Tehsil Dhaulana, District Hapur should be

TE

73

evacuated and handed over to the applicant/plaintiff and the applicant/plaintiff should be captured on the spot and provided security.

B- That the litigation expenses should be paid to the applicant/plaintiff from defendant no. 1 and 7.
C- That other relief which the court deems appropriate should be provided to the applicant/plaintiff from defendant no. 1 and 7. Certification :-

applicant/plaintiff

I, the applicant/plaintiff, certify that the statements in sections 1 and 5 of the plaint are correct to the best of my personal knowledge and the statements in sections 6 and 8 are correct in my belief based on legal advice. Certified Place – Dhaulana Date :-

By- Advocate

AMARPAL SINGH SHISHODIA

Reg No-UP 800 07

cb-621900

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: UPSP03-000054-2024

Down

IN THE COURT OF stat Saurabh Srivastava I J.S.C.C., Saharanpur

SUMMONS TO APPEAR IN PERSON

TxC

563 74

Annexure-R-8 G

सेवामें,

श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय,

कोतवाली - पिलखुवा

जनपद - हापुड़

श्रीमान जी,

सादर निवेदन है कि मैं 63 वर्ष का स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार से वैज्ञानिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक हूँ। माह जून, 2018 को 34 वर्षों तक पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवम् कर्तव्य परायणता के साथ भारत सरकार की सेवा की है।

मेरे परिवार में पत्नी डा० मंजु शर्मा जो अब रिटायर्ड अधिकारी हैं, दो पुत्र द्रवित कुमार एवं दीपाक कुमार दोनों शादीशुदा हैं। एक पुत्री श्रीमती [illegible] भी विवाहित है तथा अपने पति के साथ अमेरिका में है।

मेरा जन्म स्थान कस्बा - मन्डावर, जि० बिजनौर (उ०प्र०) है तथा वहां एक [illegible] मकान है जो मुझे मेरे पिता द्वारा वसीयत (रजिस्टर्ड) के द्वारा प्राप्त हुई है। पिलखुवा में मेरा आवास रेलवे रोड पर निकट सर्वोदय इन्टर कालिज पर है। जो

मेरी पत्नी तथा मेरा छोटा बेटा दीपाक व उसकी पत्नी बहुत लालची किस्म के हैं। मेरे छोटे पुत्र ने हालांकि एम० टेक० (कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी) में किया हुआ है परन्तु वह किसी भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ तो उसको मैंने [illegible] मकानों में काफी पैसा लगाकर एक मैं बेकरी व शॉप तथा [illegible] मकानों में रहने के लिए दे दिया। चूंकि छोटा बेटा अकर्मण्य, आवारा व बहुत लापरवाह है अतः वह बेकरी का काम भी ठीक से नहीं चला पाया।

मेरी पत्नी मंजु शर्मा, छोटा पुत्र दीपाक कुमार व दीपाक कुमार की पत्नी ने मिलकर मुझपर दबाव बनाया कि कुल सम्पत्ति (छोटे बेटे) इसके नाम कर दो। जबकि मेरा बड़ा पुत्र जो कि [illegible] में एम०एन०सी० में सर्विस करता है तथा NH-9 के पास कस्बे [illegible] के [illegible] में रहता है, उसने मुझसे कभी भी कोई पैसा या प्रापर्टी की डिमान्ड नहीं की। बड़े पुत्र के [illegible] दो बच्चे भी हैं। छोटे पुत्र के यहाँ अभी तक कोई सन्तान नहीं है।

मेरा छोटा पुत्र दीपाक कुमार व उसकी पत्नी श्रीमती अंकिता मिलकर मेरी पत्नी मंजु शर्मा के साथ मिलकर मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मेरी पत्नी मंजु शर्मा के [illegible] बदतमीजी व धमकी देते हैं कि या तो इनके नाम सम्पत्ति कराओ वरना तुम्हें किसी केस जैसे कि पुत्रवधु के साथ रेप केस में फंसा देंगे।

करीब 1½ वर्ष पूर्व भी इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी यहां तक कि मेरे छोटे पुत्र ने मेरा सामान, मेरे ही पिलखुवा के घर पर जाकर बाहर फेंकने को बोला तथा तीनों ने कहा बुड्ढे को घर से बाहर निकाल दो। ~~[illegible]~~ जिसकी शिकायत मैंने पूर्व में रहे कोतवाली प्रभारी

TX — P.T.O. क्रमशः ... २ पर

श्री राठौर साहब को लिखित में दी थी। उस पर कोतवाल साहब ने डा० मंजु शर्मा को फोन से बोला भी था तब यह लोग कुछ चुप हो गये थे परन्तु अब फिर से छोटा लड़का दीपांक उनकी पत्नी आंकिता पिलखुवा आये हुए हैं क्योंकि मन्जु शर्मा अपनी बेटी के पास से अमेरिका से 29-08-2021 को ही वापिस आई हैं। इन तीनों ने मुझे कत्ल फिर से रेप आदि के केस में फसाने की धमकी दी है। इससे पूर्व में भी यह नौकरानी से रेप केस मुझपर लगवाने की धमकी दे चुकी है।

जिस आवास में मैं पिलखुवा में निवास कर रहा हूँ उसका बैनामा दो भागों में है। रेलवे रोड की ओर आगे का हिस्सा मेरे नाम है तथा पीछे का भाग मंजु शर्मा के नाम है दोनों ही अपने-2 हिस्से के तनहा मालिक हैं। 3½ वर्ष पूर्व तक मैं पिछले भाग में रहता था। परन्तु विगत 22 वर्षों से मेरे व मेरी पत्नी के कमरे अलग-2 थे। किचन एक ही थी। मई 2019 में जब मंजु शर्मा रिटायर हुईं तब यह पिलखुवा उक्त मकान में रहने लगी परन्तु लगभग 1½ वर्ष पूर्व मंजु शर्मा ने मुझे बोला कि तेरा मकान आगे का है तू आगे जाकर रह इससे पूर्व यह भवन के आगे के भाग में अपना क्लीनिक चला रही थी, क्योंकि 22 वर्षों तक डा० मंजु शर्मा, राजकीय महिला अस्पताल में कार्य रत रहीं उसी दौरान इन्होंने नौकरी में रहते हुए सुशीला क्लीनिक के नाम से क्लीनिक चलाया। मैं लगभग 1½ वर्ष पूर्व आगे के भाग में मकान की मरम्मत कराकर रहने चला आया। मंजु शर्मा ने पीछे मकान में आने जाने का रास्ता मेरे मकान से जारी रखा। जबकि अपने मकान में आने जाने का रास्ता डा० मंजु शर्मा का रास्ता साइड से लिया हुआ है जो कि रेलवे रोड से पीछे शिवाजी नगर में खुलता है। मैं विगत 12 वर्षों से डायबीटिज व उच्च रक्तचाप से पीड़ित हूँ। मोहननगर अस्पताल से इलाज चल रहा है।

श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपनी जान-माल का खतरा बना हुआ कृपया यथोचित कार्यवाई करने का कष्ट करें।

डा० मन्जु शर्मा, मो० नं०- +91 9837370275, 6395423392
दीपांक कुमार, " +91 6398188424
श्रीमती आंकिता, " +91 6395104146, 7500152725

सधन्यवाद

दिनांक - 02-09-2021
मो० नं० - +91 6363240399

प्रार्थी
(हस्ताक्षर) दिनेश कुमार शर्मा
(डा० दिनेश कुमार शर्मा)
1810, रेलवे रोड, निकट सर्वोदय इ-टर कॉलिज, पिलखुवा, हापुड़ (उ०प्र०)

THC ✓

76

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: सेवा में

श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय कोतवाली पिलखुवा जनपद हापुड़

श्रीमान जी सादर निवेदन है कि मैं 63 वर्ष का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से वैज्ञानिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत वरिष्ठ नागरिक हूं मां जून 2018 को 34 वर्षों तक पूर्ण निष्ठा ईमानदारी स्पष्ट कर्तव्य परायणता के साथ भारत सरकार की सेवा की है।

मेरे परिवार में पत्नी डॉक्टर मधु शर्मा जो अब रिटायर्ड अधिकारी हैं दो पुत्र द्रवित कुमार एवं दीपक कुमार दोनों शादीशुदा हैं एक पुत्री श्रीमती दीप्ति भी विवाहित है तथा अपने पति के साथ अमेरिका में है।

मेरा जन्म स्थान कस्बा मंडावर जिला बिजनौर है तथा यहां एक काम हुआ दो महान है जो

मेरी पत्नी तथा मेरा छोटा बेटा दीपक वह उसकी पत्नी लालची किस्म के हैं मेरे छोटे पुत्र ने हालांकि एवं मुझे मेरे पिता द्वारा वसीयत रजिस्टर्ड के द्वारा प्राप्त हुई है पिलखुवा में मेरा आवास रेलवे रोड पर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज पर है। मेरी पत्नी तथा मेरा छोटा बेटा दीपक व उसकी पत्नी बहुत लालची किस्म के हैं मेरे छोटे पुत्र ने हालांकि देवकरण देव भोला जी के किया हुआ है परंतु वह किसी भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ तो उसके मेरे मंडावर स्थित इलाके में काफी पैसा लगाया एक बेकरी व शॉप तथा दूसरे में रहने के लिए मकान दे दिया क्योंकि छोटा बेटा अकर्मण्य तथा नकारा है वह बहुत बदतमीज है अतः:बेकरी का काम भी ठीक से नहीं चल पाया अंततः मेरी पत्नी मधु शर्मा छोटा पुत्र दीपक कुमार वी दीपन कुमार की पत्नी ने मिलकर मुझ पर दबाव बनाया की कुल संपत्ति छोटे बेटे के नाम कर दो जबकि मेरा बड़ा पुत्र जो की एम एन सी में सर्विस करता है तथा न 9 के बबीता ग्राम के सामने अंसल तनुश्री में फ्लैट में रहता है उसने मुझसे कभी भी कोई पैसा या संपत्ति की डिमांड नहीं की बड़े पुत्र ने जबकि दो बच्चे भी हैं छोटे पुत्र के अभी तक कोई संतान नहीं है।

मेरा छोटा पुत्र दीपक कुमार वह उसकी पत्नी श्रीमती अंकित जब भी आते हैं मेरी पत्नी मधु शर्मा के साथ मिलकर मेरे साथ बदसलू की बदतमीजी वह धमकी देते हैं कि या तो हमारे नाम जमीन मकान जो मंडावर में है हमारे नाम करो अन्यथा तुम्हें किसी केस जैसे पुत्रवधू के साथ रेप केस में फंसा देंगे करीब डेढ़ वर्ष पूर्व भी इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी यहां तक की मेरे छोटे पुत्र ने मेरा सामान मेरे ही पिलखुआ के घर पर आकर फेंकने को बोला तथा तीनों ने कहा बुद्ध को घर से बाहर निकाल दो जिसकी शिकायत मैंने पूर्व में रहे कोतवाली अधीक्षक श्री राठौर साहब को लिखित में दी थी उसे पर कोतवाल साहब ने डॉक्टर मधु शर्मा को फोन से बोल भी था तब यह लोग डर कर चुप हो गए थे परंतु अब फिर से छोटा लड़का दीपक उसकी पत्नी अंकित पिलखुआ आए हुए

T+C

77

हैं क्योंकि मंजू शर्मा अपनी बेटी के पास से अमेरिका से 29/8/2021 को ही वापस आई है इन तीनों ने मुझे कल फिर से रेप आदि के केस में फसाने की धमकी दी है इसके पूर्व में भी यह नौकरानी से रेप केस मुझ पर लगवाने की धमकी दे चुकी है।

जिस आवाज में मैं पिलखुआ में निवास कर रहा हूं तथा दो भागों में है रेलवे रोड की ओर आगे का हिस्सा मेरे नाम है तथा पीछे का भाग मंजू शर्मा के नाम है दोनों ही अपने-अपने हिस्से के तन्हा मालिक हैं ढाई वर्ष पूर्व तक में पिछले भाग में रहता था परंतु विगत 22 वर्षों से मेरे में मेरी पत्नी के कमरा अलग-अलग थे किचन एक ही था मैं 2019 में जब मधु शर्मा रिटायर हुई तब यह पिलखुआ इस मकान में रहने लगी परंतु लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मधु शर्मा ने मुझे बोला कि तेरा मकान आगे का है तू आगे जाकर रहे इससे पूर्व यह भवन की आगे की भाग में अपना नर्सिंग होम चल रही थी क्योंकि 22 वर्षों तक डॉक्टर मंजू शर्मा राजकीय महिला अस्पताल में कार्य कर रही थी इस दौरान इन्होंने नौकरी में रहते हुए सुशीला क्लीनिक के नाम से क्लिनिक चलाया मैं लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व आगे के भाग में मकान की मरम्मत कराकर रहने चला आया मंजू शर्मा ने पीछे अपने मकान में आने जाने का रास्ता मेरे मकान से जारी रखा जबकि डॉ मंजू शर्मा का रास्ता साइड से लिखा हुआ है जो की रेलवे रोड के पीछे शिवाजी नगर में खुलता है मैं विगत 12 वर्षों से डायबिटीज व उच्च रक्तचाप से पीड़ित हूं मोहन नगर अस्पताल से इलाज चल रहा है श्रीमान जी से विनम्र

निवेदन है कि मुझे अपनी जान मार के खतरा बना हुआ है कृपया यह सूचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मंजू शर्मा

मोबाइल नंबर 919 837 370275 6395423392

श्रीमती अंकिता 6395 104146, 7500 152725 सर धन्यवाद

दिनांक 02/09/2021

मोबाइल संख्या 916363240399

प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा

1810 रेलवे रोड निकट सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखुआ हापुर

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: R10A

TxL

16 Webcames installed by DK Sharma covering whole house with his roof also

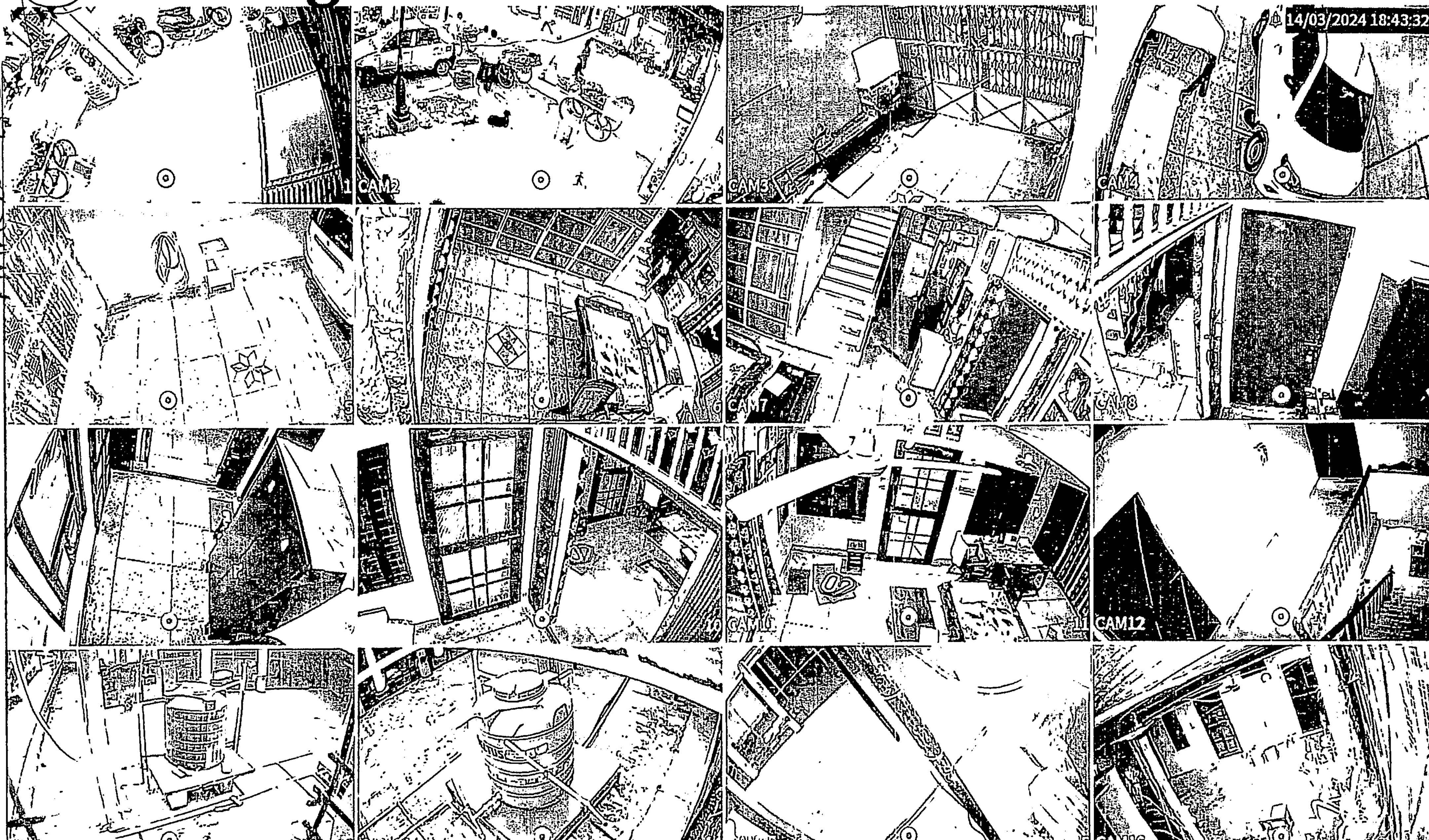

DK Sharma house situated at Railway Road, Pilkhuwa. Deepank Parked his Car No. UP 20 CA 9459 at the front side of DK Sharma House Gate

79

DK Sharma house situated at Railway Road, Pilkhuwa. Deepank Parked his Car No. UP 20 CA 9459 at the front side of DK Sharma House Gate

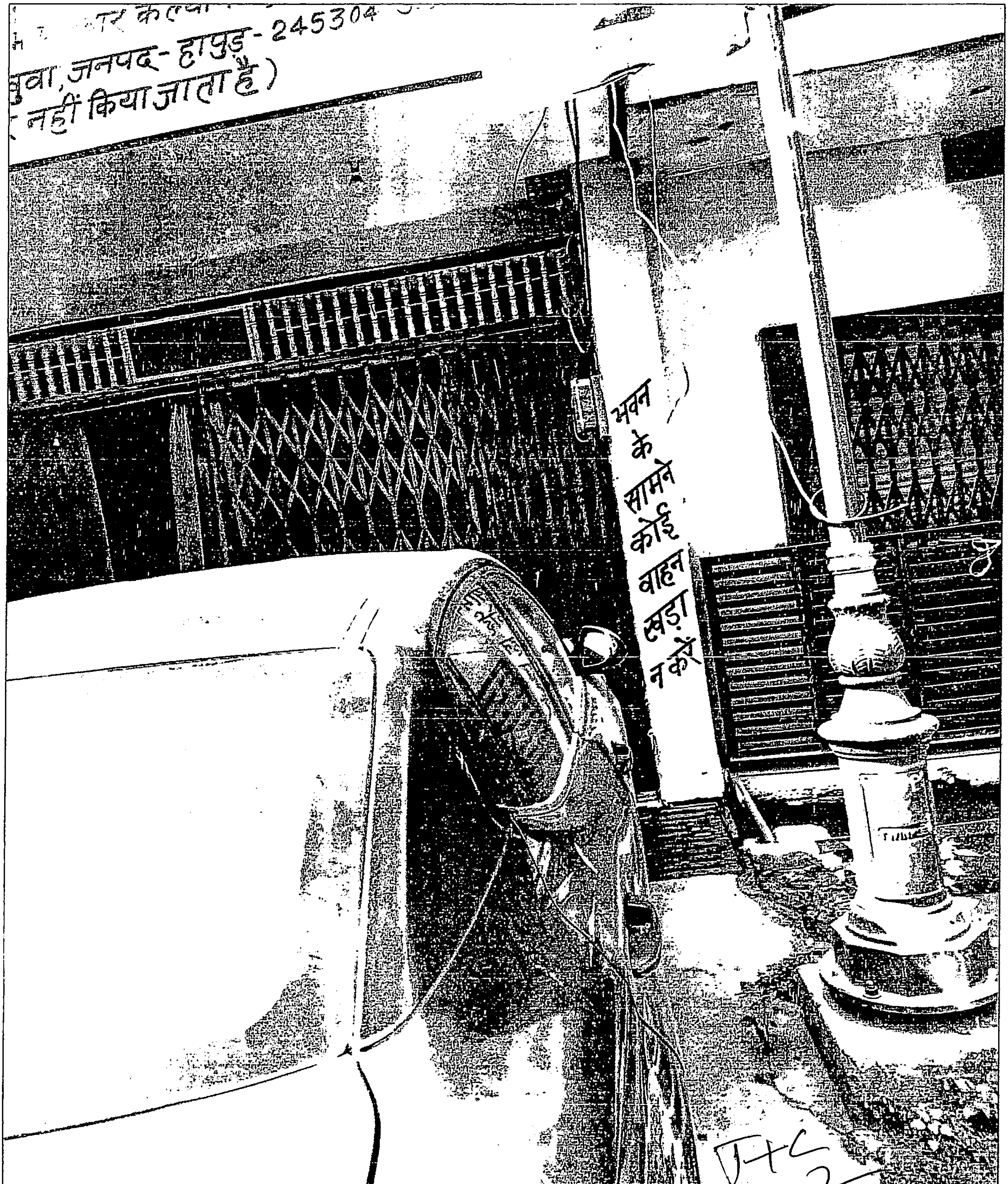

Manju Sharma installed her webcam in DK Sharma house

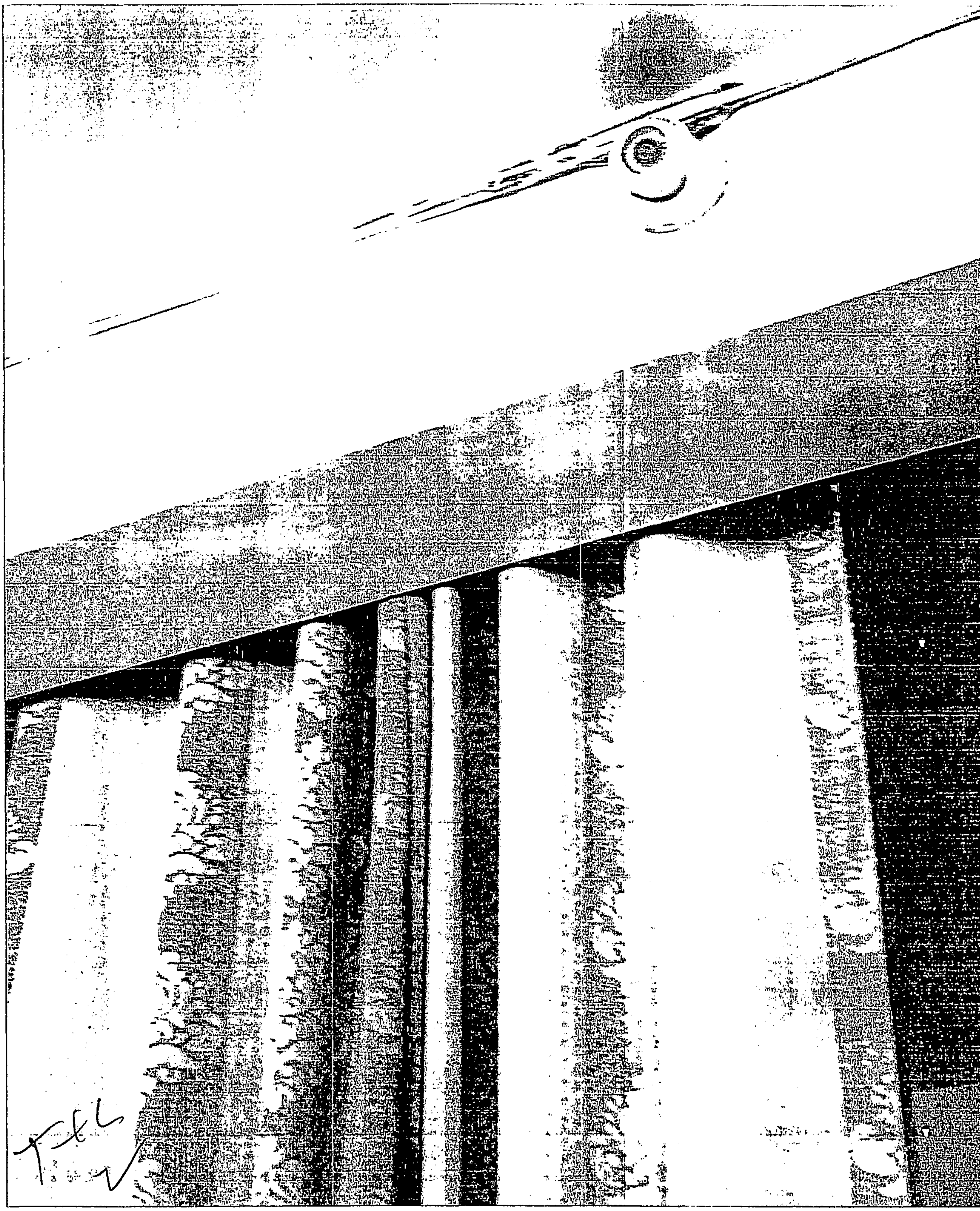

Manju Sharma kept her Iron-Table near the gate of DK Sharma house

83

Manju Sharma kept her sitting- bench near the gate of DK Sharma house

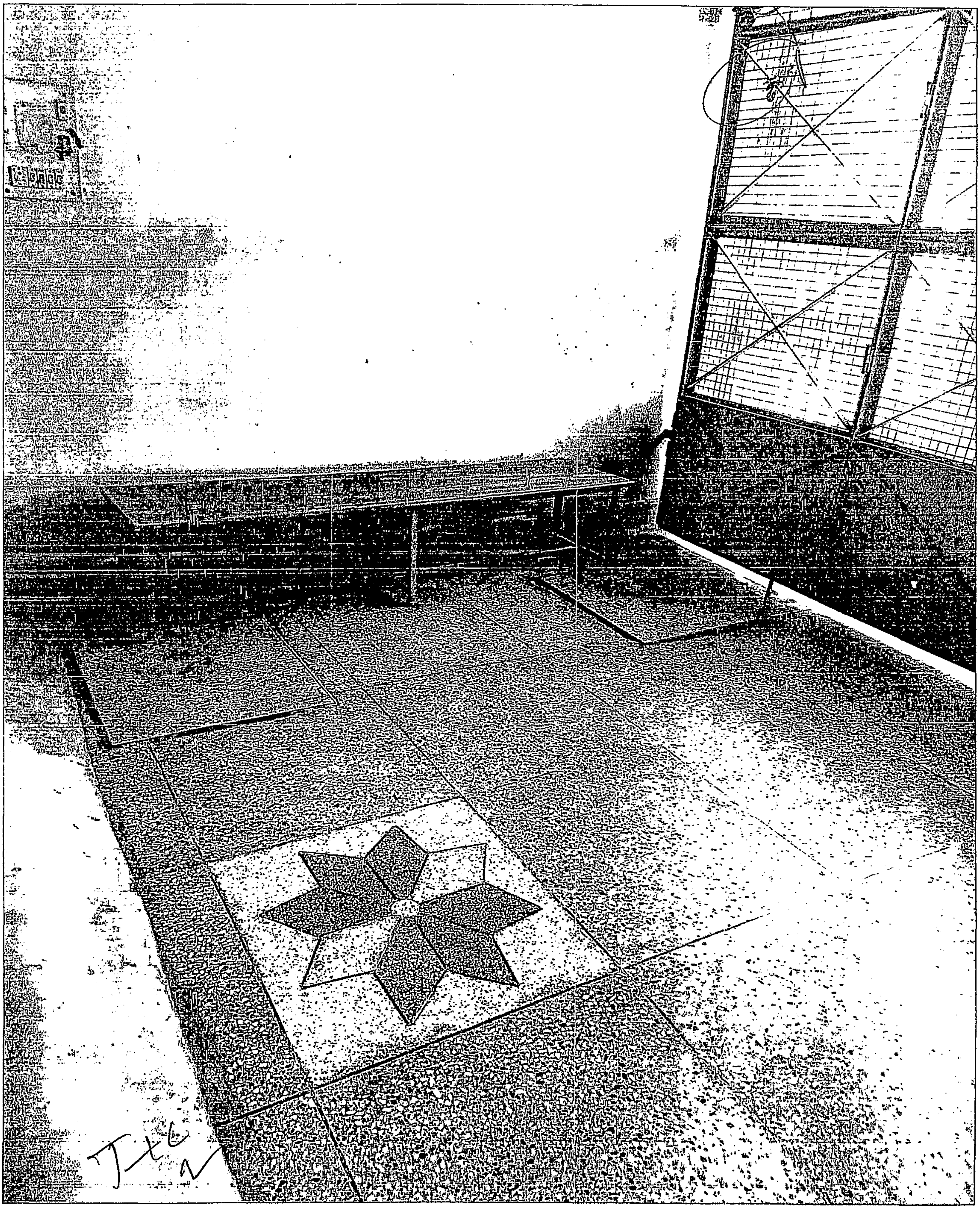

824

Manju Sharma kept her chairs in the house of DK Sharma

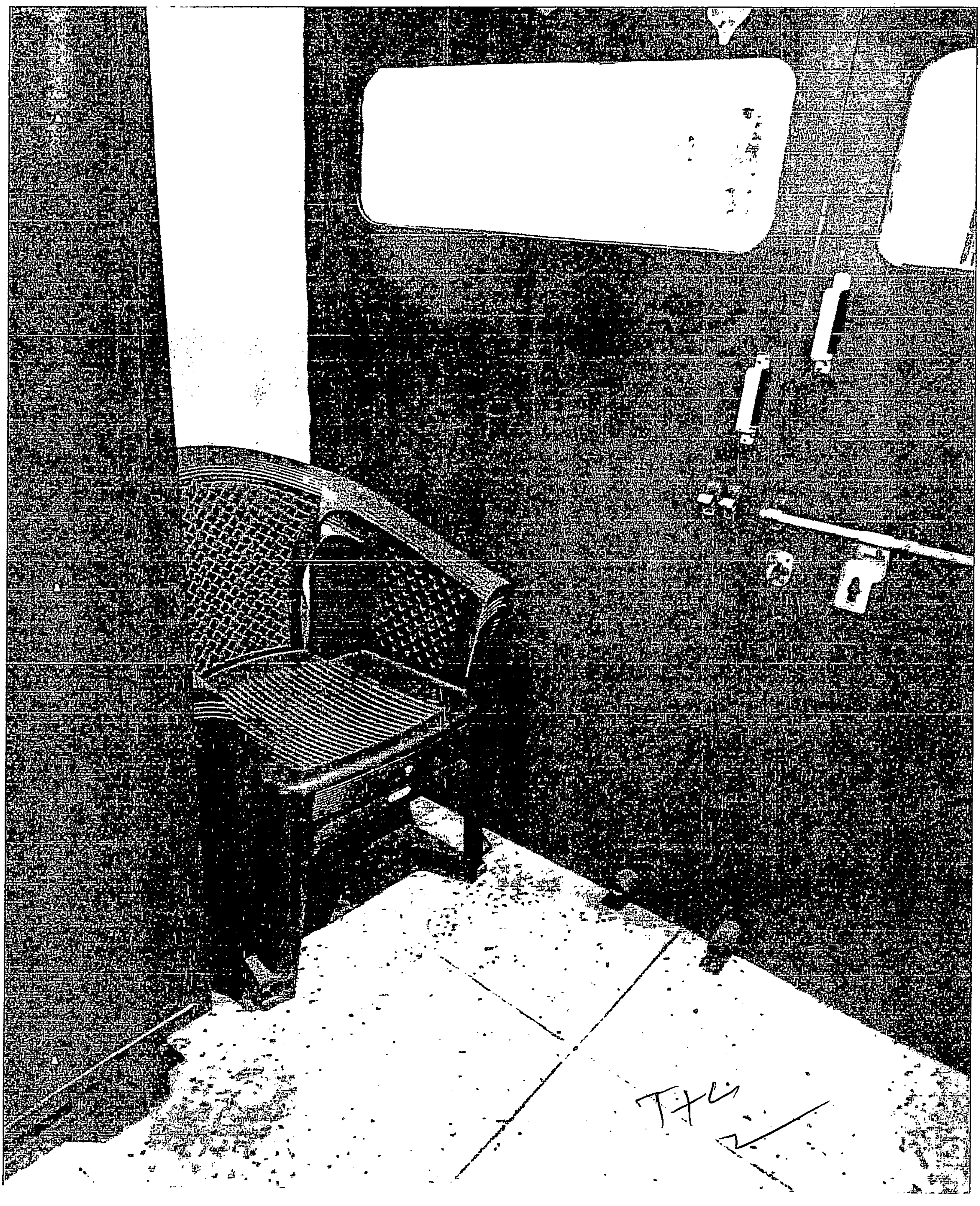

Manju Sharma installed her Electric Switch Board and Electric Meter in the House of DK Sharma

Manju Sharma installed her Invertor & Battery in DK Sharma house

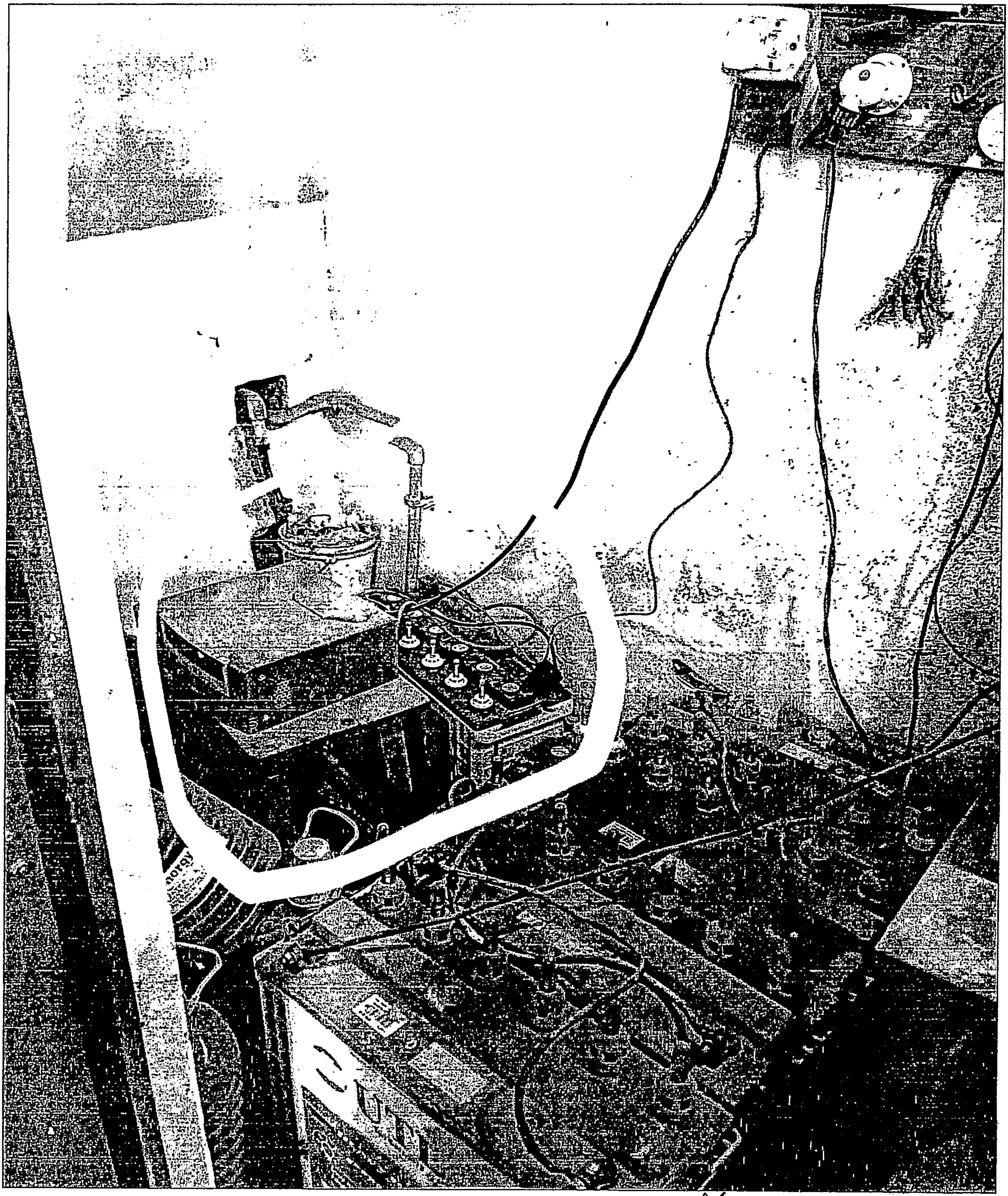

97

WATER TANK OF MANJU SHARMA KEPT ON THE ROOF AREA OF D. K. SHARMA (Roof Map Enclose

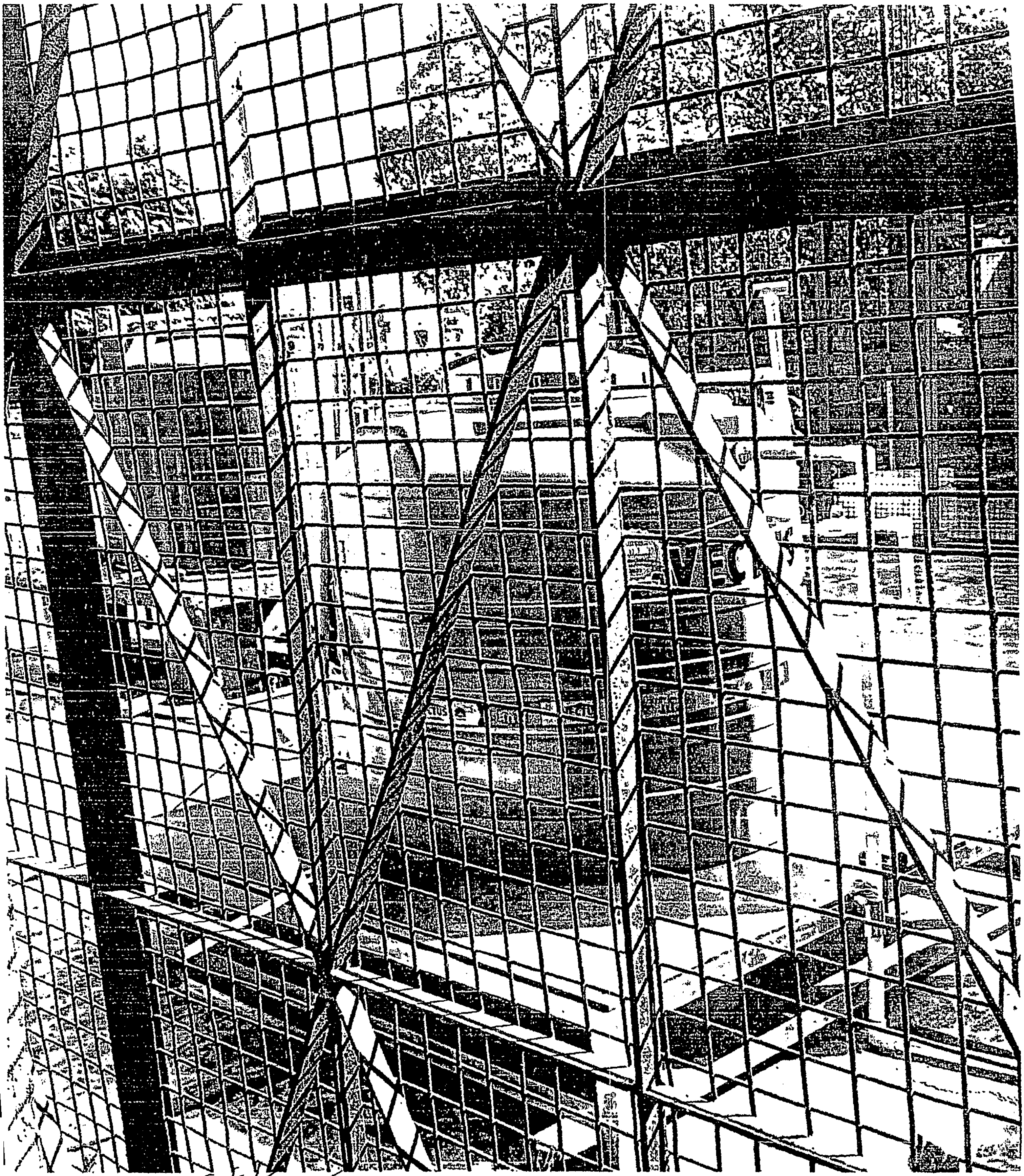

828

Ankita Sharma insturcting to Deepank and Manju Sharma for locking the door of DK Sharma house on his roof

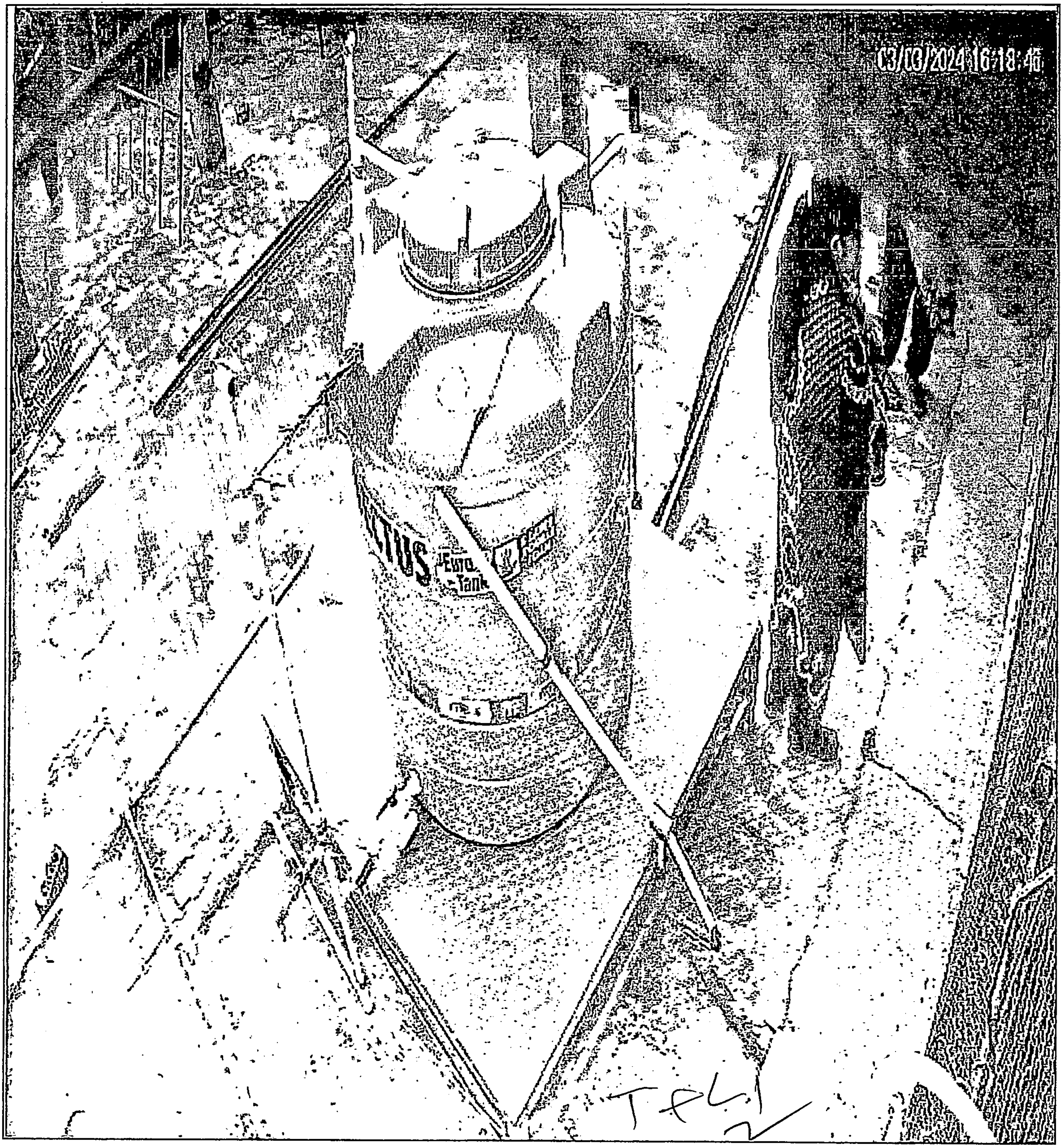

Deepank, Manju Sharma Locking the roof door of DK Sharma House

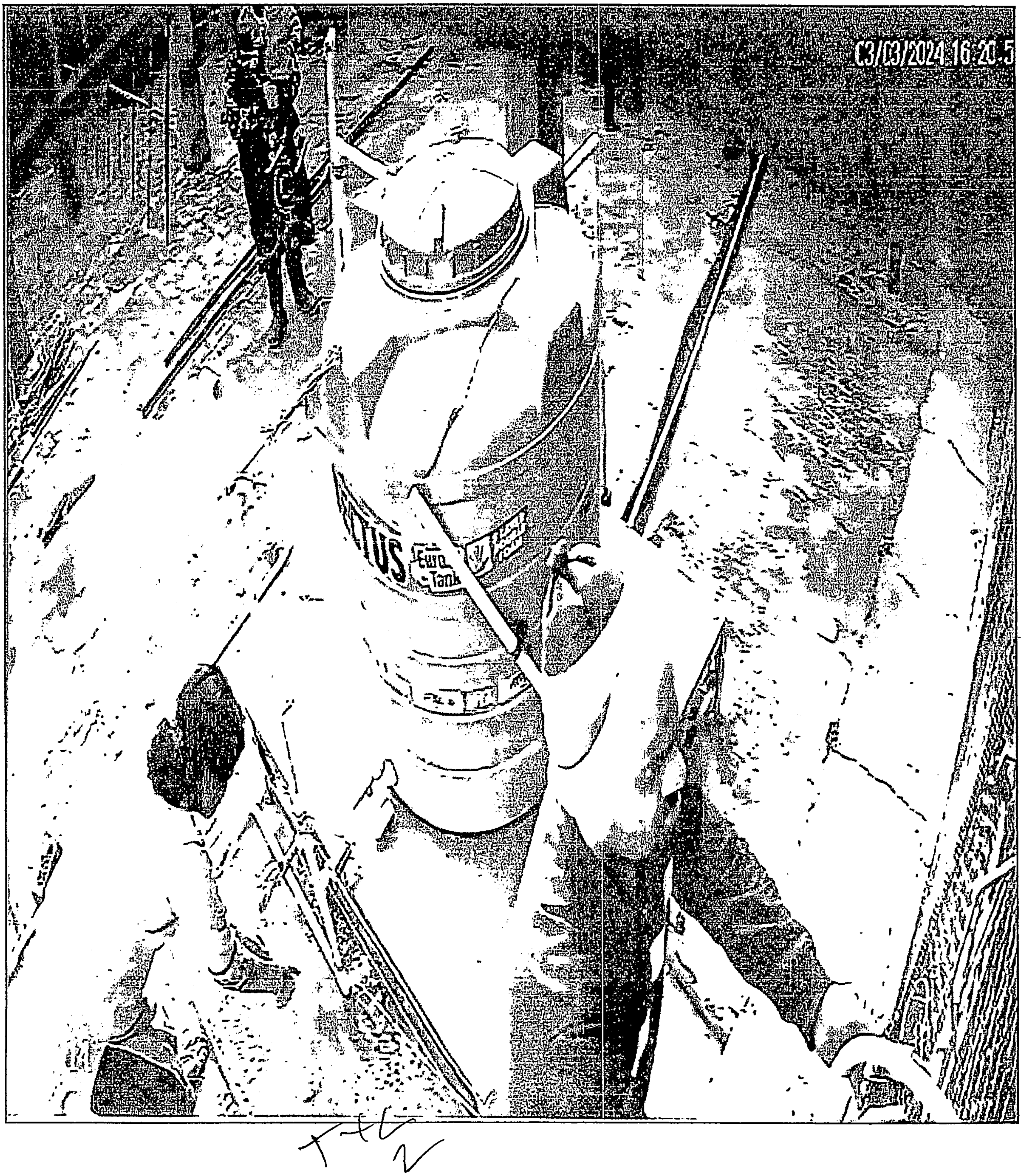

(90)

DOOR OPENS ON THE ROOF OF DK SHARMA,LOCKED BY MANJU SHARMA, DEEPANK & ANKIT SHARMA FROM THE OUT SIDE

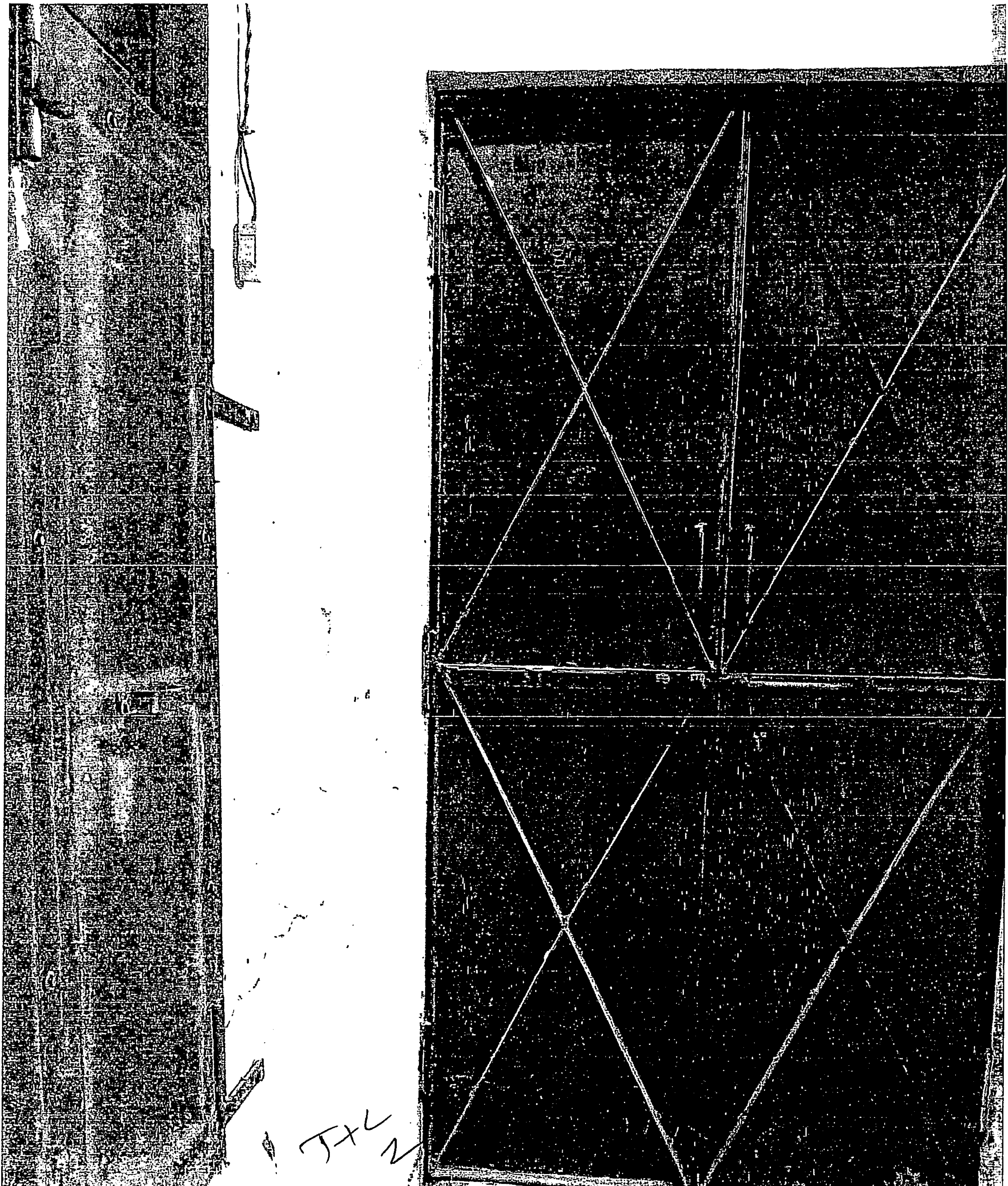

Ex-L 2

91

Manju Sharma locking the door situated on the roof of DK Sharma

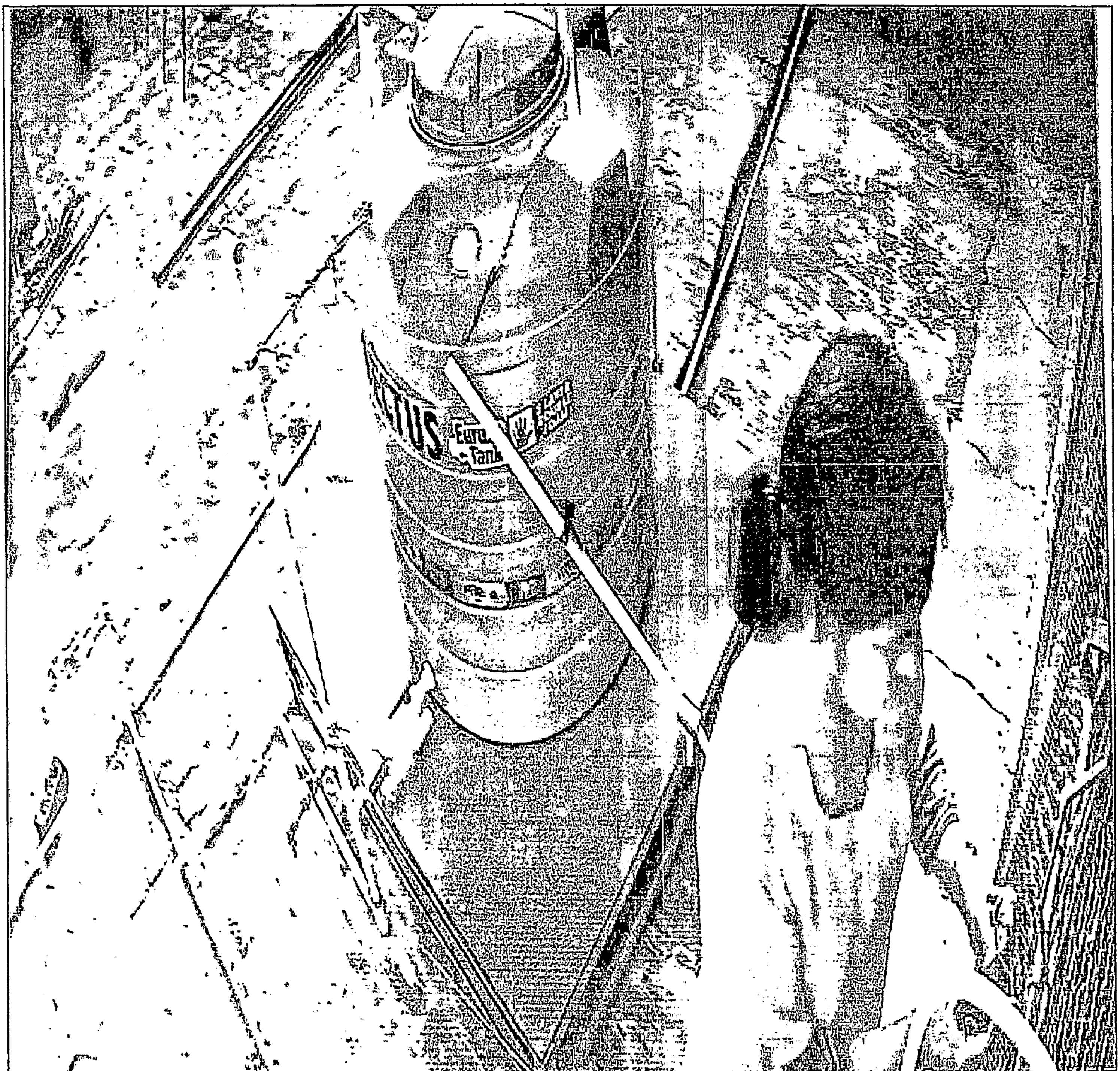

TLL

581 Annexure (92) — A-8, I

PUPSP030000542024_1_1

UPSP03-000054-2024

No. 3

J.S.C.C.

IN THE COURT OF Shri Saurabh Srivastava-I

J.S.C.C., , Saharanpur.

SUMMONS TO APPEAR IN PERSON

(O. 5, R. 3.)

Misc. Civil Cases/22/2024
DEEPANK KUMAR AND OTHES Vs DO. DEVESH KUMAR AND OTHES
NEXT DATE : 11-07-2024

To,

DO. DEVESH KUMAR AND OTHES
s/o sri dev sharma nivasi madhulia garden vazoriya road sre

Whereas **DEEPANK KUMAR AND OTHES** has instituted a suit against you for you are hereby summoned to appear in this Court in person on the **11-07-2024 at 11:00 o'clock in the forenoon,** to answer the claim; and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance of the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this **01-05-2024**

J.S.C.C.

Visit **ecourts.gov.in** for updates or download mobile app **"eCourts Services"** from Android or iOS

The process is system generated and transmitted in secured manner by authorised user as such physical signature not applied.

93

न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन/लघुवाद न्यायाधीश सहारनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या /2024

दीपांक कुमार शर्मा व एक अन्य बनाम डॉ0 देवेश कुमार शर्मा आदि

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

श्रीमान जी,

प्रार्थी सं01 द्वारा न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, बिजनौर के न्यायालय में मूलवाद सं0 25/2024 दीपांक कुमार शर्मा बनाम डॉ0 देवेश कुमार शर्मा आदि इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब स्थित कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर में बिना नियत प्राधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना आबादी घोषित कराये, बिना वादी–प्रार्थी सं01 की सहमति एवं अनुमति के उसमें खड़े हरे–भरे वृक्षों को काटने उसमें कॉलौनी काटने हेतु भू–खण्ड बनाने तथा उन्हें दीगर व्यक्तियों को बेचने एवं उन पर कब्जा कराने से बाज रहे।

उपरोक्त वाद में विपक्षीगण सं01 व 2 द्वारा दिनांक 19–01–2024 को आदेश 7 नियम 11ए एवं डी सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया तथा मूलवाद सं0 61/2006 डॉ0 डी0के0शर्मा बनाम दिनेश कुमार शर्मा आदि का उल्लेख किया गया तथा उसमें पारिवारिक समझौते के आधार पर उक्त वाद में हुये समझौते के आधार पर निर्णीत होने का कथन किया। वास्तव में ऐसा कोई पारिवारिक समझौता कभी प्रार्थीगण व विपक्षीगण अथवा देव शर्मा मिश्रा के बीच नही हुआ तथा मूलवाद सं0 61/2006 में अंकित तथ्यों के आधार पर नही हुआ स्वयं प्रतिपक्षीगण के अनुसार यह अंकित है कि मूलवाद सं0 61/2006 में वर्णित सम्पत्ति प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण तथा देव शर्मा मिश्रा की पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र में वर्णित शजरे के अनुसार 1/10 –1/10 भाग यानि कुल 1/5 भाग बनता है। लिहाजा प्रार्थीगण की सहमति व अनुमति के कोई पारिवारिक समझौता अथवा मूलवाद सं0 61/2006 में कोई समझौता बिना प्रार्थीगण को पक्ष बनाये अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनन नही किया जा सकता, समझौता विधि विरुद्ध है और प्रारम्भ से ही शून्य है।

Deepank

94

प्रार्थीगण को चूँकि मूलवाद सं0 61/2006 में पक्षकार नही बनाया गया, इसलिये उक्त मूलवाद का कोई नोटिस अथवा समन की तामील प्रार्थीगण पर होने तथा उसकी कोई सूचना प्रार्थीगण को प्राप्त होने का प्रश्न नही है। प्रथम बार प्रार्थी सं01 द्वारा योजित मूलवाद सं0 25/2024 में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेख किये जाने से ज्ञान हुआ तथा उसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07–03–2024 को सहारनपुर न्यायालय में मूलवाद सं0 61/2006 की पत्रावली का मुआयना करायी तथा उसकी नकल दिनांक 16–03–2024 को प्राप्त की। नकल प्राप्त होने पर तथा प्रपत्रों को पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षीगण द्वारा बहमसाजगी प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध षडयन्त्र कारित कर बाला–बाला समझौता डिक्री माननीय न्यायालय को धोखा देकर पारित करा ली है किन्तु प्रार्थी/वादी सं02 जो वर्तमान में बंगलौर कर्नाटक में नौकरी करता है तथा छुट्टी न मिलने के कारण नहीं आ सका, जो छुट्टी मिलने पर दिनांक 29–03–2024 को आया तथा 30–03–2024 को प्रार्थनापत्र रेस्टोरेशन फाईनल कराया, जो टंकित हासेकर दिनांक 31–03–2024 को प्राप्त हुआ।

प्रार्थीगण के हित मूलवाद सं0 61/2006 में निहित है। न्याय हित में मूलवाद सं0 61/2006 में पारित समझौता डिक्री, जो विधि विरूद्ध एवं बिना क्षेत्राधिकार है, को अपास्त किया जाकर वाद की सुनवाई प्रार्थीगण को पक्ष बनाकर उक्त वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को उपरोक्त मूलवाद में पक्ष न बनाने तथा मूलवाद की कोई जानकारी दिनांक 19–01–2024 से पूर्व व दिनांक 07–03–2024 को पत्रावली का मुआयना कराने व वाद की नकले दिनांक 16–03–2024 को प्राप्त करने से पूर्व न होने के कारण मूलवाद सं0 61/2006 में पारित निर्णय व समझौता डिक्री को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र समय से प्रस्तुत नही किया जा सका। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र रेस्टोरेशन प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, उसको क्षमा किया जाकर प्रार्थनापत्र समयावधि के भीतर माना जाना आवश्यक है।

Deepank

95

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र रेस्टोरेशन प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे माफ फरमाया जाये तथा मूलवाद सं0 61/2006 डॉ0 देवेश कुमार शर्मा बनाम देव शर्मा आदि की सुनवाई प्रार्थीगण को पक्षकार बनाकर गुण–दोष के आधार पर की जाये।

Deepank

प्रार्थीगण

दीपांक कुमार शर्मा व एक अन्य

(Advocate)
Reg. No.-UP-6871/11
Ch. No.-116, Civil Court, Saharanpur

96

DEEPANK KUMAR AND OTHER VA

KUMAR

{0.5.8.3.)

NEXT DA

To

DO. DEVESH KUMAR AND OTHERS

so sri dev sharma nivasi maduudia garden vazorlya mad ore

Whereas DEEPANK KUMAR AND OTHER has seda sot agai herby summoord to appen in this Court in person on the 11-07-2024 at 11:00 foreseen, to answer the claim; and you are directed to peshice on that day all the which you intend to rely to support of your defence,

Take notice that, in default of your appearance of the day before mentioned, heard and determined in your absence

Given under my hand and the seal of the Court, this 01-05-2024

Sonic ecourts.goxin toe spdates on download mobile app "Courts Services" boom Android

The percess is system generated and tronomitted in secured marner by authored user signature not appled

T+L

97

Misc Civil

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Court of Civil Judge, Senior Division/Small Causes Judge Saharanpur.

Miscellaneous case number /2024 Dipank Kumar Sharma and another vs. Dr. Devesh Kumar Sharma etc. application under Section 5 of the Period Act

Mister.

Applicant No. 1 has submitted original case No. 25/2024 Dipank Kumar Sharma vs. Dr. Devesh Kumar Sharma etc. in the court of Civil Judge, Senior Division, Bijnor to the effect that the property mentioned in the said plaint is situated in the town and pargana Mandawar. In Tehsil and district Bijnor without the approval of the appointed authority and without declaring the population. Without the consent and permission of the plaintiff-applicant no. 1, they refrained from cutting the lush green trees standing in it, making land plots for setting up a colony in it and selling them to other persons and taking possession of them.

In the above case, an application was submitted by the opposition parties No. 1 and 2 under Order 7 Rule 11A and D CPC on 19-01-2024 and Original Case No. 61/2006 Dr. D.K. Sharma vs. Dinesh Kumar Sharma etc. was mentioned and in it the family agreement Said to be decided on the basis of the agreement reached in the said case. In fact, no such family agreement ever took place between the applicants and the opposition parties or Vaivam Sharma Mishra and it was not done on the basis of the facts mentioned in the original case no. 61/2006. According to the opponents themselves, it is stated that the property mentioned in the original case no. 61/2006 belonged to the applicants and It was the ancestral property of the opposition parties and Dev Sharma Mishra in which the applicants have 1/10-1/10 share i.e. 1/5 share as per the share mentioned in the application. Therefore, any family settlement or any agreement in Moolvaad No. 61/2006 cannot be made legally with the consent and permission of the applicants, without making the applicants a party or giving them an opportunity of being heard, the agreement is against the law and is void from the very beginning.

Deepank

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Since the applicants were not made parties in the original case No. 61/2006, there is no question of the applicants being served any notice or summons in the said original case and the applicants not receiving any information about the same. First, after knowing about the mention of Order 7 Rule 11 CPC in the petition filed by the opposition parties in the petition number 25/2024 filed by the applicant no. 1 and after that, the file of claim no. 61/2006 was filed by the applicants in Saharanpur Court on 07-03-2024. Got it inspected and received its copy on 16-03-2024. After receiving the copy and reading the forms, it was revealed that the opposition parties have conspired against the rights of the applicants and have cheated the Honorable Court to pass a high-sounding settlement decree, but the applicant/plaintiff no. 2, who is currently employed in Bangalore, Karnataka, and could not come due to not getting leave, which came on 29-03-2024 after getting leave and got the restoration application finalized on 30-03-2024, which was received by Takit Hasekar on 31-03-2024.

Happened. The interests of the applicants are enshrined in Moolavaad No. 61/2006. In the interest of justice, an application has been submitted to set aside the settlement decree passed in Original Case No. 61/2006, which is illegal and without jurisdiction, and the hearing of the case should be made in favor of the respondents and the said settlement should be done on the basis of merits..

In the above circumstances, the delay in submitting the application is due to the opposition parties making the applicants in favor of the above original contention and not getting any information about the original issue before 19-01-2024 and inspection of the file on 07-03-2024 and filing of the case. Due to non-availability of copy dated 18-03-2024, the application for setting aside the decision and compromise decree passed in Original Case No. 61/2006 could not be submitted in time. Due to the above circumstances there has been delay in submitting the application for restoration. It is necessary for him to be forgiven and the application should be considered within the time period.

Deepank

AL

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: सं० 337

fundamentalism no.

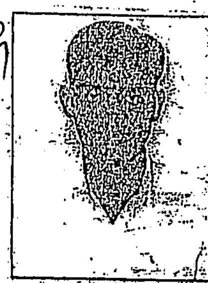

न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, बिजनौर।

मूलवाद संख्या ..... /2024

दीपांक कुमार शर्मा आयु लगभग ..... वर्ष पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी 1810, मण्डी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज, रेलवे रोड़ पिलखुआ, जनपद हापुड़।

——— वादी।

बनाम

1– डॉ0 देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव कुमार शर्मा, निवासी मधुलिका गार्डन, वाजोरिया रोड़, सहारनपुर, जनपद सहारनपुर।

2– संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री जयकिशन शर्मा निवासी बालाबाली रोड़, निकट सरकारी हॉस्पिटल मण्डावर, जनपद बिजनौर।

3– दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव कुमार शर्मा निवासी 1810, मण्डी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज, रेलवे रोड़ पिलखुआ, जनपद हापुड़।

——— प्रतिवादीगण।

4– द्रवित कुमार शर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी 1810, मण्डी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज, रेलवे रोड़ पिलखुआ, जनपद हापुड़।

5– दीप्ति भारद्वाज पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा पत्नी श्री अंकित भारद्वाज निवासी 18490 Jennings dr, Lathrop California-USA.

——— तरतीवी प्रतिवादीगण।

<u>वादी उपरोक्त निम्नलिखित निवेदन करता है –</u>

1–. यह कि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण सं04 व 5 के परदादा व प्रतिवादीगण सं01 ता 3 के दादा श्री देवकी नन्दन शर्मा को वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब तथा अन्य काफी सम्पत्तियॉ, जो पैतृक एवं खानदान मुश्तर्का थी, प्राप्त हुई थी। श्री देवकी नन्दन शर्मा की मृत्यु के उपरान्त उनके एकमात्र पुत्र वादी के दादा स्व0 देव शर्मा मिश्रा को उक्त

Krishn Kumar Sharma
ADVOCATE
Regn. No. 3743 / 1988
COP No: 011385
CIVIL COURT BIJNOR

सम्पत्तियाँ प्राप्त हुई तथा स्व0 देव शर्मा मिश्रा का नाम सम्पत्ति तालिका अ व ब वादपत्र, जो बाग है, में बहैसियत खानदान मुश्तर्का दर्ज रहा। स्व0 देव शर्मा मिश्रा द्वारा अपने हिस्से में से अपने जीवनकाल में वादी एवं प्रतिवादीगण व अन्य रिश्तेदारों की सहमति से वर्ष 2008 तक विभिन्न व्यक्तियों के हक में तालिका अ वाद पत्र की सम्पत्ति के सम्बन्ध में काफी बैनामों का अधिकारपूर्वक निष्पादन किया तथा खरीदारान का कब्जा भी उन पर कराया। अपने जीवनकाल में स्व0 देव शर्मा मिश्रा ही उक्त समस्त सम्पत्तियों पर परिवार के कर्त्ता की हैसियत से काबिज रहे तथा देखभाल करते रहे।

2— यह कि स्व0 देव शर्मा मिश्रा के दो पुत्र प्रतिवादीगण सं01 व 3 तथा तीन पुत्रियाँ रीता, गीता और नीता हुई। स्व0 देव शर्मा मिश्रा के जीवनकाल में कोई विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्तियों का मौखिक अथवा लिखित नही हुआ। वाद वर्णित सम्पत्तियाॅ वादी एवं प्रतिवादीगण सं01, 3, 4 व 5 की संयुक्त पारिवारिक सम्पत्तियाॅ हैं, जिसमें निम्नलिखित शजरे के अनुसार वादी का 1/10 भाग है तथा वादी वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में 1/10 भाग का बशराकत प्रतिवादीगण सं01, 3, 4 व 5 मालिक एवं काबिज है :—

शजरा वादी एवं प्रतिवादीगण

शील चन्द शर्मा (मृतक)

देवकी नन्दन (मृतक)

देव शर्मा मिश्रा (मृतक)

देवेश कुमार शर्मा — देवांक (पुत्र), देविना (पुत्री)

दिनेश कुमार शर्मा — द्रवित (पुत्र), दीपांक (पुत्र), दीप्ति (पुत्री)

रीता (पुत्री)

नीता (पुत्री)

गीता (पुत्री) (मृतक) — शरत चंद श्रोत्रिय (पति), शान्तनु (पुत्र)

101

3– यह कि यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में कोविड पेनडेमिक तथा मई 2021 तक वादी मण्डावर स्थित अपने पैतृक मकान, जिसका विवरण तालिका ब में दिया गया है, में रहता था तथा वहाँ वह अपनी बेकरी का काम करता रहा (स्व0 देव शर्मा मिश्रा जिस स्थान पर अपना निवास व कार्य करते थे) उसका पूर्ण **Rennovation** भी वादी द्वारा वर्ष 2015 में अपना कारोबार प्रारम्भ करने से पूर्व कराया गया था, जिसमें वादी ने अपना काफी रूपया खर्च किया है, जिस पर अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी थी।

4– यह कि चूँकि प्रतिवादी सं01 वादी के सगे ताऊ हैं तथा प्रतिवादी सं03 वादी के पिता हैं, इसी कारण से वादी एवं प्रतिवादीगण सं04 व 5 प्रतिवादी सं01, जो वादी के सगे ताऊ हैं, तथा प्रतिवादी सं03 पिता है, पर अत्यधिक विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के कारण तथा उनके द्वारा यह कहने पर कि रेवेन्यू का कार्य सभी की ओर से वे दोनों देख लेंगे, सम्पत्ति तालिका अ व ब वादपत्र की देख–रेख प्रतिवादीगण सं01 व 3 के आश्वासन के अनुसार प्रतिवादीगबण सं01 व 3 के सुपुर्द कर दी तथा प्रतिवादीगण सं01 व 3 द्वारा स्व0 देव शर्मा मिश्रा की मृत्यु के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं04 व 5 को यह आश्वासन दिया गया कि उनके हित वाद वर्णित सम्पत्ति में सदैव सुरक्षित रहेंगे जिसको वादी व प्रतिवादीगण सं04 व 5 ने अत्यधिक विश्वास होने के कारण सही मानते हुए वाद वर्णित सम्पत्ति की देखभाल का जिम्मा प्रतिवादीगण सं01 व 3 को दे दिया।

5– यह कि प्रतिवादी सं01 देवेश कुमार शर्मा व प्रतिवादी सं03 दिनेश कुमार शर्मा ने बहमसाजगी प्रतिवादी सं02, जो प्रतिवादीगण सं01 व 3 का सगा मौसेरा भाई है, से हमसाज होकर वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ विक्रय करने एवं उसमें आवासीय प्लाट काटकर कालोनी बनाने हेतु बेचने की घोषणा मण्डावर क्षेत्र में कराई तथा सम्पत्ति तालिका अ वादपत्र पर एक बोर्ड भी "देव कुन्ज विहार" के नाम से लगवा दिया। वादी जब

Deepank

गये दिनांक 02–01–2024 को अपने पैतृक मकान पर गया, तब उसने तालिका अ वादपत्र पर सड़क के किनारे उक्त गेट एवं उस पर लगा बोर्ड देखा। जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं01, 2 व 3 से इस सम्बन्ध में कहा गया, तब उन्होंने कहा कि यह सम्पत्ति प्रतिवादी सं01 की है और उसे पूरा अधिकार इस सम्पत्ति को बेचने का है आपका इस सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नही है और यह भी कहा कि तालिका ब वादपत्र की सम्पत्ति में से भी वह कुछ सम्पत्ति बेच देगा। वादी ने प्रतिवादीगण सं01 ता 3 से ऐसा करने को मना किया, तब वादी ने राजस्व कार्यालय में अभिलेख कागजात खतौनी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रतिवादीगण सं01 व 3 ने तालिका अ व ब में कृषि भूमि (बाग) पर अपने नाम वादी को धोखा देकर दर्ज करा लिया है जिसके कोई नोटिस वादी को कभी प्राप्त नही हुये। लिहाजा कागजात माल में नाम दर्ज होने का कोई लाभ प्रतिवादीगण सं01 व 3 को नही मिलता है।

6– यह कि वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब के खसरा नम्बरान में आम व अन्य हरे–भरे फलदार वृक्ष खड़े हैं तथा वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, उसमें धारा 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट व धारा 80 (राजस्व संहिता) के अन्तर्गत कोई घोषणा आबादी में नही की गयी है और न ही कोई अनुमति हरे–भरे फलदार वृक्षों का काटने की ली गयी है। इसलिये वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में कोई कॉलोनी बनाया जाना अवैध एवं विधि विरूद्ध है तथा प्रतिवादीगण सं01 ता 3 को वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में प्लॉट काटकर कालौनी बनाने का कोई अधिकार नही है।

7– यह कि प्रतिवादी सं04 व प्रतिवादिनी सं05 बाहर रहती है, इसलिये उन्हें वादी बनाया जाना सम्भव नही है। लिहाजा प्रतिवादीगण सं04 व 5 को तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया जाता है।

8– यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं01 ता 3 को हरचन्द समझाया कि वह वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में आबादी घोषित कराये

Deepank

बिना वादी की सहमति एवं अनुमति के बिना कोई कॉलोनी न बनाये और न ही आबादी हेतु कोई प्लॉट बेचे तथा नियत प्राधिकारी से पेड़ों के काटने की अनुमति प्राप्त किये बिना वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में खड़े पेड़ों को न काटे और न ही किसी अन्य व्यक्ति का उस पर कब्जा कराये. परन्तु दिनांक 02–01–2024 को प्रतिवादीगण सं01 ता 3 द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने धमकी दी है कि वह प्रतिवादीगण सं01 ता 3 में खड़े हरे–भरे फलदार वृक्षों को कटवाकर बेच देंगे और अन्य व्यक्तियों का कब्जा करायेंगे। यदि प्रतिवादीगण सं01 ता 3 अपने उपरोक्त इरादे में कामयाब हो गये तो वादी की लातलाफी हानि होगी जिसकी भरपायी किसी अन्य प्रकार से न हो सकेगी। लिहाजा वाद दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

9– यह कि वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 02–01–2024 को प्रतिवादीगण सं01 ता 3 द्वारा बिना नियत प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में खड़े हरे–भरे वृक्षों को काटने की धमकी देने, बिना आबादी घोषित कराये वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में प्लाटिंग कर बेचने तथा अन्य लोगों का उन पर कब्जा कराने की धमकी देने से तथा वादी के ऐसा न करने को कहने पर प्रतिवादीगण सं01 ता 3 के सुनवा न होने से स्थान कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर में प्राप्त है। चूँकि वाद वर्णित आराजी श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर में स्थित है। इसलिये श्रीमान जी को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

10– यह कि वाद का मूल्यांकन बगरज अख्तियार समाअत अदालत अनुतोष (अ) पर वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब के भू–राजस्व अंकन 130/– रू0 के तीस गुने अर्थात् 3900/– रू0 तथा वाद वर्णित सम्पत्ति में निर्मित मकानात व दुकानात की कीमत अंकन 50,00,000/–

अर्थात् कुल अंकन 50,03,900/– रू0 पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क स्थायी निषेधाज्ञा हेतु नियमानुसार अदा किया जाता है।

वादी प्रार्थी है कि –

(अ) यह कि प्रतिवादीगण सं01 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाये कि वह वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब स्थित कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर में बिना नियत प्राधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना आबादी घोषित कराये, बिना वादी की सहमति एवं अनुमति के उसमें खड़े हरे–भरे वृक्षों को काटने उसमें कॉलोनी काटने हेतु भू–खण्ड बनाने तथा उन्हें दीगर व्यक्तियों को बेचने एंव उन पर कब्जा कराने से बाज रहे।

(ब) वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये।

(स) अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय की राय में वाद की परिस्थितियों में उचित हो, वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये।

तालिका (अ)

विवरण सम्पत्ति एक किता बाग आम, नाशपाती, कटहल आदि स्थित कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर।

खसरा संख्या	रकबई		
1083	0.7970 है0		
1084	0.1260 ,,		
1089	0.3410 ,,		
1090	0.2280 ,,	लगान	रू0
1093	0.6860 ,,		
1094	0.1640 ,,		
कुल 6 खेत	2.3420 ,,		

तथा पाँच दुकानात जीना व छत

पूरब :: अनिल कुमार व मुकेश

पश्चिम :: सम्पत्ति करम सिंह

उत्तर :: सम्पत्ति प्रदीप कुमार व राजकुमार आदि

दक्षिण :: सड़क सरकारी

Deepank

105

तालिका (ब)

विवरण सम्पत्ति एक किता बाग स्थित पैट्रोल पम्प के सामने कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर।

खसरा संख्या	रकबई
2119	0.0890 है0
2120	1.1520
2121	0.1140
2122	0.2910 ,,
2123	0.2210
2124	0.1260 ,,
2125	0.1170 ,,
2126	0.2020
2127	0.1010
2128	0.1140
कुल 10 खेत	1.5870 ,,

लगान रू0

जिस पर मौके पर बाग लगा हुआ है एवं एक किता मकान व दुकान जिसके पूरब में सड़क, पश्चिम में रामरक्षपाल व सुभाष, उत्तर में सड़क, दक्षिण में दामोदर प्रसाद आदि, जिस पर वादी का कब्जा हैं और वादी का ताला लगा हुआ है तथा वादी व उसकी पत्नी का सामान आदि रखा हुआ है।

Deepank

वादी
दीपांक कुमार शर्मा

मैं, दीपांक कुमार शर्मा, वादी, आज दिनांक 05/1/25 स्थान बिजनौर सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त वादपत्र के प्रस्तर सं01 ता 8, अनुतोष व विवरण सम्पत्ति मेरे ज्ञान व विश्वास में तथा प्रस्तर सं09 व 10 प्राप्त विधिक राय, जिनके सत्य होने में मैं विश्वास करता हूँ, से सत्य है।

दीपांक कुमार शर्मा
वादी
Deepank

द्वारा :

के0के0 शर्मा
एडवोकेट
सिविल कोर्ट बिजनौर।

106

monitoring session)

25th year 2024

receiving information

2

re-inspection sir

Therefore, it is requested that the delay in submitting the restoration application should be forgiven and the hearing of Original-Case No. 61/2006 Dr. Devesh Kumar Sharma vs. Dev Sharma etc. should be done on the basis of merits by making the applicants parties.

Front

applicants

Dipank Kumar Sharma and another

•. No.-UP-6871/11 (Advocate) Ch. No.-116.Civil Saharanpur at Nager Re

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: PD Form No. 337

form 3

application for information

107

From Originalism 25th 2024

in relation to

monitoring s.

सं०

200

re-inspection

It is pending in the court of Mr. Civil Judge C.K. Bijnor. Deepok Kumar Sharma vs Dr Devesh Kumar Sharma

Question

1- Whether the above plaintiff Dipank Kumar Sharma, son of Shri Dinesh Kumar Sharma, resident of 1810 Mandi Railway Road, Near Sarvodaya Inter College Railway Road, Pilkhua District, Hapur, defendants 1- Dr. Devesh Kumar Sharma, son of Shri Dev Kumar Sharma, resident of Madhulika Garden, Wajoria Road, Saharanpur District, Saharanpur 2 - Sanjay Kumar Sharma, son of Jaikishan Sharma, resident of Balawali Road, near Government Hospital, Mandawar district, Bijnor 3- Dinesh Kumar Sharma, son of Shri Dev Kumar Sharma, resident of 1810 Mandi Railway Road, near Sarvodaya Inter College Railway Road, Pilkhua, District Hapur, ranked number of defendants 4- Dravit Kumar Sharma, son of Shri Dinesh. Kumar Sharma resident of 1819 Mandi Railway Road near Sarvodaya Inter College Railway Road Pilkhua district Hapur 5 Deepti Om Bhardwaj daughter of Mr. Dinesh Kumar Sharma wife of Mr. Ankit Bhardwaj resident of 18490 Jennings dr, Lathrop California-USA. Regarding property Table A Description of the property situated in Kita Bagh Mango Pear Jackfruit etc. Town and Pargana Mandawar Tehsil and District Bijnor Khasra No. 1083 Acreage is 0.7970, 1089 Acreage is 0.3410, 1090 Acreage is 0.2280. 3 area 0.6860 ha 1094 area 0.1680

108

hectares, total 6 farms, total area 2.3420 hectares and five shops, living and terrace, East of which are Anil Kumar and Mukesh, West - property of Karam Singh, North - property of Pradeep Kumar and Rajkumar etc. South - Road is government and Table B Details of property - Petrol pump located in Kita Bagh. Town and Pargana Mandawar Tehsil and District Bijnor in front of

Khasra number 2119 area is 0.0890 0.2120 area

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: 2

01140 hectares total 10 farms total area 1.5870 hectares Permanent injunction has been filed which is under consideration? 2- Is 1-8-2024 fixed for hearing in the above case?

Dated 31.7.2024 Signature and letter of the replying officer or signature of the lawyer

Applicant plaintiff Deepak Kumar Sharma at RAMAOR Ramautar Singh Add.3 En Civil Court Bijnor Civia Cort, Bi

Note: This letter will be returned with the reply on the same day. If the record is out somewhere then it should be informed and the applicant should be asked to come again on the specified date.

1

Manager M.SK Civil Judge (C.D.) Bijnor (Uttar Pradesh)

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: 5

ciece See 40/2024, EHK UPA 105-000033- Court of Civil Judge, Senior Division, Bijnor 515,

originalism number 25 2024

109

K Kumar Sharma age approx. Year Son Shri Dinesh Kusar Sharma C 1810, Mandi Railway Road, Near Sarvodaya Inter College, Railway Road Khua, District Hapur.

Plaintiff.

versus

Dr. Devesh Kumar Sharma, son of Mr. Dev Kumar Sharma, resident of Madhulika Road, Wajoria Road, Saharanpur, district Saharanpur.

- Sanjay Kumar Sharma, son of Shri Jaikishan Sharma, resident of Balabali Road, Cutt Government Hospital Mandawar, Bijnor district.

Dinesh Kumar Sharma, son of Shri Dev Kumar Sharma, resident of 1810, Mandi Lave Road, near Sarvodaya Inter College, Railway Road Pilkhua, District Pud.

The defendants.

--- Dravit Kumar Sharma, son of Shri Dinesh Kumar Sharma, resident of 1810, Mandi Balve Road, Near Sarvodaya Inter College, Railway Road Pilkhua, District Hapur.

5- Deepti Bhardwaj daughter of Mr. Dinesh Kumar Sharma wife of Mr. Ankit Bhardwaj resident of 18490 Jennings dr, Lathrop California-USA.

Plaintiffs.

The plaintiff submits the following

110

1- That the case was registered against Mr. Devaki Nandan Sharma, great grandfather of the plaintiff and subsequent defendants no. 4 and 5 and grandfather of defendants no. 1 and 3.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Properties were received and the name of late Dev Sharma Mishra was recorded as Bahaisiyat family Mushtarka in property table A and B deed, which is Bagh. Late Dev Sharma Mishra, from his share, during his lifetime, with the consent of the plaintiff, defendants and other relatives, rightly executed many deeds in relation to the property in the table and plaint in favor of various persons till the year 2008 and also took possession of the purchase. Got it done on them. During his lifetime, Late Dev Sharma Mishra remained in possession of all the above mentioned properties as the head of the family and continued to take care of them.

2- That Late Dev Sharma Mishra had two sons, defendants No. 1 and 3, and three daughters, Rita, Geeta and Neeta. During the lifetime of Late Dev Sharma Mishra, there was no partition, oral or written, of the property and other properties mentioned in the suit between the plaintiff and the defendants. The properties described below are the joint family properties of the plaintiff and defendants no. 1, 3, 4 and 5, in which the plaintiff has 1/10th share as per the following order and the plaintiff has 1/10th share as per the property table A and B, respectively, of defendants no. 1, 3, 4 and 5 are owner and occupied by:-

Shajra Plaintiff and defendants 1 Sheel Chand Sharma (deceased) 1 Devki Nandan (deceased) 1 Dev Sharma Mishra (deceased)

1

Devesh Kumar Sharma

1

Dinesh Kumar Sharma

1

TFC

1

1 Rita

1 Geeta Neeta (Daughter) (Daughter) Deceased

1

Devank

Devina Dravit

(daughter son)

1

Deepank

(Daughter)

sister

Sharat Chand Shrotriya

1

112

Shantanu

(son) (daughter)

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Not

4

3- That this fact is also noteworthy here that in the year 2021, Kovid Sadesik and till May 2021, Yadi lived in his ancestral house in Mandawar, the details of which are given in Table B, and he continued working as his bakery here (Late 0 Dev Sharma Mishra, the place where he used to live and work, complete renovation was also done by the plaintiff before starting his business in the year 2015. In which the plaintiff has spent a lot of money, on which no objection was raised by the other defendants.

4- That since defendant no. 1 is the maternal uncle of the plaintiff and the defendant is the father of Gadi. For this reason, the plaintiff and defendants no. 4 and 5, defendant Sangh, are the maternal uncles of the plaintiff, and defendant no. 3 is the father. They have immense faith in the defendants and because of this faith and on his saying that both of them will look after the revenue work on behalf of all, the property table A and B are being looked after by the defendants No. 1 and 3 as per the assurance given by the defendants Sant 3. After the death of late Dev Sharma Mishra, the defendants No. 1 and 3 gave assurance to the plaintiff and defendants No. 4 and 5 that their interests would always be safe in the hereinafter mentioned property, which the plaintiff 3, defendants No. 4 and 5 took with utmost confidence. Considering this as correct, the responsibility of taking care of the property mentioned in the suit was given to defendant no. 1 33.

5- That defendant no. 1 Devesh Kumar Sharma and defendant no. 3 Dinesh Kumar Sharma have married defendant no. 2, who is the real brother of defendants no. 1 and 3. In connivance with them, an announcement was made in Mandawar area to sell the property mentioned in the suit and to cut a residential plot in it and sell it to make a colony and the property list was issued.

Got it installed in the name of "Shri Devihar".

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Al went to his ancestral house on 02-01-2024, when he saw the said stomach and the board on the table and plaint on the roadside. When the plaintiff asked

T+L

113

defendants No. 1, 2 and 3 about this, they said that this property belonged to the defendant and he had full right to sell this property. You have no right or share in this property and also said that he will sell some of the property in the table. Chadi refused defendant No. 3 to do so, then when plaintiff obtained a copy of the record documents Khatauni in the Revenue Office, it came to light that defendants No. 1 and 3 had registered their names on the agricultural land (orchard) in Table A and B. It has been registered fraudulently and no notice was ever received by the plaintiff. Therefore, defendants No. 1 and 3 do not get any benefit of getting their names registered in the documents.

6- That in the Khasra number of the property table A and B mentioned in the suit, Anan and other lush green fruit trees are standing and in the property mentioned in the suit Table A and B, it is recorded as agricultural land. In that, no announcement has been made to the population under Section 143 ZALR Act and Section 80 (Revenue Code) nor has any permission been taken to cut the lush green fruit trees. Therefore, making any colony in the plaint property table A and B is illegal and against the law and the defendants no. 1 and 3 have no right to create a colony by cutting a plot in the plaint property table ABB.

7- That defendant no. 5 and defendant no. 5 live outside, hence it is not possible to make them plaintiffs. Therefore, defendants No. 4 and 5 are made additional defendants.

8- That the plaintiff explained Harchand to the defendant no. 3 that he should declare the population in the property table A and B mentioned in the suit.

Unspring

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: 1

(Re.1

Nast

Neither build any colony nor sell any plot for population without the consent and permission of the plaintiff and neither do any other person nor any other person cut the trees standing in the property

114

mentioned in the suit in Table A without obtaining permission from the appointed authority to cut the trees. but on 02-01-2024, defendants no. 1 and 3 refused to do so and they have threatened that they will cut and sell the lush green fruit trees standing in defendants no. 1 and 3 and will destroy the property of other persons. Will get it captured. If defendants No. 1 and 3 succeed in their above intention, the plaintiff will suffer huge loss which will not be compensated in any other way. Hence the need to file a suit arose.

9- That the cause of action was last held on 02-01-2024 by the defendants No. 1 and 3 without obtaining the permission of the designated authority and threatening to cut down the green trees standing in the property mentioned in Table A and B, without declaring the population. By plotting the property mentioned in the suit and selling it in Table A and B and by threatening to get other people to take possession of it and by not hearing the defendants No. 1 and 3 when the plaintiff asked them not to do so, place is Town and Pargana Mandawar, Tehsil and Found in Bijnor district. Since the jurisdiction of Mr. Aaraji mentioned in the suit is situated in town and pargana Mandawar, tehsil and district Bijnor. Therefore, Mr. Ji has the right to hear the case.

10- That the valuation of the suit should be done irrespective of the court's satisfaction (a) The property described in the suit is thirty times the land revenue marking of Table A and B 13074% i.e. Rs 3920/- and the property described in the suit is

house built on property

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Bar

Table (B)

Description Property: In front of a petrol pump located at Kita Bagh, town and pargana Mandawar, tehsil and district Bijnor.

Land record number

acreage

115

2119

0.0890 है०

2120

1.1520

2121

0:1140

2122

0.2910

2123

0.2210-

2124

0.1260

Rent Rs.

116

2125

0.1170

2126

0.2020

2127

0.1010

2128

0.1140

Total 10 fields 1.5870..

On which there is a garden on the spot and a one-storey house and shop, which has a road in the east, Ramrakshpal and Subhash in the west, a road in the north, Damodar Prasad etc. in the south, which is occupied by Vandi and is locked by the Vadi. And his wife's belongings etc. are kept there.

Deepank

Plaintiff

606

(147)

Pawan Kumar Sharma
M.Sc., LLB, Advocate
Reg. No. UP07759/99
C.O.P. No. 085321
Ch. No. A-12 Collectrate Compound, Bijnor
Mob. : 9412534576

न्यायालय उपजिलाधिकारी बिजनौर।

वाद संख्या /2024

दीपांक कुमार शर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी 1810, मण्डी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज, रेलवे रोड़ पिलखुआ, जनपद हापुड़।

—— वादी।

Presented by
Advocate

बनाम

डॉ0 देवेश कुमार शर्मा (डी0के0शर्मा) पुत्र श्री देव शर्मा (मिश्रा), निवासी मकान नं0 01, डाक्टर्स लेन, निकट तारावती हॉस्पिटल मंजुलिका गार्डन, वाजोरिया रोड़, सहारनपुर, जनपद सहारनपुर।

2— दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा (मिश्रा), निवासी 1810, मण्डी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज, रेलवे रोड़ पिलखुआ, जनपद हापुड़।

3— नगर पंचायत मण्डावर द्वारा चैयरमैन, ग्राम/कस्बा व परगना मण्डावर, जनपद बिजनौर।

4— उ0प्र0 सरकार द्वारा कलक्टर बिजनौर।

—— प्रतिवादीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 व 116 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
मौजा - कस्बा मण्डावर पर0 मण्डावर तह0 व जिला - बिजनौर
वादी उपरोक्त निम्नलिखित निवेदन करता है :—

1— यह कि वादी एवं उसका भाई द्रवित कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी 1810, मण्डी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज, रेलवे रोड़ पिलखुआ, जनपद हापुड़ व दीप्ति भारद्वाज पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा पत्नी श्री अंकित भारद्वाज निवासी 18490 Jennings dr, Lathrop California-USA. के परदादा तथा डॉ0 देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव कुमार शर्मा, निवासी मंजुलिका गार्डन, वाजोरिया रोड़, सहारनपुर, जनपद सहारनपुर व दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव कुमार शर्मा निवासी 1810, मण्डी रेलवे रोड़, निकट सर्वोदय इण्टर कॉलिज, रेलवे रोड़ पिलखुआ, जनपद हापुड़ के दादा श्री देवकी नन्दन शर्मा को वाद वर्णित

Deepank

118

सम्पत्ति तालिका अ व ब तथा अन्य काफी सम्पत्तियॉ, जो पैतृक एवं खानदान मुश्तर्का थी, प्राप्त हुई थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके एकमात्र पुत्र वादी के दादा स्व0 देव शर्मा मिश्रा को उक्त सम्पत्तियाँ प्राप्त हुई तथा स्व0 देव शर्मा मिश्रा का नाम वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब (बाग) में बहैसियत खानदान मुश्तर्का दर्ज रहा।

2— यह कि स्व0 देव शर्मा मिश्रा द्वारा अपने हिस्से में से अपने जीवनकाल में वादी एवं वादी के भाई द्रवित कुमार शर्मा, दीप्ति भारद्वाज, डॉ0 देवेश कुमार शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा तथा अन्य रिश्तेदारों की सहमति से वर्ष 2008 तक विभिन्न व्यक्तियों के हक में वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका की सम्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक बैनामों का अधिकारपूर्वक निष्पादन किया तथा खरीदारान का कब्जा भी उन पर कराया। अपने जीवनकाल में स्व0 देव शर्मा मिश्रा ही उक्त समस्त सम्पत्तियों पर परिवार के कर्त्ता की हैसियत में काबिज रहे तथा देखभाल करते रहे।

3— यह कि स्व0 देव शर्मा मिश्रा के दो पुत्र दिनेश कुमार शर्मा व देवेश कुमार शर्मा तथा तीन पुत्रियाँ रीता, गीता और नीता हुई। स्व0 देव शर्मा मिश्रा के जीवनकाल में कोई विभाजन वादी एवं द्रवित कुमार, दीप्ति भारद्वाज, डॉ0 देवेश कुमार शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा व अन्य के मध्य वाद वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्तियों का मौखिक अथवा लिखित नही हुआ। वाद वर्णित सम्पत्तियॉ वादी एवं द्रवित कुमार, डॉ0 देवेश कुमार शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा व अन्य वारिसान देव शर्मा मिश्रा की संयुक्त पारिवारिक सम्पत्तियाँ हैं, जिसमें निम्नलिखित शजरे के अनुसार वादी का 1/10 भाग है तथा वादी वाद वर्णित सम्पत्ति तालिका अ व ब में 1/10 भाग का बशराकत द्रवित कुमार शर्मा, डॉ0 देवेश कुमार शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा व अन्य हिस्सेदारान मालिक एवं काबिज है :—

शील चन्द शर्मा (मृतक)
|
देवकी नन्दन शर्मा (मृतक)
|

Through
Pawan Kumar Sharma Advocate
M.Sc., LLB, Advocate
Reg. No UP07759/99
C.O.P. No. 085321
Ch. No. A-12 Collectrate Compound, Bijnor
Mob. : 9412534576
22/04/2024

Deepansh

119

देव शर्मा मिश्रा (मृतक)

- देवेश कुमार शर्मा
  - देवांक (पुत्र)
  - देविना (पुत्री)
- दिनेश कुमार शर्मा
  - द्रवित (पुत्र)
  - दीपांक (पुत्र)
  - दीप्ति (पुत्री)
- रीता (पुत्री)
- नीता (पुत्री)
- गीता (पुत्री)(मृतक)
  - शरत चंद श्रोत्रिय (पति)
  - शान्तनु (पुत्र)

4— यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वाद वर्णित सम्पत्ति में वादी का 1/10 भाग होने के कारण उसका नाम कागजात माल में दर्ज होना आवश्यक है।

5— यह कि वाद वर्णित सम्पत्ति ग्राम व परगना मण्डावर में स्थित है, जहाँ ग्राम पंचायत नही अपितु नगर पंचायत लगती है, इसलिये नोटिस ग्राम पंचायत की अपेक्षा नगर पंचायत को प्रेषित किया गया।

6— यह कि दिनांक 21—02—2024 को प्रतिपक्षीगण सं03 व 4 को इस आशय से दिया गया कि — "आप नोटिस प्राप्ति के साठ दिन (दो माह) के अन्दर मेरे व्यवहारी का नाम नोटिस वर्णित सम्पत्ति खसरा नम्बरान पर बहैसियत सक्रमणीय भूमिधर दर्ज करा दें अन्यथा बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरा व्यवहारी सक्षम न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद योजित करने के लिये बाध्य होगा जिसके हर्जे खर्चे समस्त की जिम्मेदारी आपकी होगी।" जो उन्हें दिनांक 22—02—2024 को प्राप्त हासे गया किन्तु नोटिस वर्णित कोई अनुतोष नोटिस की अवधि में वादी को प्रदान नही किया गया। लिहाजा वर्तमान वाद दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

7— यह वाद का मूल्यांकन वाद वर्णित भूमि के लगान कुल 130—70 के 30 गुने यानि अंकन 392/— रू0 पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क का नियमानुसार अंकन —557— रू0 का भुगतान किया जाता है।

Advocate 22/04/2024

Pawan Kumar Sharma
M.Sc., LLB, Advocate
Reg. No. UP07759/99
C.P. No. 085321
Collectrate Compound, Bijnor
Mob. : 9412534576

T.L Deepank

120

अतः प्रार्थना है कि वाद वर्णित खसरा नम्बरान तालिका (अ) व (ब) स्थित कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर में कागजात माल में वादी के नाम 1/10 भाग पर दर्ज कराकर उसका कुर्रा अलग बनाया जाकर उस पर वादी का जुदागाना कब्जा कराया जाये।

तालिका (अ)

विवरण सम्पत्ति एक किता बाग आम, नाशपाती, कटहल आदि स्थित कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर।

खसरा संख्या	रकबई
1083	0.7970 है0
1084	0.1260 „
1089	0.3410 „
1090	0.2280 „
1093	0.6860 „
1094	0.1640 „
कुल 6 खेत	2.3420 „

तालिका (ब)

विवरण सम्पत्ति एक किता बाग स्थित पैट्रोल पम्प के सामने कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर।

खसरा संख्या	रकबई
2119	0.0890 है0
2120	1.1520 „
2121	0.1140 „
2122	0.2910 „
2123	0.2210
2124	0.1260 „
2125	0.1170 „
2126	0.2020
2127	0.1010
2128	0.1140
कुल 10 खेत	1.5870 „

जिस पर मौके पर बाग लगा हुआ है

आज दि0 22-04-2024 को स्थान बिजनौर में तस्दीक किया जाता है कि वाद-पत्र में वर्णित समस्त कथन मेरी जानकारी में सही सत्य है मेरे ज्ञान व बुद्धि की जाती है।

Deepank

दिनांक : 22/04/2024

वादी

दीपांक कुमार

द्वारा

Deepank

Pawan Kumar Sharma
M.Sc., LLB, Advocate
Reg. No. UP07759/99
C.O.P. No. 085321
Ch. No. A-12 Collectrate Compound, Bijnor
Mob. : 9412534576

Identified by

Advocate

Pawan Kumar Sharma
M.Sc., LLB, Advocate
Reg. No. UP07759/99
C.O.P. No. 085321
Ch. No. A-12 Collectrate Compound, Bijnor
Mob. : 9412534576

22/04/2024 TTS

121

Dipank Kumar Sharma

I, Dipank Kumar Sharma, Plaintiff, today dated 05/1/24, place Bijnor, verify that paragraphs no. 1 to 8 of the above plaint, relief and description of property, and paragraph no. 9 and 10, according to the legal opinion received, are true. I believe in what is true.

Dipank Kumar Sharma

Chadi Dapark

By:

KK Sharma

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: OF

INDIA ONE MEASURE ONE RUPEE

INDIAPIONE RUPLE

Court Sub-Collector Bijnor.

Case number /2024

Dipank Kumar Sharma, son of Shri Dinesh Kumar Sharma, resident of 1810, Mandi Railway Road, Near Sarvodaya Inter College, Railway Road Pilkhua, District Hapur.

122

Plaintiff.

by

Cate

Sharma Advocate

7759/99

ompound. Bijnor

versus

85321- Dr. Devesh Kumar Sharma (D.K. Sharma), son of Mr. Dev Sharma (Mishra), resident of 3457, House No. 00, Doctors Lane, Near Taravati Hospital Manjulika Garden, Wajoria Road, Saharanpur, District Saharanpur.

2- Dinesh Kumar Sharma, son of Shri Dev Sharma (Mishra), resident 1810, Mandi Railway Road, near Sarvodaya Inter College, Railway Road Pilkhua, district Hapur.

3- Chairman, Village/Town and Pargana Mandawar, District Bijnor by Nagar Panchayat Mandawar.

4- Collector Bijnor by Uttar Pradesh Government.

The defendants.

123

Under the application under Section 144 and 116 of the Revenue Code 2006, Mandawar Tehsil and District - Bijnor Goja - Town, Mandawar, Mandawar Tehsil and the plaintiff make the following request: -

1- That the plaintiff and his brother Dravit Kumar son of Mr. Dinesh Kumar Sharma resident of 1810, Mandi Railway Road, near Sarvodaya Inter College, Railway Road Pilkhua, district Hapur and Deepti Bhardwaj daughter of Mr. Dinesh Kumar Sharma wife of Mr. Ankit Bhardwaj resident of 18490 Jennings dr. Lathrop California-USA. Great grandfather and Dr. Devesh Kumar Sharma son of Mr. Dev Kumar Sharma, resident of Manjulika Garden, Wajoria Road, Saharanpur, district Saharanpur and Dinesh Kumar Sharma son of Mr. Dev Kumar Sharma resident of 1810, Mandi Railway Road, near Sarvodaya Inter College, Railway Road Pilkhua, district. Case described to Hapur's grandfather Shri Devki Nandan Sharma

Deepank

P

No

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: APA

Table A and B and many other properties, which were ancestral and donated, were received. After his death, the plaintiff's grandfather Late Dev Sharma Mishra, his only son, received the said lights and the name of Late Dev Sharma Mishra was recorded as Bahaisiyat family Mushtarka in the leaf table A and B (Garden) mentioned in the suit.

That late Dev Sharma Mishra, from his share, filed the suit in favor of the plaintiff and various persons till the year 2008 with the consent of the plaintiff and plaintiff's brother Dravit Kumar Sharma, Deepti Bhardwaj, Devesh Kumar Sharma and Dinesh Kumar Sharma and other relatives. Successfully executed many documents regarding the properties of the property table and also got the buyer's possession of them. During his lifetime, Late Dev Sharma Mishra remained in possession of all the above mentioned properties as the head of the family and continued to take care of them.

124

3 - That Late Dev Sharma Mishra had two sons Dinesh Kumar Sharma and Devesh Kumar Sharma and three daughters Rita, Geeta and Neeta. During the lifetime of Late Dev Sharma Mishra, no partition of the property and other properties mentioned in the suit was done, either oral or written, between the plaintiff and Dravit Kumar, Deepti Bhardwaj, Dr. Devesh Kumar Sharma and Dinesh Kumar Sharma and others. The properties described in the suit are the joint family properties of the plaintiff and Dravit Kumar, Dr. Devesh Kumar Sharma and Dinesh Kumar Sharma and other heirs Dev Sharma Bhigya, in which the plaintiff has 1/10th share as per the following order and the properties described in the plaintiff are in Table A and B. Basharakat Dravit Kumar Sharma, Dr. Devesh Kumar Sharma, Dinesh Kumar Sharma and other shareholders own and occupy 1/10th share -

Sheel Chand Sharma (original)

Demaki Gatchan Sharma (সুচক)

23/04/2004

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Dev Sharma Mishra (deceased)

Devesh Kumar Sharma

1 Dinesh Kumar Sharma

1 Rita (daughter)

Neeta (daughter)

1 Geeta (Daughter) (Deceased)

1

125

Devank (Б)

1 Devina (daughter)

Dravit (son)

1 Deepank (Son)

1 Deepti (daughter)

1 Sharat Chand Shrotriya (husband)

Shantanu (son)

4- That in the above circumstances, since the plaintiff has 1/10th share in the property mentioned in the suit, it is necessary for his name to be recorded in the documents.

5- That the property mentioned in the suit is situated in Village and Pargana Mandawar, where Nagar Panchayat is constituted and not Gram Panchayat, hence the notice was sent to Nagar Panchayat instead of Gram Panchayat.

6- That on date 21-02-2024, it was given to the parties No. 3 and 4 with the intention that "Within sixty days (two months) of receipt of the notice, you should register the transferable land holding of the property mentioned in the notice in the name of my dealer on the Khasra Number. Otherwise, after the expiry of the due date, my agent will be forced to file a suit before the competent court for declaration of his rights, all costs and expenses of which will be your responsibility." Which was received by him on 22-02-2024 but no relief mentioned in the notice was provided to the plaintiff during the notice period. Hence the need to file the present suit arose.

126

7- This suit is assessed at 30 Munas i.e. Rs 392/- out of the total land rent mentioned in the suit 130-70 and as per the rule of court fee, figure 0 is paid.

Drepank

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: INOVA

Therefore, it is prayed that the Khasra Number Table (A) mentioned in the case

And (b) in the town and pargana Mandawar, tehsil and district Bijnor, the name of the plaintiff should be registered on 1/10th part of the documents and the property should be made separate and the plaintiff's joint possession should be given over it.

Table (A)

Description Property: A Kita orchard situated in mango, pear, jackfruit etc. town and pargana Mandawar, tehsil and district Bijnor.

Land record number

acreage

1083

0.7970 हे०

1084

127

0.1260

1089

0.3410

1090

0.2280

1093

0.6860

1094

0.1640..

Total 6 fields 2.3420..

Table (B)

Description Property in front of petrol pump located at Kita Bagh, town and pargana Mandavra, tehsil and district Bijnor.

Land record number

128

acreage

2119

0.0890 है०

2120

1.1520

2121

0.1140

2122

0.2910

2123

0.2210

2124

0.1260 ..

2125

0,1170

2126

0.2020

2127

0.1010

2128

0.1140

Total 10 fields 1.5870..

on which a garden has been planted

2 It is confirmed today on 22-04-2024 at Bijnor that Deep Kachan Meri Shankari has fulfilled all the duties mentioned in the plaint.

Plaintiff

न्यायालयः अपर सिविल जज, (जू0डि0), कोर्ट–1,बिजनौर।
उपस्थित : अंकिता धामा, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा
CNR NO. UPBJ
(अग्रणी पत्रावली) मूलवाद संख्या– 211/2009

डा0 डी0के0 शर्मा (देवेश शर्मा) पुत्र श्री देव शर्मा निवासी प्रकाशपुरम, मंजुलिका गार्डन, बाजोरिया रोड, सहारनपुर।
....**वादी।**

बनाम

1– श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा निवासी ग्राम अलीपुर माखन उर्फ लायकपुरी परगना, तहसील व जिला बिजनौर।
2– श्री देव शर्मा(मृतक) पुत्र स्व0 देवकीनंदन शर्मा निवासी मौ0 बाजारकला, कस्बा मंडावर, परगना तहसील व जिला बिजनौर।
2/1–दिनेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री देव शर्मा आर्या सुशीला नर्सिंग होम रेलवे रोड सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास पिलखवा जिला गाजियाबाद।
2/2– श्रीमती रीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी री सत्यपाल शर्मा निवासी 82/3 राजाकुंज एनक्लेव चटनी मैगी होटल के सामने कोलागढ़ रोड देहरादून उत्तराखंड।
2/3– श्रीमती गीता छौगिया(मृतक) पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी शरदचन्द्र छौगिया निवासीगण 23/117 सोनपथ मानसरोवर जयपुर, राजस्थान।
2/3/1– श्री शरदचंद्र क्षैत्रिय पुत्र स्व0 श्री मती गीता क्षैत्रिय पुत्र री जगदीश शरण।
2/3/2– शांतुनू क्षैत्रिय पुत्र स्व0 श्री मती गीता क्षैत्रिय पुत्र शरदचंद्र क्षैत्रिय निवासीगण 23/117 सोनपथ मानसरोवर जयपुर, राजस्थान
2/4– श्री मती नीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी रमेशचंद्र शर्मा निवासी 5 लताकुंज मथुरा रोड आगरा।
....**प्रतिवादीगण।**

(लीडिंग पत्रावली)

एवं

<u>समेकित पत्रावली मूलवाद संख्या– 212/2009</u>

डा0 डी0के0 शर्मा (देवेश शर्मा) पुत्र श्री देव शर्मा निवासी प्रकाशपुरम, मंजुलिका गार्डन, बाजोरिया रोड, सहारनपुर।
....**वादी।**

बनाम

1– श्रीराज कुमार पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा निवासी ग्राम अलीपुर माखन उर्फ लायकपुरी परगना, तहसील व जिला बिजनौर।
2– श्री देव शर्मा(मृतक) पुत्र स्व0 देवकीनंदन शर्मा निवासी मौ0 बाजारकला कस्बा मंडावर परगना, तहसील व जिला बिजनौर।
2/1–दिनेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री देव शर्मा आर्या सुशीला नर्सिंग होम रेलवे रोड सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास पिलखवा जिला गाजियाबाद।
2/2– श्रीमती रीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी री सत्यपाल शर्मा निवासी 82/3 राजाकुंज एनक्लेव चटनी

d ..5.19 T

मैगी होटल के सामने कोलागढ़ रोड देहरादून उत्तराखंड।
2/3– श्रीमती गीता छौगिया(मृतक) पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी शरदचन्द्र छौगिया निवासीगण 23/117 सोनपथ मानसरोवर जयपुर, राजस्थान।
2/3/1– श्री शरदचंद्र क्षैत्रिय पुत्र स्व0 श्री मती गीता क्षैत्रिय पुत्र री जगदीश शरण।
2/3/2– शांतुनू क्षैत्रिय पुत्र स्व0 श्री मती गीता क्षैत्रिय पुत्र शरदचंद्र क्षैत्रिय निवासीगण 23/117 सोनपथ मानसरोवर जयपुर, राजस्थान
2/4– श्री मती नीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी रमेशचंद्र शर्मा निवासी 5 लताकुंज मथुरा रोड़ आगरा।

..............................प्रतिवादीगण।

व

समैकित पत्रावली मूलवाद संख्या– 213/2009

डा0 डी0के0 शर्मा (दिवेश शर्मा) पुत्र श्री देव शर्मा निवासी प्रकाशपुरम, मंजुलिका गार्डन, बाजोरिया रोड, सहारनपुर।

..............................वादी।

बनाम

1– श्रीराज कुमार पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा निवासी ग्राम अलीपुर माखन उर्फ लायकपुरी परगना, तहसील व जिला बिजनौर।
2– श्री देव शर्मा(मृतक) पुत्र स्व0 देवकीनंदन शर्मा निवासी मौ0 बाजारकला कस्बा मंडावर परगना, तहसील व जिला बिजनौर।
2/1–दिनेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री देव शर्मा आर्या सुशीला नर्सिंग होम रेलवे रोड़ सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास पिलखवा जिला गाजियाबाद।
2/2– श्रीमती रीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी री सत्यपाल शर्मा निवासी 82/3 राजाकुंज एनक्लेव चटनी मैगी होटल के सामने कोलागढ़ रोड देहरादून उत्तराखंड।
2/3– श्रीमती गीता छौगिया(मृतक) पुत्री स्व0 श्री देव शर्मा पत्नी शरदचन्द्र छौगिया निवासीगण 23/117 सोनपथ मानसरोवर जयपुर, राजस्थान।
2/3/1– श्री शरदचंद्र क्षैत्रिय पुत्र स्व0 श्री मती गीता क्षैत्रिय पुत्र री जगदीश शरण।
2/3/2– शांतुनू क्षैत्रिय पुत्र स्व0 श्री मती गीता क्षैत्रिय पुत्र शरदचंद्र क्षैत्रिय निवासीगण 23/117 सोनपथ मानसरोवर जयपुर, राजस्थान

2/4– श्रीमती गीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री देवशर्मा पत्नी रमेशचंद्र शर्मा निवासी 5 लताकुंजमपुरा रोड आगरा।

..............................प्रतिवादीगण।

निर्णय

न्यायालय के आदेश दिनांकित 15–04–2011 के अनुसार मूलवाद सं0 211/2009 डा0 डी0के0 शर्मा बनाम प्रदीप कुमार आदि, मूलवाद संख्या 212/2009 डा0 डी0के0 शर्मा बनाम राजकुमार आदि तथा मूलवाद संख्या 213/2009 डा0 डी0के0 शर्मा बनाम राजकुमार आदि को समैकित किया गया है, जिसमें मूलवाद सं0 211/2009 को लीडिंग केस बनाया गया है।

वादी द्वारा अग्रणी पत्रावली/लीडिंग केस मूलवाद संख्या 211/2009 प्रतिवादीगण के विरुद्ध बैनामा मंसूखी व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष को प्राप्त करने हेतु संस्थित किया गया है।

समेकित पत्रावली मूलवाद संख्या 212/2009 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध बैनामा निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष को प्राप्त करने हेतु संस्थित किया गया है।

समेकित पत्रावली मूलवाद संख्या 213/2009 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध बैनामा मंसूखी व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष को प्राप्त करने हेतु योजित किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र के अनुसार वादी का कथन इस प्रकार है कि वादी प्रश्नगत आराजी जिसका विवरण वादपत्र के अंत में तालिका (अ) में दिया गया है, का मालिक काबिज है। प्रश्नगत आराजी के साथ अन्य आराजी स्थित कस्बा मंडावर, परगना, तहसील व जिला बिजनौर जिसका विवरण वादपत्र के अंत में तालिका (ब) में दिया गया है, वादी को आपसी पारिवारिक बंटवारा दिनांकित 15.08.2005 के अनुसार प्राप्त हुई थी और उक्त पारिवारिक बंटवारे के आधार पर वादी द्वारा संख्या 61/2006 डी0के0 शर्मा बनाम दिनेश शर्मा व अन्य न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) लघुवाद न्यायाधीश सहारनपुर के न्यायालय में योजित किया गया था जो दिनांक 05.12.2008 को निर्णीत हुआ। उक्त निर्णय वादी व प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) पर बंधनकारी है। प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) उक्त वाद में पक्षकार था और प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) को उक्त निर्णय व डिक्री का पूर्णतया ज्ञान है। वादी प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) श्री देव शर्मा का पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) देव शर्मा के वादी के अलावा एक और पुपुत्र श्री दिनेश शर्मा व तीन पुत्रियां हैं। वादी बमुकाम सहारनपुर डॉक्टरी के कार्य के सिलसिले में रहता है और वर्तमान में वादी की रिहाइश सहारनपुर ही है। प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) के दूसरे पुत्र यानी वादी के भाई श्री निदेश शर्मा बमुकाम पिलखुवा जिला गाजियाबाद में रहते हैं तथा वह गाजियाबाद में एक सरकारी विभाग में कार्यरत् हैं। प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) एवं प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) के पुत्र वादी व श्री दिनेश शर्मा व पुत्रियों के पास काफी पैतृक संपत्ति व जद्दी तथा खानदान मुश्तर्का की संपत्ति थी तथा इस संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2(मृतक), श्री देव शर्मा एवं उनके पुत्र व पुत्रियों के मध्य दिनांक 15.08.2005 को एक मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार सबके कुर्रे अलहदा–अलहदा तकसीम हो गये और प्रत्येक पक्ष अपने–अपने कुर्रे में आयी संपत्ति पर अलग–अलग रूप से मालिक, काबिज व दखील हो गया। गरज यह कि उक्त पारिवारिक समझौते के अनुसार वादी अपने कुर्रे में आयी संपत्ति का दिनांक 15.08.05 से तन्हा मालिक काबिज दखील हर प्रकार से हो गया व चला आ रहा है। बरूये मौखिक पारिवारिक समझौता दिनांक 15.08.05 से वादी के पक्ष में आयी संपत्ति से प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) या परिवार के किसी अन्य सदस्य का कोई ताल्लुक या वास्ता किसी प्रकार का मौखिक पारिवारिक समझौता की दिनांक से नहीं रह गया था। प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) श्री देव शर्मा के पारिवारिक सदस्यों के मध्य उक्त पारिवारिक समझौता दिनांकित 15.08.05 के संबंध में आईंदा कोई गलतफहमी उत्पन्न ना हो जाए लिहाजा वादी द्वारा एक वाद संख्या 61/2006 डा0 डी0के0 शर्मा बनाम दिनेश शर्मा आदि उक्त पारिवारिक समझौता को स्वीकारत हुए न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/ लघुवाद न्यायाधीश सहारनपुर के न्यायालय में योजित किया गया जिसमें वादी ने अपने भाई श्री दिनेश शर्मा को बतौर प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकार बनाया तथा अपने पिता श्री देव शर्मा को जो वर्तमान वाद में प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) हैं, को भी पक्षकार बनाया तथा उपरोक्त वाद में श्री देश शर्मा उक्त की बहनों को भी पक्षकार बनाया गया। देव शर्मा प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) द्वारा एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा वाद उपरोक्त में मौखिक पारिवारिक समझौता दिनांकित 15.08.05 को रूबरू अदालत स्वीकार किया गया और वाद उपरोक्त, उक्त मौखिक पारिवारिक समझौता को स्वीकारते हुए श्रीमान सिविल जज (सी0डि0)/ लघुवाद न्यायाधीश सहारनपुर के न्यायालय में सरकारी विभाग में कार्यरत है। प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) की उम्र वर्ष 2006 में लगभग 82–83 साल की थी उनको चमचागिरी व चापलूसी की आदत सी पड़ गयी। वह बहुत जल्दी ही किसी गैर व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं। जैसे कि उपर

2

दर्ज किया गया है काफी अरसे से प्रतिवादी सं0–2 मृतक कस्बा मण्डावर में रह रहे है और उनका अधिक समय वहीं व्यतीत होता है। प्रतिवादी सं0–2 मृतक की चमचागिरी व चापलूसी की आदत का फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति ताहिर हसन ने प्रतिवादी सं0–2 मृतक के पास रहना शुरू कर दिया और दिन–रात प्रतिवादी सं0–2 मृतक का चमचागिरी शुरू कर दी। ताहिर हसन का संबंध मेल–जोल भू–माफिया किस्म के व्यक्तियों से रहता है। ताहिर हसन की नियत वादी की सम्पत्ति हड़प करने की रही है। प्रतिवादी सं01 निहायत ही होशियार व चालाक किस्म का व्यक्ति है और उसका ताहिर हसन उक्त भू–माफियार किस्म के व्यक्तियों से संबंध है और प्रतिवादी सं0–1 ने ताहिर हसन व प्रतिवादी सं0–2 मृतक को अपने प्रभाव में लाकर बिना सोचे समझाये व सुने–सुनाये व बिना किसी अधिकार के सम्पत्ति–अ वाद पत्र का कथित फर्जी बैनामा बिला मुआवजा प्रतिवादी सं0–2 मृतक से प्रतिवादी सं0–1 के पक्ष में दिनांक 12–11–2008 को निष्पादित करा दिया। उपरोक्त कथित बैनामा दिनांकित 12–11–2008 बमुकाबले वादी अलावा अन्य कारणों से भी शून्य वोइड एण्ड अब नीतियों है। उपरोक्त कथित बैनामा दिनांकित 12–11–2008 के आधार पर प्रतिवादी सं0–1 को कोई अधिकार वादी के अधिकारों के विपरीत नहीं है और ना ही उक्त बैनामें का कोई प्रभाव वादी के अधिकारों पर है। उक्त बैनामा दिनांकित 12–11–2008 अलावा अन्य कारणों के निम्नलिखित आधारों पर भी निरस्त व मन्सूख होने योग्य है। मौखिक पारीवारिक समझौता दिनांकित 15–08–2005 के बाद से प्रतिवादी सं0–2 मृतक विवादित सम्पत्ति तालिका–अ वाद पत्र के संबंध में कोई भी दस्तावेज/बैनामा निष्पादित करने के लिये अधिकृत नहीं था क्योंकि प्रतिवादी सं0–2 मृतक विवादित सम्पत्ति तालिका–अ वाद पत्र का ना तो मालिक था और ना ही उस पर काबिज था। चूंकि विवादित सम्पत्ति तालिका–अ वाद पत्र के मालिक काबिज प्रतिवादी सं0–2 मृतक नहीं थे इसलिए कथित बैनामा के आधार पर प्रतिवादी सं0–1 का कोई कब्जा नहीं हुआ, ना ही हो सकता और ना ही प्रतिवादी सं0–2 मृतक प्रतिवादी सं0–1 को कब्जा दे सकते थे। विवादित संपत्ति बैनामे के समय केवल एक प्लाट की शक्ल में दिखायी गयी है जिसका क्षेत्रफल 15x13 फिट दिखाया गया जबकि वह बहुत बड़े खसरा सं0 1083 वाकै कस्बा मंडावर, परगना, तहसील व जिला बिजनौर से संबंधित है जिसमें बहुमूल्य बाग लगा हुआ चला आता है और विवादित भूमि तालिका (अ) वादपत्र लंबे सड़क है जो व्यावसायिक उद्देश्य से खरीद किया जाना जाहिर किया जाता है। इतने बड़े बाग की आंशिक भूमि का बैनामा किसी भी दशा में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत बैनामा भी प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) की साझे में प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करने की बात कहकर बहकार निष्पादित कराया गया है तथा यह भी कहकर कराया गया है कि प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) के नाम से किया जायेगा तथा प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) कोई रकम अपने पास से नहीं लगानी पड़ेगी। विवादित संपत्ति तालिका (अ) वादपत्र से पहले भी प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी संख्या 2(मृतक) को इसी प्रकार बहला–फुसलाकर अपने पक्ष में फर्जी कथित नाम निहाद बिला मुआवजा बैनामा दिनांकित 04.02.2008 व 12.011.2008 को निष्पादित करा लिया था जिसकी मंसूखी/शून्य घोषित कराने के लिए वादी ने श्रीमान जी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है। प्रतिवादी सं0–2 मृतक का कोई आवश्यकता किसी प्रकार की सम्पत्ति को बेचने की नहीं थी और प्रतिवादी सं0–2 मृतक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी और चली आ रही है। प्रतिवादी सं0–1 की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वह सम्पत्ति विवादित तालिका–अ वाद पत्र का बैनामा अपने हक में करा पाता। कथित बैनामा बिला मुआवजा है। प्रतिवादी सं0–1 व उनके परिवार के अन्य सदस्यों की निगाह विवादित सम्पत्ति तालिका–अ वाद पत्र पर काफी समय से लगी हुयी है और वह किसी ना किसी प्रकार से प्रतिवादी सं0–2 मृतक को बहका–फुसलाकर वादी की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर अभिलेख निष्पादित कराने में लगे हुए थे जिसका ज्ञान वादी को कुछ समय पहले ही हुआ। यहाँ पर यह तथ्य विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी सं0–1 प्रदीप कुमार शर्मा का सगा भाई राजकुमार है, दोनों शिव दत्त शर्मा के पुत्र है। प्रदीप कुमार शर्मा व राज कुमार शर्मा लगातार वादी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वादी की सम्पत्ति हड़प करने की फिराक में लगे रहते है और इसी संदर्भ में प्रतिवादी सं0–1 व उसके भाई राजकुमार शर्मा द्वारा आपस में मिले हुए चार भू–खण्ड बजरिये कथित फर्जी नाम निहाद बैनामा कमशः दिनांकित 12–06–2001, 04–02–2008, 12–11–2008 व 12–11–2008 को प्रतिवादी सं0–2 से निष्पादित कराने जाहिर किये गये। उपरोक्त कथित बैनामें के आधार पर प्रतिवादी सं0–1

Deepak

sharthkar

on

COP. No c85321

Sick. 5412534576

Recommendation

Soot

Pow

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Thanks to

Lithinam Mulavad No. 211/2 Dr. D.K. Shaman vs. Pradeep Kumar

Court: Additional Civil Judge, (JD), Court-1, Bijnor.

Present: Ankita Dhama, Uttar Pradesh Judicial Service CNR NO. UPBJ (Leading Paper) Originality Number- 211/2009

Dr. D.K. Sharma (Devesh Sharma), son of Mr. Dev Sharma, resident of Prakashpuram, Manjulika Garden, Bajoria Road, Saharan Van.

TC

versus

1- Shri Pradeep Kumar, son of Shri Shivdutt Sharma, resident of village Alipur Makhan alias Laikpuri Pargana, Tehsil and District

Bijnor.

2- Shri Dev Sharma (deceased) son of Late Devkinandan Sharma, resident of Bazarkala, Town Mandawar, Pargana Tehsil District Bijnor.

2/:- Dinesh Sharma son of Late Shri Dev Sharma Arya Sushila Nursing Home Railway Road Sarvodaya Inter College Pilkhwa District Ghaziabad.

2/2- Smt. Rita Sharma, daughter of Late Mr. Dev Sharma, wife of Ri Satyapal Sharma, resident of 82/3 Rajakunj Enclave, Kolagarh Road in front of Maggi Hotel, Dehradun, Uttarakhand.

2/3- Mrs. Geeta Chaugiya (deceased) daughter of Late Shri Dev Sharma wife Sharadchandra Chaugiya resident of 23/117 Son Mansarovar Jaipur, Rajasthan.

2/3/1- Shri Sharadyandra Kshetriya son of late Shri Mati Geeta Kshetriya son of late Jagdish Sharan.

2/3/2- Shantunu Kshetriya S/o Late Shri Mati Geeta Kshetriya S/o Sharadchandra Kshetriya Resident 23/117 Son

Mansarovar Jaipur, Rajasthan 2/4- Mrs. Neeta Sharma daughter of late Mr. Dev Sharma wife Rameshchandra Sharma resident 5 Latakunj Mathura Road Agra

Defendant

And

(Leading file)

Consolidated file originality number- 212/2009

Dr. D.K. Sharma (Devesh Sharma), son of Mr. Dev Sharma, resident of Prakashpuram, Manjulika Garden, Bajoria Road, Saharan

versus

1- Shriraj Kumar, son of Shri Shivdutt Sharma, resident of village Alipur Makhan alias Laikpuri Pargana, Tehsil and Bijnor.

2- Shri Dev Sharma (deceased) son of late Devkinandan Sharma, resident of Bazarkala town Mandawar Pargana, Tehs district Bijnor.

2/1-Dinesh Sharma son of Late Shri Dev Sharma Arya Sushila Nursing Home Railway Road Sarvodaya Inter College KK Pilkhawa District Ghaziabad.

2/2- Smt. Rita Sharma, daughter of Late Mr. Dev Sharma, wife of Ri Satyapal Sharma, resident of 82/3 Rajakunj Enclave.

d

137

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Inter College Railway

Dr. D.K. Samo Banan Pradeep Kumar

Kolagarh Road Dehradun Uttarakhand. Chhaupiya deceased) daughter of Rev. Shri Det Sharma wife Sharadchand Chhaugiya resident of 23/117 Sonpath Rajasthan.

Dachandra Kshetriya son of late Shri Mati Geeta Kshetriya son of late Jagdish Sharan. Kshetriya S/o Late Shri Mata Geeta Kshetriya S/o Sharadchandra Kshetriya Resident 23/117 Sonpaththa

Rajasthan Neeta Sharma daughter of Late Shri Dev Sharma wife of Rameshchandra Sharma resident of 5 Latakuj Mathura Road Agra. The defendants.

Consolidated file originality number- 213/2009

Mother (Devesh Sharma) Son Shri Dev Sharma resident of Prakashpuran, Manjulika Garden, Bajoria Road, Saharanpur. Plaintiff.

versus

Kumar son of Shri Shivdutt Sharma resident of village Alipur Makhan alias Laikpuri Pargana, Tehsil and District Sharma (deceased) son of late Devkinandan Sharma resident of Bazarkala town Mandawar Pargana, Tehsil and Bar.

Sharma, son of late Mr. Dev Sharma, head of Arya Sushila Nursing Home, Railway Road, Sarvodaya Inter College.

Bala Ghaziabad. ■T Rita Sharma daughter of late Shri Dev Sharma wife of Satyapal Sharma resident of 82/3 Rajakunj Enclave Chutni

TEC

Opposite Kolagarh Road Dehradun Uttarakhand. Wife Geeta Chaugiya (Deceased) Son: Late Shri Dev Sharma Wife Sharadchandra Chaugiya Resident 23/117 Sonpath

Jaipur, Rajasthan. Shri Sharadchandra Kshetriya son of Late Shri Mati Geeta Kshetriya son of Late Jagdish Sharan.

Shantunu Maitriya, son of Late Shri Mati Geeta Maitriya, son of Sharadchandra, resident of area 23/117 Sonpath Jaipur, Rajasthan.

Wife Geeta Sharma, daughter of Late Shri Dev Sharma, wife of Rameshchandra Shaman, resident of 5 Latakunjampura Road, Agra.

Nirvana

The defendants.

According to the court order dated 15-04-2011, original case number 211/2009 Dr. D.K. Sharma Pradeep Kumar etc., original case number 212/2009 Dr. D.K. Sharma vs. Rajkumar etc. and original case number 213/2009 Dr. D.K. Sharma vs. Rajkumar Khadi have been consolidated. , in which Originalism No. 2009 has been made the leading case.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Dr. D.K.Sarma

loading fundamental number

Court Additional Chief Judicial Magistrate Bijnor

Complaint No. 643/2024

TrC

139

Dipank Kamar Ganni

3 Lidirbh Muldad No. 211/2000 40 D.V. Sharma Sny Pradeep Kumar Sharma

Leading case case number 211/2009 has been instituted by the plaintiff to obtain the relief of permanent and permanent injunction. deed against defendants

Consolidated file original case number 212/2009 has been instituted by the plaintiff to obtain the relief of cancellation of deed and permanent injunction against the defendants.

Consolidated file original case number 213/2009 has been planned by the plaintiff to obtain the relief of cancellation of deed and permanent injunction against the defendants.

In short, according to the plaint, the plaintiff's statement is as follows that the plaintiff is the owner of the land in question, the settlement of which is given in Table (A) at the end of the plaint. Along with the Araji in question and other Arajis located in the town Mandawar, Pargana, Tehsil and District Bijnor, details of which are given in Table (B) at the end of the plaint, the plaintiff had received the mutual family partition as per the order dated 15.08.2005 and as per the said family partition On this basis, case number 61/2000 D.K. Sharma vs. Dinesh Sharma and others was filed by the plaintiff in the court of Civil Judge (C.D.) Small-Causes Judge, Saharanpur, which was decided on 05.12.2008. The said decision is binding on the plaintiff and defendant no. 2 (deceased). Defendant No. 2 (deceased) was a party to the said suit and defendant No. 2 (deceased) has full knowledge of the said judgment and decree. The plaintiff is the son of defendant no. 2 (deceased) Mr. Dev Sharma. Apart from the plaintiff of defendant number 2 (deceased) Dev Sharma, there is another petitioner 'Shri Dinesh Sharma and three daughters. Dadi Bamukam lives in Saharanpur for his medical work and at present the residence of the plaintiff is Saharanpur only. Shri Nidesh Sharma, second son of defendant no. 2 (deceased) i.e. brother of the plaintiff, lives in Bamukam Pilkhuwa district Ghaziabad and is working in a government department in Ghaziabad. Plaintiff and Mr. Dinesh Sharma, son of defendant no. 2 (deceased) and daughters of defendant, considerable ancestral property and property of Jaddi and family Musa and in relation to this property, defendant no. 2 (deceased), Mr. Dev. An oral family agreement was signed between Sharma and his son and daughters on 15.08.2005, according to which everyone's kurai was divided separately and each party became the owner, occupier and owner of the property in its respective kurai separately. . The matter is that as per the above mentioned family agreement, the plaintiff has been in possession of

the property in his area since 15.08.05 and has been in possession of the same. Baruye Oral Family Agreement dated 15.08.06, defendant No. 2 (deceased) or any other member of the family had no connection or connection whatsoever with the property which came in favor of the plaintiff from the date of oral family agreement. In order to avoid any misunderstanding in the future regarding the said family agreement dated 15.08.05 between the family members of defendant no. 2 (deceased) Shri Dev Sham, the plaintiff has filed a case number 51/2006 Dr. D.K. Sharma vs. Dinesh Sharma and the said family agreement. Accepting the understanding, the court was constituted in Civil Judge (C.D.) / Small Causes Judge Saharanpur Court in which the plaintiff made his brother Mr. Dinesh Sharma as defendant no. 1 and his father Mr. Dev Sharma who was defendant no. 2 (deceased) in the present suit.) were also made parties - and the sisters of Shri Desh Sharma were also made parties in the above suit. By Dev Sharma defendant no. 2 (deceased) and all the members of his family, the oral family settlement in the above suit was accepted face to face by the court on 15.08.05 and Mr. Civil Judge (C.D.) accepting the suit as above, the said oral family settlement. The government department is working in the court of Small Matters Judge Saharanpur. Is. The age of defendant no. 2 (Mutak) was around 82-63 years in the year 2006. He developed a habit of flattery and flattery. They very easily get misled by a stranger. Such as

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: It has been said that the deceased defendant no. 2 has been living in town Mandawar for a long time and he spends most of his time there. Taking advantage of defendant no. 2 deceased's habit of flattery and flattery, Tahir Hasan started staying with defendant no. 2 deceased and started flattering defendant no. 2 deceased day and night. Tahir Hasan is associated with land mafia type people. Tahir's intention has been to usurp the property of the plaintiff. The defendant no. 1 is a very smart and cunning person and he has relations with the said land mafia type of people like Tahir Hasan and the defendant no. 1 has informed Herr Hasan and. By bringing the deceased under his influence, the defendant no. 2, without any thought, persuasion or hearing, and without any rights, issued an alleged fake deed of property-a suit letter without compensation from the defendant no. 2 to the deceased in favor of defendant 0-1 dated 12-11 - Executed in 2008. The above mentioned deed dated 2-11-2008 is void as against Dadi and also due to other reasons, void end policies. On the basis of the above said deed dated 12-11-2008, defendant no. 1 has no rights contrary to the rights of the plaintiff nor does the said deed have any effect on the rights of the plaintiff. Apart from other reasons, the said deed dated 12-11-2008 is also liable to be canceled and canceled on the following grounds. After the oral family agreement dated 15-08-2005, the defendant no. 2 deceased was not authorized to execute any document/benama in relation to the disputed property Table-A because the defendant no. 2 deceased was the disputed property Table-A. Neither was the owner of the plaint nor was in possession of it. Since defendant no. 2, the owner of the disputed property and the owner of the deed of bond, was not deceased, therefore, on the basis of the said deed, no possession of defendant no. 1 was taken, nor can it be, nor was defendant no. 2 deceased defendant no. 1. Could have given possession. At the time of deed of deed, the disputed property has been shown in the form of only one plot whose area is shown as 15x13 feet, whereas it is related to very big Khasra No. 1083, actually town Mandawar, Pargana, Tehsil and district Bijnor, in which a valuable garden is planted and the disputed land is Land Table (a) The deed is a long road which is purported to be purchased for commercial purposes.

TFL

141

Under no circumstances can the deed of partial land of such a big garden be done for commercial purposes. The deed in question has also been executed falsely by saying that the work of property dealing will be done in partnership with defendant no. 2 (deceased) and it has also been executed by saying that the work of property dealing will be done in the name of defendant no. 2 (deceased) and the counter-grandmother. No. 2 (deceased) You will not have to invest any money from yourself. Disputed Property Table (A) Even before the plaint, defendant no. 1 had similarly induced defendant no. 2 (deceased) to execute the deed of marriage dated 04.02.2008 and 12.011.2008 in his favor in the fake name of Nihad without compensation, which The plaintiff has filed a suit in Mr. Ji's court to get the list declared void. There was no need for the defendant no. 2 deceased to sell any kind of property and the financial condition of the defendant no. 2 deceased was and is continuing to be strong. The financial condition of defendant no. 1 was not such that he would not have been able to get his rights on the disputed property. There is alleged undisclosed compensation. The eyes of the defendant No. 1 and other members of his family were fixed on the disputed property list and letter for a long time and they were somehow trying to get the record executed by taking advantage of the absence of the deceased Badi by luring the defendant No. 2. They were busy and this happened to Badi while wearing some Ragaya. It is especially noteworthy here that the real brother of defendant Kumar Sharma is Rajkumar. Both are sons of Shiv Dutt Sharma. Taking advantage of the absence of the plaintiff, Pradeep Kumar Sharma and Raj Kumar were continuously trying to grab the property of the plaintiff and in this context, the defendant no. and his brother Rajkumar Sharma gave the name of the four land parcels acquired by them in a deed no less dated. Were announced to be implemented from 12-06-2001, 01-02-2008, 12-11 1 10-2. On the basis of the above said deed the defendant no.

631 142

Warning :- Don't tamper with the barcode.
Embossing to be done below this line on the last page

NOTARY
Photostate Copy
ATTESTED
Vijay Kumar
NOTARY
7.3.2022

Embossing to be done above this line on the last page
This Authenticated Copy is invalid without this page

HIGH COURT AT ALLAHABAD

Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No.of Pages
24178 of 2022	7.3.2022	ABAIL	1329	2022	Allahabad	5.3.2022	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :- Name :- Sunil Kumar Gaur Designation :- Review Officer Employee No. :- E9245 Date of Printing:- 7.3.2022	Signature :- 07/03/22 Name :- HARIMENDRA KUMAR Designation :- Section Officer Employee No. :- 7259 Authenticated Copy ready on:-	08 MAR 2022

Court No. - 67

Case :- CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 1329 of 2022

Applicant :- Raj Kumar Sharma And Another
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Rajiv Sisodia,Dhirendra Kumar Srivastava
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Ravikar Pandey

Hon'ble Vivek Kumar Singh,J.

Heard learned counsel for the applicants and Sri Sanjay Singh, learned A.G.A.-I for the State, learned counsel for the complainant and perused the record.

It has been contended by learned counsel for the applicants that the applicants are being falsely implicated in the present case.

Learned A.G.A. has vehemently opposed the prayer for bail.

Without expressing any opinion on the merits of the case and considering the submission advanced, the nature and gravity of the accusation, I find no good ground for grant of bail to the applicants - (1) **Raj Kumar Sharma**, and (2) **Pradeep Kumar Sharma** involved in Case Crime No. 8 of 2022, under Sections 420, 467, 468, 469, 471 IPC, Police Station Mandawar, District Bijnor.

Accordingly, the anticipatory bail application is rejected.

Order Date :- 5.3.2022
DS

11-3-2022

Photostate Copy
ATTESTED
Vijay Kumar
NOTARY

AUTHENTICATED COPY

SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT, ALLAHABAD

Digitally signed by DIGAMBER SINGH
Date: 2022.03.05 17:00:06 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad

UPBJ010003262022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट नं01)बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (डा0 श्रीमती मनु कालिया), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02176

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 174/2022

उ0प्र0राज्य बनाम राजकुमार शर्मा व प्रदीप कुमार शर्मा

दिनांक : 03-02-2022

1. यह प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम जमानत अभियुक्तगण राजकुमार शर्मा व प्रदीप कुमार शर्मा पुत्रगण शिवदत्त शर्मा निवासीगण ग्राम अलीपुर माखन उर्फ लायकपुरी थाना मण्डावर जिला बिजनौर की ओर से मु0अप0सं0 8/2022 अन्तर्गत धारा 420,467,468, 469,471 भा0दं0सं0 थाना मण्डावर जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र राजकुमार शर्मा व प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा समर्थित है।

2. उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथनानुसार वादी डा0 डी0के0 शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0 न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी की एक आराजी बाग कस्बा मण्डावर बस स्टैण्ड पर स्थित है, जिसका वादी तन्हा मालिक व काबिज है, किसी का उक्त आराजी बाग में कोई दखल नहीं है, मुल्जिमान ने वादी के पिता जिसका स्वर्गवास हो चुका है जो कि उससमय काफी वृद्धावस्था में थे तथा उनके सोचने समझने की शक्ति भी क्षीर्ण हो चुकी थी तथा वह मण्डावर में ही अकेले रहते थे, उनसे मुल्जिमान ने बिना पैसे दिये बिना किसी हक के उनको बहला फुसलाकर तीन बैनामे वर्ष 2008 में अपने हक में लिखवा लिये। तीन बैनामों से दुकानों की आराजी अपने हक में लिखवायी, जबकि मुल्जिलमान ने जो आराजी अपने हक में लिखवा ली है वह कहाँ स्थित है यह बैनामे में अंकित नहीं किया गया है। इन बैनामों वाली आराजी का मुकदमा विचाराधीन है। मुल्जिमान राजकुमार शर्मा ने अदालत में अपने बयान में कहा है कि सड़क के मध्य से 45 फिट छोड़कर मेरी 15 फिट की आराजी दुकान की है, इसके बाद जो आराजी बाग है वह डाक्टर साहब की है, लेकिन मुल्जिमान नफा नाजायज कमाने की गरज से वादी को नुक्सान पहुँचाने की नियत से धोखा धडी करके गलत दस्तावेज तैयार करके पी0डब्लू0डी0 में आवेदन किया कि सडक के मध्य से 60 फिट छोड़कर मुझे दुकान बनाने की परमिशन दी जाये। जबकि वहाँ पर मुल्जिमान की किसी किस्म की कोई आराजी नहीं है। मुल्जिमान धोखाधडी करके गलत दस्तावेज तैयार करने के आदि हैं। यह आराजी बाग अभी कानूनी आबादी में दर्ज नहीं है। जब तक बाग की प्रकृति आबादी में दर्ज न हो, तब तक दुकान नहीं बनायी जा सकती है। मुल्जिमान जबरदस्ती बजरिये ताकत वादी की आराजी के गलत दस्ताबेज तैयार करके धोखधडी करके अनुचित लाभ कमाने की गरज से वादी को नुक्सान पहुचाने की नियत से जमीन पर कब्जा करके दुकान बनाना चाह रहे हैं, जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। मुल्जिमान मना करने पर सुनवा नहीं हो रहे है। दिनॉक 20–10–2019 को दिन में करीब 2.00 बजे मुल्जिमान ने प्रार्थी की आराजी बाग पर जबरदसती दुकान बनाना चाहा था, जिसे प्रार्थी

T+C

ने मना किया, वहाँ तमाम लोग इकटठा हो गये। मुल्जिमान भविष्य में दुकान बनाने की धमकी देते हुये चले गये। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अप0सं0 8/2022 अन्तर्गत धारा 420,467,468,469,471 भा0दं0सं0 का अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्तगण पर नफा नाजायज कमाने की गरज से धोखाधडी करके फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा पी0डब्लू0डी0 में आवेदन में प्रयुक्त किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अजमानतीय है। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

5. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा तीन बैनामे वादी के पिता से कराये जाना स्वीकार किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0 को न्यायालय द्वारा दिनॉक 20–12–2019 को निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध वादी ने आपराधिक पुनरीक्षण सं0 31/ 2020 दायर किया था जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 1 बिजनौर द्वारा दिनॉक 23–03–2021 को स्वीकार किये जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा वाद पंजीकृत कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। वादी के पिता द्वारा किये गये उक्त तीनों बैनामो को वादी ने सिविल वाद दायर करके निरस्त कराने का अनुतोष चाहा था, उक्त वाद भी न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं तथा न्यायालय द्वारा उक्त बैनामों को सही माना गया है। अभियुक्तगण ने रोड साईड कन्ट्रोल आफिसर बिजनौर से नक्शा पास करा लिया है, जो वादी ने स्वयं दिनॉक 29–06–2019 को समझौता होने के बाद पास कराया है। उक्त बैनामों के कैंसिल कराये जाने का मामला अभी अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा वर्ष 2008 में वादी द्वारा उक्त बैनामें के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मामला सिविल प्रकृति का है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने पर बल दिया गया है।

6. प्रस्तुत मामले में प्रस्तुत किये गये अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420,467,468,469,471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण पर नफा नाजायज कमाने की गरज से धोखाधडी करके फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा पी0डब्लू0डी0 में आवेदन में प्रयुक्त किये जाने का आरोप है, अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को इस स्तर पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण राजकुमार शर्मा व प्रदीप कुमार शर्मा की ओर से मु0अप0सं0 8/2022 अन्तर्गत धारा 420,467,468,469,471 भा0दं0सं0 थाना मण्डावर जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 03–02–2022

TXC

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

Digitally signed by DR SMT MANU KALIA
Date: 2022.02.03 16:24:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

DS

AUTHEN FICATED COPY

SECTION OFFICER COMPUTERISED COPYING SECTION HIGA COURT, ALLAHABAD

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: plication/291/2022-State Govemment. Vs, Raj Kumar Sharma, Pradeep Rul

UPBJ010003262022

Court Additional District and Sessions Judge (Court No.) Bijnor. Presiding Officer (Dr. Smt. Manu Kalia), (Higher Judicial Service) - UP02176

Anticipatory bail application number 174/2022 Uttar Pradesh vs Rajkumar Sharma and Pradeep Kumar Sharma

Punk: 03-02-2022

This application for anticipatory bail was submitted on behalf of the accused Rajkumar Sharma and Pradeep Bar Sharma, sons of Shivdutt Sharma, residents of village Alipur Makhan alias Laikpuri, police station Dawar, district Bijnor, in the case of FIR No. 8/2022 under Section 420,467,468, 2.471 of IPC No. Police Station Mandawar, District Bijnor. Which is supported by Ath Patra Rajkumar Sharma and Pradeep Kumar Sharma.

Both sides were heard on the said anticipatory bail application and the forms were perused.

In brief, according to the prosecution statement, an application was submitted by the plaintiff Dr. D.K. Sharma in the court under Section 156 (3) of the Criminal Procedure Code to the effect that the

TxL

plaintiff is situated at Araji Bagh Town Mandawar Bus Stand, of which the plaintiff is the sole owner and owner of the said property. There is no interference in Araji Bagh, the accused has said that the father of the plaintiff has passed away, who was very old at that time and his power to think had also weakened and he lived alone in Mandawar, the accused did not take any money from him. By coaxing them without giving them any rights, they got three deeds written in their favor in the year 008. Through three deeds, the title deeds of the shops were written in his favor, whereas the location of the deeds which the accused had got written in his favor was not mentioned in the deeds. The case of Araji with these documents is pending. Accused Rajkumar Sharma has said in his statement in the court that leaving 45 feet from the middle of the road, 15 feet is my araji shop, after that the araji garden belongs to the doctor. But the accused, in order to earn illegitimate profit, cheated the plaintiff and prepared false documents with the intention of causing loss and applied to the PWD that he should be given permission to build a shop by leaving 60 feet from the middle of the road. Whereas there is no presence of any type of accused there. The accused are accustomed to prepare false documents by committing fraud. This Araji Bagh is not yet registered in the legal population. Unless the nature of the garden is registered with the population, a shop cannot be built. The accused are using coercive power to prepare false documents of the plaintiff's residence and with the intention of making unfair profits by fraud, they are trying to take over the land and build a shop on which they have no right. The accused are not being heard when they refuse. On 20-10-2019, at around 2.00 pm, the accused tried to forcefully build a shop on the applicant's Araji Bagh, which the applicant refused to do.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Revision/743/2020-Dr Dk. Sharma Vs State Govecima

#ication/291/2022-State Government Vs. Raj Kumar Sharma, Pradeep Kumar Sharma

2

■ Done, many people gathered there. The accused left, threatening to set up a shop in the future. On the basis of the above facts, a case of 420,467,468,469,471 IPC was registered against the accused under FIR No. 8/2022 at Police Station Sherkot.

According to the presentation made by the learned Assistant District Government Advocate (Criminal), the accused are accused of fraudulently preparing fake documents and using them in the application in PWD to earn illegitimate profits. The crimes committed by Yuktgana are non-bailable. On the above grounds, emphasis has been laid on dismissing the anticipatory bail application.

148

In summary of the arguments presented by the learned counsel on behalf of the accused, it has been accepted that three documents were executed by the accused from the father of the plaintiff. Under Panna Patra, Section 156 (3) CrPC was canceled by the court on 20-12-2019, against which the plaintiff had filed Criminal Revision No. 31/2020, which was dismissed by Additional District and Sessions Judge Court No. 1, Bijnor on date. --After acceptance on 03-2021, the order to register the case has been passed by the court. The plaintiff had sought the relief of getting the three deeds made by the plaintiff's father canceled by filing a civil suit, the said suits have also been canceled by the court and the said deeds have been considered valid by the court. The accused have got the map passed from the Road Side Control Officer, Bijnor, which the plaintiff himself got passed after the settlement on 29-06-2019. The matter of cancellation of the said deeds is currently under consideration in the Appellate Court and in the year 2008, no action has been taken by the plaintiff in relation to the said deeds. The matter is of civil nature. On the above basis, emphasis has been laid on releasing the accused on anticipatory bail.

6. It is clear from the perusal of the prosecution forms presented in the present case that a case has been registered against the accused under Section 420,467,468,469,471 of the Indian Penal Code. In the said case, the accused are accused of fraudulently preparing fake documents to earn illegal profits and using them in the application in PWD. The accused are named in the First Information Report. The matter is still under investigation. In such a situation, keeping in view the facts and circumstances of the case and the seriousness of the crime, the basis for releasing the accused on anticipatory bail at this stage is not sufficient. Therefore, the anticipatory bail application submitted by the accused deserves to be rejected.

Order

Anticipatory bail application submitted on behalf of accused Rajkumar Sharma and Pradeep Kumar Sharma under Section 420,467,468,469,471 IPC in the case of M.P. No. 8/2022, Mandawar Police Station, District Bijnor.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Criminal Revision/743/2020-Dr. Dk. Sharma Vs. State Governme

2020

1007932020

638

न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिवीजन, बिजनौर।

मूलवाद संख्या 109 /2023

राजकुमार शर्मा आयु लगभग 46 वर्ष पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा निवासी ग्राम अलीपुर मारवन उर्फ लायकपुरी, परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर।

वादी।

डा0 देवेश कुमार शर्मा (डी0के0शर्मा) आयु लगभग 67 वर्ष पुत्र स्व0 श्री देव शर्मा मिश्रा निवासी प्रकाशपुरम मंजुलिका गार्डन वाजोरिया रोड सहारनपुर, परगना, तहसील व जनपद सहारनपुर।

प्रतिवादी।

<u>वादी उपरोक्त निम्नलिखित निवेदन करता है</u> —

1— यह कि खसरा सं0 1083 स्थित कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर के पूर्व संक्रमणीय भूमिधर स्व0 देव शर्मा मिश्रा पुत्र स्व0 श्री देवकी नन्दन शर्मा निवासी मौहल्ला बाजार कलॉ, कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर थे।

2— यह कि उपरोक्त स्व0 देव शर्मा मिश्रा द्वारा खसरा सं0 1083 में वर्ष 1993 में प्लाटिंग कर आबादी हेतु आवासीय व व्यावसायिक भू—खण्ड बेचना प्रारम्भ कर दिये गये थे।

3— यह कि वर्ष 2001 में एक भू—खण्ड वादी के भाई प्रदीप कुमार द्वारा भी क्रय किया गया, जो वादी के वाद वर्णित सम्पत्ति की ओर दक्षिण में स्थित हैं।

4— यह कि बाद को दिनांक 04—02—2008 को वादी द्वारा एक भू—खण्ड 10 फीट उत्तर—दक्षिण तथा 15 फीट पूरब—पश्चिम तथा दूसरा भू—खण्ड दिनांक 12—11—2008 को 10 फीट उत्तर—दक्षिण तथा 15 फीट पूरब—पश्चिम कुल 23 फीट उत्तर—दक्षिण तथा 15 फीट पूरब पश्चिम आराजी बजरिये दो बेनामेजात क्रय की गयी तथा सम्पत्ति का मूल्य भी स्व0 देव शर्मा मिश्रा को अदा कर दिया

15.1 3/3 180 181

गया तथा कब्जा श्री स्व0 देव शर्मा मिश्रा द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति पर वादी का करा दिया गया था।

5— यह कि प्रतिवादी, जो स्व0 श्री देव शर्मा मिश्रा के पुत्र हैं, लालची व बदनियत किस्म का व्यक्ति है, इसी कारण स्व0 श्री देव शर्मा मिश्रा द्वारा उन्हें कोई हक व हिस्सा अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्तियों में कभी नही दिया गया और न ही देना चाहते थे। इसी बात से परेशान होकर लालचवश प्रतिवादी द्वारा वादी व वादी के भाई प्रदीप कुमार शर्मा के विरूद्ध तीन मूलवाद संख्या 211/2009 डी0के0शर्मा बनाम प्रदीप कुमार, मूलवाद संख्या 212/2009 डी0के0शर्मा बनाम राज कुमार तथा मूलवाद संख्या 213/2009 डी0के0शर्मा बनाम राजकुमार आदि योजित किये जिसमें देव शर्मा मिश्रा अपने पिता को भी प्रतिवादी सं02 के रूप में पक्षकार बनाया गया। उक्त वाद के प्रतिवादी देवेश कुमार शर्मा (डी0के0शर्मा) द्वारा वादी के हक में निष्पादित बैनामेजात को निरस्त करने तथा प्रस्तुत वाद के वादी तथा पूर्व वाद के प्रतिवादी राजकुमार के विरूद्ध वादी के कब्जे व दखल में हस्तक्षेप न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी।

6— यह कि उक्त मूलवादों में प्रतिवादी देव शर्मा मिश्रा द्वारा अपना प्रतिवाद—पत्र दाखिल किया गया और निष्पादित बैनामों का निष्पादन व मूल्य प्राप्त करना स्वीकार किया तथा प्रस्तुत वाद के वादी का कब्जा व दखल बैनामों की आराजी पर कराना स्वीकार किया, जो सही है किन्तु मूलवाद सं0 212/2009 व 213/2009, जो प्रस्तुत वाद के वादी राजकुमार के विरूद्ध थे, में कोई अनुतोष बेदखली का नही चाहा, न ही न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल नही किया जा सकता है।

7— यह कि मूलवाद संख्या 212/2009 डी0के0शर्मा बनाम राज कुमार तथा मूलवाद संख्या 213/2009 डी0के0शर्मा बनाम

Krishn Kumar Sharma
ADVOCATE
Regn. No 3743/1988
CIVIL COURT, DISTT.

गया तथा कब्जा भी स्व0 देव शर्मा मिश्रा द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति पर वादी का करा दिया गया था।

5- यह कि प्रतिवादी, जो स्व0 श्री देव शर्मा मिश्रा के पुत्र है, लालची व बदनियत किस्म का व्यक्ति है, इसी कारण स्व0 श्री देव शर्मा मिश्रा द्वारा उन्हे कोई हक व हिस्सा अपने जीवनकाल मे अपनी सम्पत्तियो मे कभी नही दिया गया और न ही देना चाहते थे। इसी बात से परेशान होकर लालचवश प्रतिवादी द्वारा वादी व वादी के भाई प्रदीप कुमार शर्मा के विरूद्ध तीन मूलवाद संख्या 211/2009 डी0के0शर्मा बनाम प्रदीप कुमार, मूलवाद संख्या 212/2009 डी0के0शर्मा बनाम राज कुमार तथा मूलवाद संख्या 213/2009 डी0के0शर्मा बनाम राजकुमार आदि योजित किये जिसमें देव शर्मा मिश्रा अपने पिता को भी प्रतिवादी सं02 के रूप मे पक्षकार बनाया गया। उक्त वाद के प्रतिवादी देवेश कुमार शर्मा (डी0के0शर्मा) द्वारा वादी के हक में निष्पादित बैनामेजात को निरस्त करने तथा प्रस्तुत वाद के वादी तथा पूर्व वाद के प्रतिवादी राजकुमार के विरूद्ध वादी के कब्जे व दखल मे हस्तक्षेप न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी।

6- यह कि उक्त मूलवादों मे प्रतिवादी देव शर्मा मिश्रा द्वारा अपना प्रतिवाद-पत्र दाखिल किया गया और निष्पादित बैनामा का निष्पादन व मूल्य प्राप्त करना स्वीकार किया तथा प्रस्तुत वाद के वादी का कब्जा व दखल बैनामों की आराजी पर कराना स्वीकार किया, जो सही है किन्तु मूलवाद सं0 212/2009 व 213/2009 जो प्रस्तुत वाद के वादी राजकुमार के विरूद्ध थे, में कोई अनुतोष बेदखली का नही चाहा, न ही न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल नहीं किया जा सकता है।

7- यह कि मूलवाद संख्या 212/2009 डी0के0शर्मा बनाम राज कुमार तथा मूलवाद संख्या 213/2009 डी0के0शर्मा ...

John Kumar Sharma
Regn. No 374...
...

राजकुमार आदि. मुकदमा संख्या 211/2009 डी0के0शर्मा बनाम प्रदीप कुमार के साथ साथ किये गये तथा विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर यह अवधारित किया गया कि प्रस्तुत वाद का वादी राजकुमार व उसका भाई प्रदीप कुमार Bonafide purchaser in good faith for valuable conidersation हैं तथा स्व0 श्री देव शर्मा मिश्रा द्वारा निष्पादित बैनामे अधिकारपूर्वक दिनांक 30-05-2019 को निष्पादित किये हुये माने गये तथा प्रतिवादी देव कुमार शर्मा (डी0के0 शर्मा) के तीनों वाद निरस्त किये गये। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष बैनामों के निरस्तीकरण अथवा निषेधाज्ञा हेतु वादी को प्रदान नही किया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष न तो बैनामों के निरस्तीकरण और न ही निषेधाज्ञा का अनुतोष वादी को प्रदान किया गया।

8— यह कि उक्त निर्णय के विरुद्ध डी0के0 शर्मा द्वारा सिविल अपील संख्या 80/2019 डी0के0शर्मा बनाम राजकुमार, सिविल अपील संख्या 81/2019 "डी0के0शर्मा बनाम प्रदीप कुमार तथा सिविल अपील संख्या 82/2019 डी0के0शर्मा बनाम राजकुमार योजित की गयी, जो दिनांक 15-07-2023 को अपीलीय निर्णय अपर जिला जज, कोर्ट नं02, बिजनौर द्वारा निस्तारित की गयी तथा उक्त अपील में जो अनुतोष प्रतिवादी डी0के0शर्मा को प्रदत्त किया गया, वह केवल प्रतिवादी सं02 देव शर्मा मिश्रा द्वारा राजकुमार व प्रदीप कुमार के हक में निष्पादित बैनामे दिनांकित 04-02-2008 व 12-11-2008 निरस्त किये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष उक्त अपीलों में अपीलार्थी डी0के0 शर्मा को न्यायालय द्वारा प्रदत्त नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा पूर्व वादों में कथित याचित निषेधाज्ञा का अनुतोष विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी नकार दिया

गया. चूंकि प्रस्तुत वाद का वादी व उसका भाई प्रदीप कुमार निष्पादित बैनामो के आधार पर मौके पर काबिज व दखील थे।

9— यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वादी के हक मे निष्पादित अन्तिम बैनामा माह नवम्बर 2003 का है, तब से लगातार वादी प्रतिवादी की जानकारी में अधिकारपूर्वक प्रतिवादी के अधिकारों को मना करते हुए सम्पत्ति पर काबिज व दखील है। लिहाजा वादी कब्ज़ा मुखालिफाना के आधार पर भी वाद वर्णित सम्पत्ति का मालिक काबिज है।

10— यह कि यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त मूलवाद संख्या 211/2009 डी0के0शर्मा बनाम प्रदीप कुमार, मूलवाद संख्या 212/2009 डी0के0शर्मा बनाम राज कुमार तथा मूलवाद संख्या 213/2009 डी0के0शर्मा बनाम राजकुमार आदि निरस्त होने के उपरान्त प्रतिवादी देवेश कुमार शर्मा (डी0के0शर्मा) वादी व उसके भाई प्रदीप कुमार से समझौता कर लिया गया था तथा उक्त समझौता लिखकर थाने में दे दिया गया था। उसके उपरान्त वादी द्वारा अपने दोनों वाद वर्णित प्लॉट व अपने भाई प्रदीप कुमार के प्लॉट की यकजाई तौर पर चाहरदीवारी भी मौके पर करा दी गयी थी परन्तु प्रतिवादी द्वारा बदनियती से उपरोक्त अपील योजित कर दी गयी।

11— यह कि प्रतिवादी देवेश कुमार शर्मा उक्त अपीलों के माध्यम से वादी के हक में निष्पादित किये गये बैनामों के निरस्त करने की घोषणा के उपरान्त वादी को वाद वर्णित सम्पत्ति में निर्मित चाहरदीवारी को गिराकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उसे बेदखल करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। वादी को कोई अनुतोष निषेधाज्ञा हेतु किसी न्यायालय द्वारा प्रदत्त नही माना जायेगा, यही माना जायेगा कि वादी वाद वर्णित सम्पत्ति पर काबिज व दखील नही है। इसीलिये उसे निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नही किया गया, जैसा कि स्पष्ट है कि वादी वाद वर्णित

154

सम्पत्ति पर काबिज व दखील है। प्रतिवादी मुकामी पुलिस से हमसाज होकर वादी को बेदखल करना चाहता है। उक्त अपीलों में पारित निर्णय के विरूद्ध वादी व उसके भाई द्वारा डिग्री की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय में अपील योजित की जायेगी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपने अधिवक्ता को कागज भेज दिये गये हैं।

12— यह कि कल दिनांक 17/8/23 को प्रतिवादी कुछ अन्य लोगों के साथ मौके पर आया और जबरन वादी की विवादित सम्पत्ति पर बनी चाहरदीवारी को गिराने की कोशिश की जिसे प्रतिवादी द्वारा रोकने पर आमादा–फिसाद हुये तथा प्रतिवादी के साथ आये लोगों ने वादी के साथ गाली–गलोंच व धक्का मुक्की की तथा भविष्य में वादी की चाहरदीवारी को गिराने की धमकी देकर चले गये। यदि प्रतिवादी अपने मंशा में कामयाब हो गया तो वादी की लातलाफी हानि होगी जिसकी भरपायी किसी भी प्रकार से सम्भव न हो सकेगी। ऐसी दशा में प्रतिवादी के विरूद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। प्रतिवादी वादी की मुमानियत की परवाह नही करता है। लिहाजा वाद दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

13— यह कि वाद कारण दिनांक 17/8/23 को स्थान मण्डावर, परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर में प्रतिवादी द्वारा वाद वर्णित सम्पत्ति पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे में मदाखलत करने का प्रयास करने तथा वादी की चाहरदीवारी को तोड़कर उस पर कब्जा करने की धमकी देने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में प्राप्त है। लिहाजा श्रीमानजी को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

155

14— यह कि वाद का मूल्यांकन बगरज अख्तियार समाअत अदालत बीमा आराजी अंकन [illegible]/— रु0 पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क नियमानुसार अदा किया जाता है।

वादी प्रार्थी है कि —

(अ) यह कि बजरिये हुक्म इम्तनाई दवामी प्रतिवादी को मम्नू फरमाया जाये कि वह वाद वर्णित सम्पत्ति से वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने से बाज रहे।

(ब) वाद व्यय वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाये।

(स) अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय की राय में वाद की परिस्थितियों में उचित हो, वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाये।

विवरण सम्पत्ति स्थित कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर।

पैमायश : उत्तर—दक्षिण : 23 फीट, पूरब—पश्चिम : 15 फीट — दो प्लॉट

पूरब	::	शेष आराजी बाग खसरा सं0 1083 बकब्जे प्रतिवादी
पश्चिम	::	सड़क सरकारी बिजनौर—मण्डावर रोड़
उत्तर	::	प्लॉट प्रदीप्र कुमार
दक्षिण	::	प्लॉट प्रदीप कुमार

राजकुमार शर्मा
वादी

मैं, राजकुमार शर्मा, वादी, आज दिनांक 18/8/23 स्थान बिजनौर प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त वादपत्र के प्रस्तर सं01 ता 12, अनुतोष व विवरण सम्पत्ति मेरे ज्ञान व विश्वास में तथा प्रस्तर सं013 व 14 प्राप्त विधिक राय, जिनके सत्य होने में मैं विश्वास करता हूँ, से सत्य है।

राजकुमार शर्मा
वादी

द्वारा :
18/8/23
के0के0 शर्मा
Krishn Kumar Sharm.
एडवोकेट ADVOCATE
Regn. 3743 / 1583
सिविल कोर्ट, बिजनौर।
CIVIL COURT, BIJNOR
94271158:1

156

monitoring

Form U

824

application for information

in relation to

200

Re-inspection is pending in the court of Mr. Civil Judge, Bijnor. Raj Kumar Sharma vs Ha Devesh Kumar Sharma and others

Question

OURT OF CIV. - Is the above

JUDRE

Plaintiff Rajkumar Sharma, son of Shri Shivbal Sunny, resident of village Alipur Makhan Laikpuri, old Mandawar district, Bijnor, has filed a plaint against the defendant Dr. Devesh Kumar Sharma (D.K. Sharma), son of Late Shri Dev Sharma Mishra, resident of Prakashpuram Manjulika Garden, Wajauria Road, Saharanpur Pargana Tehsil and District Saharanpur. Writing the details of the property under dispute, the property is located in Town and Pargana Mandawar Tehsil and District Bijnor Measurement North Deccan 23 feet East West 15 feet Two plots East - Remaining Araji Bagh Khasra No. 1083 Occupied by the defendant West Road Government Bijnor - Mandawar Road

PTO

157

Answer- Plot Pradeep Kumar South- Plot Pradeep Kumar, is it planned in relation to?

2- Is the following relief sought in the above suit? (a)- That the defendant be ordered to withdraw the property mentioned in the suit from

Refrain from evicting the plaintiff without following legal procedure.

-THAT

3- Is 9-8-2024 fixed for hearing in the above case?

Dated 31.7.2024 Signature and letter of the replying officer or signature of the lawyer

applicant defendant

By Prabhat Kumar Gupta A70 Civil Court Bijnor

Note - This letter will be returned with the reply on the same day. If the record is somewhere outside then it should be returned and the applicant should be asked to come again on the specified date.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: civil and lece/ar

swameron Refiner own afree farmorm, frostret

109/2023

158

Evacuation village Alipurma Urjapuri Parmandawar tehsil and district Bijnor.

Caste Dinesh Kumar Sharma (D) Age 67 Son of Shri Dev Sharma Nishra Resident of Prakashpur Manjulikan-Garden Ghaziriya Rose Saharanpur, Pargana, Tehsil and District Saharanpur.

the defendant.

Pani makes the following request above -

1- That the former transferable landowner of Khasra No. 1063, Karana and Pargana Mandawar Tehsil and District Bijnor was late Dev Sharma Nishra, son of Late Shri Devkinandan Sharma, resident of Mohalla Bazar Kali, Town and Pargana Mandawar Tehsil, District Bijnor.

2 That the above mentioned Late Desh Mishra had started selling residential and commercial land for Aabi by doing Plating in Khasra No. 1063 in the year 1903.

3- That in the year 2001, a piece of land was also purchased by Pradeep Kumar, brother of the plaintiff, which is situated towards the south of the property mentioned in the plaintiff's suit.

4- That later on 04-02-2008, a

The land plot was 10 feet north-south and 15 feet east-west and the second land plot dated 12-11-2008 was 10 feet north-south and 15 feet east-west, a total of 23 feet north-south and 15 feet east-west Araji gravel. Two benama properties were purchased and the price of the property was also paid to Late Dev Sharma Mishra.

Kris' Kuma

Me:

(59

1

22/112

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: nawach Sharma Vs. Pradeep Kumar

Gaya and possession was also given to the plaintiff on the property purchased by Rak Dev Sharma Mishra.

5- That the respondent, who is the son of Late Shri Dev Sharma Mishra, is a greedy and unscrupulous person, that is why Late Shri Dev Sharma Mishra never gave him any right or share in his properties during his lifetime nor Wanted to give. Troubled by this, due to greed, the defendant filed three case cases against the plaintiff's brother Pradeep Kumar Sharma, case number 211/2009 D.K. Sharma vs. Pradeep Kumar, case number 212/2009 D.K. Sharma vs. Raj Kumar and case number 213/2009 D.K. Sharma vs. Rajkumar etc. In which Dev Sharma Mishra and his father were made party as defendant no. 2. The defendant in the said suit, Devesh Kumar Sharma (D.K. Sharma), sought a permanent injunction against the plaintiff in the present suit and the defendant in the previous suit, Rajkumar, to cancel the Vainamejaat executed in favor of the plaintiff and not to interfere in the possession and occupation of the plaintiff.

6- That the defendant Dev Sharma Mishra has filed his counterclaim in the said original cases and has accepted the execution and receipt of the value of the executed deeds and the plaintiff in the present suit has accepted to get the possession and possession of the deeds on the basis of the deeds, which is correct. But in Original Suit No. 212/2009 and 213/2009, which were against Rajkumar, the plaintiff in the present suit, no relief of eviction was sought, nor was it provided by the court. It is a well established principle of law that no person can be evicted without legal process.

7- That original case number 212/2009 D.K.Sharma vs. Raj Kumar and original case number 213/2009 D.K.Sharma vs.

Righn Kumar Sharma

160

CATE

77641388

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: It was greenlit in the evening on the basis that Tutar Rajkumar, his father, Pratish Kumar, Monafide purchaser in good faith for valuable conideration, went to sing the song executed by Nari Sharma Nibha with full authority on 30-06-2010 and Pratini Kumar Sharma (G.K. Sharma) How all three were canceled and how the trial court did not provide any relief to Maadi for cancellation or injunction. Thus, neither the relief of cancellation of the mainams nor the relief of injunction was granted to Padi by the trial court.

8- That against the said decision, Civil Appeal No. 80/2019 DJesh vs Rajkumar, Civil Appeal No 81/2019 "BK Sharma vs Pradeep Kumar and Civil Appeal No 82/2019 Rajkumar were filed by DK Sharma, which is dated 15-07- The appellate decision was disposed of by the Additional District Judge Court No. 2, Bijnor on 2023 and the relief which was provided to the defendant D.K. Sharma in the said appeal, was only in the deed dated 04-02 executed by the defendant no. 2 Dev Sharma Mishra in favor of Rajkumar and Pradeep Kumar. -2008 and 12-11-2008 were quashed. Apart from this, no other relief was granted by the Court to the Appellant D.K. Sharma. It is clear that the trial Court and the Appellate Court did not grant the relief sought by the plaintiff in the earlier suits. also rejected by

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Regurer tivi A coat/2900-05/2019-0 Sharma Devesh Sharma Vs Pradeep Kumar 1

5

Kavadi, his brother Pradeep Kumar was proud of the controversial Vaitagor.

9 The issued Abhim Bainama is of Har 2009. Most consistently, the plaintiff, with the knowledge of the defendant, has been occupying the property while denying the rights of the defendant. Therefore, even on the basis of Yaadi Karta's opposition, the owner of the property mentioned in the suit is in possession.

10- That this fact is also noteworthy here that after the above mentioned case number 211/2009 D.K.Sharma vs Pradeep Kumar, original case number 212/2009 D.K.Sharma vs. Raj Kumar and

TKL

/ 6/

original case number 213/2009 D.K.Sharma vs. Rajkumar etc. were cancelled, the defendant Devesh Kumar Sharma (DK Sharma) A settlement was reached with the plaintiff and his brother Pradeep Kumar and the said settlement was written and given to the police station. After that, the plaintiff had suddenly got the boundary wall of both his suit mentioned plots and the plot of his brother Pradeep Kumar done on the spot, but the above appeal was filed by the defendant in bad faith.

11- That the defendant Devesh Kumar Sharma, after the announcement of cancellation of the deeds executed in favor of the plaintiff through the above appeals, wants to evict the plaintiff by demolishing the boundary wall built in the property described in the suit without adopting the legal process, for which he has no right to do so. No rights. No relief will be given to the plaintiff by any court for injunction, it will be considered that the plaintiff is not in possession and occupation of the property mentioned in the suit. That is why he was not granted the relief of injunction, as is clear from the plaintiff's case.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: The property is in possession and possession. The defendant wants to harass the plaintiff by allying himself with the local police. Based on the decision passed in the above appeals, after the plaintiff and his brother receive an attested copy of it, an appeal will be filed in the Honorable High Court, in connection with which the plaintiff has sent papers to his advocate in the Honorable High Court, Allahabad.

12- That yesterday, on 47/8/23, the defendant came to the spot along with some other people and forcibly tried to demolish the boundary wall built on the disputed property of the plaintiff, which was stopped by the defendant and the people accompanying the defendant. He abused and pushed the plaintiff and left after threatening to demolish the boundary wall of the plaintiff in future. If the defendant succeeds in his intention, the plaintiff will suffer immense loss, which will not be possible to compensate in any way. In such a situation, it is necessary to issue an interim injunction against the defendant. The defendant does not care about the honesty of the plaintiff. Hence the need to file a suit arose.

13- On 17/8/23, the reason being that after date 17. In Mandawar, Pargana Mandawar, Tehsil and District Bijnor, the defendant attempted to encroach on the peaceful possession of the plaintiff on the property described in the suit and broke the boundary wall of the plaintiff and attacked it. Is within the jurisdiction of Mr. by threatening to seize. Therefore, Sir has the right to hear the case.

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: /2000/05/2019-0. Sharma Devesh Sharma Vs. Pradeep Kumar

14- It is done on the basis of court order and expenses are paid as per rules.

It is requested that-

(34) That the defendant be ordered to refrain from evicting the plaintiff from the property mentioned in the suit without following the legal process.

(ग) The list of litigation expenses should be obtained from the defendant.

(氹) Any other relief which, in the opinion of the Honorable Court, is appropriate in the circumstances of the case, should be provided to the plaintiff from the defendant. Description Property situated in Karba and Pargana Mandawar, Tehsil and District Bijnor.

Measurement: North-South 23 feet East West 15 feet

two plots

Shesh Araji Bagh Khasra No. 1083 Bkbze defendant

East West

* Road Government Bijnor-Mandawar Road

Answer

= Plot Pradeep Kumar

South

Plot Pradeep Kumar

Rajkumar Sham Vadi

I, Rajkumar Sharma, Plaintiff, today dated 8/8/23- place Bijnor, certify that in my knowledge and belief, paragraph no. 1 to 12. Relief and description of the above plaint and paragraph no. 13 and 14 of the legal opinion received,

Which I believe to be true, is true.

prince shame

By:

Ki Sharm

18/8/23

एडवोकेट ADVOCALL Calar AACKT, Sokopu no Ko

[19:23, 8/18/2024] +91 724 851 7989: Regular Deal/2900--05/2019-0 Sharma vesh Sharma Va Pradeey Kita

f Plaink

(164) Annexure R-8K

महोदय,

संलग्न पत्र में आवेदक देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा नि0 मौ0 बाजार कलां मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर द्वारा ग्राम मण्डावर स्थित खसरा संख्या 1083,1084,1089,1090,1093,1094 कुल क्षेत्रफल 2.342 है0 आरजी जोकि प्रार्थी के नाम दर्ज है, में खड़े लगभग 75 वर्ष पुराने आम के वृक्ष जो पुराने एवं रोगग्रस्त हो गये है के पातन के सम्बंध में प्रार्थना की गई है जिसके सम्बंध में अभिलेखीय एवं स्थलीय जांचोपरान्त आख्या निम्न प्रकार है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखो का निरीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी राजस्व ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के राजस्व अभिलेख षटवार्षिक खतौनी फसली सन 1426–1431(01जुलाई 2018 से 30 जून 2024 तक) के भाग संख्या 1 खाता संख्या 331 के खसरा संख्या 1083/0.797है0, 1084/0.126है0, 1089/0.341है0, 1090/0.228है0, 1093/0.686है0 व 1094/0.164है0 कुल 6 खेत रकबई 2.342 है0 श्रेणी 1–क पर देवेश कुमार शर्मा पुत्र डा0 देव शर्मा नि0 मण्डावर हाल नि0 मंजुलिका गार्डन सहारनपुर के नाम अंकित अभिलेख है। उक्त आराजी चकबन्दी या सीलिंग से प्रभावित नही है। उक्त आरजी में मौके पर आम के पुराने 82 वृक्ष खड़े हुए हैं। मौके पर आम के वृक्षों का निरीक्षण किया गया। आम के वृक्षों का औसतन व्यास 110 से0मी0 है व सम्भावित आयु लगभग 70-75 वर्ष है। अधिकतर वृक्ष रोगग्रस्त भी प्रतीत हो रहे है। मण्डावर कस्बा वासियो से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि यह बाग बहुत पुराना है और अब इस पर बहुत कम फल आता है। उक्त आराजी विवादित नही है। आवेदक का इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है। अतः उक्त वृक्षो का पातन कराया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। मौके के फोटो संलग्न कर आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

प्रमोद कुमार
लेखपाल
तहसील बिजनौर
10/12/2022

अग्रेषित
तहसीलदार
बिजनौर

SDM

उप जिलाधिकारी(सदर)
बिजनौर

Janch file

165

महोदय,

संलग्न पत्र में आवेदक देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा मोहल्ला बाजार काली मंडावर तहसील व जिला बिजनौर द्वारा ग्राम मंडावर स्थित खसरा संख्या 1083 1084 1089 1090 1093 1094 कुल क्षेत्रफल 2342 हेक्टेयर आईजी जो कि प्रार्थी के नाम दर्ज है मैं खड़े लगभग 75 वर्ष पुराने आम के वृक्ष जो पुराने एवं रोग ग्रस्त हो गए हैं के पातन के संदर्भ में प्रार्थना की गई है जिसके संबंध में अभिलेखीय एवं स्थल जांच परख की आख्या निम्न प्रकार है

उपरोक्त के संदर्भ में राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त आरजी राजस्व ग्राम मंडावर परगना मंडावर तहसील वह जिला बिजनौर के राजस्व अभिलेख षट्द्वार्षिक खतौनी परली सन 1428-,1431 से 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2024 तक के भाग संख्या एक खाता संख्या 331 के खसरा नंबर 1083/.797 हेक्टेयर,1084/0.126 हेक्टेयर,1089/341 हेक्टेयर,1090/228 हेक्टेयर,1093/686 हेक्टेयर व 1094/0.184 हेक्टेयर कल रख भाई 2342 हेक्टेयर श्रेणी 1 का पर देवेश कुमार शर्मा पुत्र डॉ डी शर्मा मिश्रा निवासी मंजुलिका गार्डन सहारनपुर के नाम अंकित अभिलेख है। उक्त आराजी चकबंदी या सीलिंग से प्रभावित नहीं है। उक्त आरजी में मौके पर आम के पुराने 82 वृक्ष खड़े हुए हैं मौके पर आम के वृक्षों का निरीक्षण किया गया आम के वृक्षों का औसतन व्यास 10 सेंटीमीटर है वह संभावित आयु 70 से 75 वर्ष है अधिकतर वृक्ष रोग ग्रस्त भी प्रतीत हो रहे हैं मंडावर कस्बा वासियों से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि यह बात बहुत पुराना है और अब इस पर बहुत कम फल आता है वह आरजी विवादित नहीं है। आवेदक का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत है ।अतः उक्त वर्षों का पालन कराया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। मौके के फोटो संलग्न कर आख्या सेवा में प्रेषित है।

प्रमोद कुमार लेखपाल तहसील बिजनौर

T+L

166

Sir

The applicant Devesh Kumar Sharma son of Dev Kumar Sharma Mishra mohalla bajar

Verified at the spot which clears that in the above seat khasra number the revenue of village mandawar Pargana mandawar Tahsil and district Bijnor is having khatauni Parli here 1428 -1431Kali mandavar Tahsil district Bijnor apply for selling the trees which are 75 year old in khasra number 1083 10 8410 891090 total area 2342 hectare registered in the name of the elephant about the record and verification report is as under

Verified on the spot through which clears that the revenue record of gram village mandawar Pargana mandavar Tahsil district Bijnor have we hear 1428-1431 since first July 2016 paath sankhya and account number 331 having khasra number 1083/797hectare,1084/.126,1089/341 hectare ,1091/.228 hectare 1093/.686 hectare,1094/.184 hectare total 2342 hectare series 1 is registered in the name of Devesh Kumar Sharma San off daw Di Sharma Mishra resident off manjulika garden Saharanpur and above Seth area is not affected by chakbandi aur sealing and area is having 82 days of mango and inspection it is found that the mango trees is about having diameter 10 cm and their ages are about 7275 years most of the trees are having disease and the residence of mandavar i informed that the garden is too cold and having no dispute but and it gets very few fruits. The applicant has produced his affidavit in this respect the photographs of the spot is also next

Pramod Kumar lekhpal Tahsil Bijnor

(167)

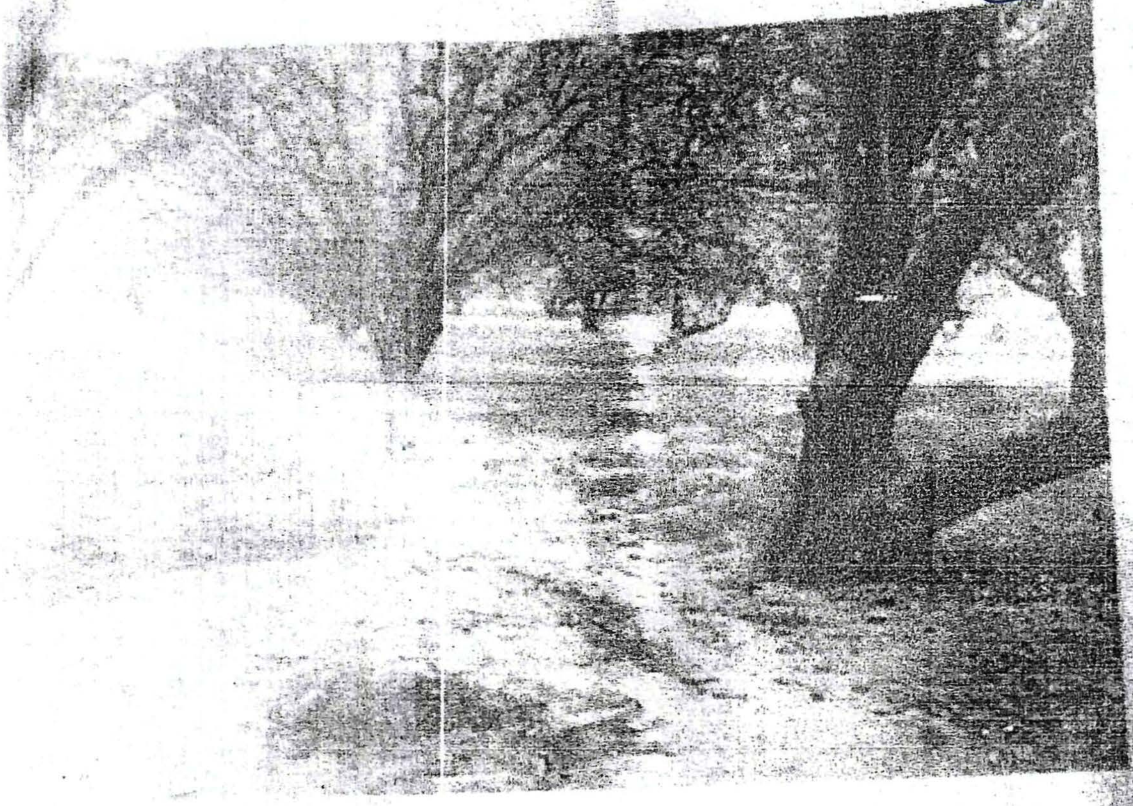

T+L

₹2
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT0512603H2445J
05-AUG-2024

657
₹72
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT0512604H2445J
05-AUG-2024

C.C. No. ....168....
FIR No. ....
U/S ....
P.S. ....

IN THE COURT OF Before Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

Suit / Appeal No. ______ **JURISDICTION OF 202**

In re :-
Deepank Kumar Sharma & ors **Plaintiff(s) / Appellant(s) Or Petitioner(s) / Complainant(s)**

VERSUS

U.O.I & ors **Defendant(s) /Respondent(s) / Accused**

KNOW ALL to whom these present shall come that I/ We Dr Devesh Kr Sharma S/o Late Sh. Dev Sharma Mishra, Manjulika Garden, ... Road, Saharanpur, U.P. **The above named** **do hereby appoint**
Respondent No 8

AKHILESH KR. SINGH
Advocate
Ch. No.-605, Rohini Court,
Delhi, M.-7248517989
ENO D/1045/04
Email: akhileshsinghadvocate@gmail.com

(herein after called the advocate/s to be my/our Advocate in the above-noted case authorize him:-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subject to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents or opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.

To deposit, draw and receive money, cheques, case and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25 1430621

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the pov... ...ereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/ We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own facts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We undertake that I/ We or my/our duly authorised agent would appear in court and all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate of his substitute responsible for the result of the said case.The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid,I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us

IN WITHNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been undertstood by me/us on this ....3rd.... day of ....Aug.... 2024

Accepted subject to the terms of the fees

Aadhar No 890447755080 Client [signature] Client

I Identify the Signature/Thumb Impression of the Below Mentioned Person, Who Has been Signed in my presence. The Client.

Advocate [signature]

169

5:40

Emailing R8 DEEPANK KUMAR.pdf

Add label

Akhilesh... 3:07 PM

to verma.vishw...

From	Akhilesh Singh • akhileshsinghadvocate@gmail.com
To	verma.vishwendra@yahoo.co.in
Date	Aug 21, 2024, 3:07 PM
	View security details

Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb

PDF R8 DEEPA...UMAR.pdf

Reply

99+